राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९६४ का द्वितीय दिवस [संख्या २

शनिवार, दिनांक २२ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०० बजे विधान सभा भवन जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

(१) श्री प्रतापसिंह (१३६)-दिनांक २१-२-६४ से १५-३-६४ तक।

(२) श्री हरिप्रसाद शर्मा (६२)—दिनांक २१-२-६४ से सत्र के अन्त तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन-प्रस्ताव

(१) संयुक्त मजदूर संघर्ष समिति द्वारा सांकेतिक हड़ताल विषयक

कुछ स्थगन-प्रस्तावों की सूचना आई है, जो इस प्रकार है :

श्री मुरलीधर व्यास-जिनका स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :

मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर २१ फरवरी को संयुक्त मजदूर संगठन संघर्ष समिति द्वारा समस्त राज्य में सांकेतिक हड़ताल है। मंहगाई भयंकर रूप धारण किए है और मजदूरों की मांग पूर्णत: न्याय-पूर्ण हैं, सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मांगों की अवहेलना की गई तो भयंकर स्थिति हो जावेगी। अतः स्थिति पर विचार करने के लिए स्थगन-प्रस्ताव की सूचना कर रहा हूं। इस प्रस्ताव में जिस समस्या का उल्लेख किया गया है उस पर विस्तार से राज्यपाल के अभिभाषण की बहस के दौरान में विचार किया जा सकता है, अतः

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

(२) अकाल की स्थिति एवं मंहगाई विषयक

श्री मुरलीधर व्यास का एक अन्य स्थगन प्रस्ताव और है जिसका संबन्ध राज्य में अकाल की स्थिति और मंहगाई से है।

यह विषय भी ऐसा है जो राज्यपाल महोदय क अभिभाषण में बहस होगी उसमें इस पर विचार किया जा सकता है। अतः इसे भी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

(३) बीकानेर शहर व जिले में सस्ते विदेशी गेहूं की उपलब्धि विषयक

श्री मानिकचन्द सुराणा का एक प्रस्ताव है कि बीकानेर शहर व जिले में सस्ते विदेशी गेहूँ कि उपलब्धि में जनता को अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं, उस संबन्ध में है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सरकारी गोदामों पर गेहूं पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिये जनता को परेशानी हो रही है।

यह मसला भी ऐसा है जिस पर कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में बहस की जा सकती है, जिसका निराकरण सरकारी पक्ष से किया जा सकता है। अतः इसे भी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(४) मंहगाई व सरकार की आर्थिक नीति विषयक

इसी प्रकार श्री सुराणा का एक स्थगन प्रस्ताव मंहगाई के संबन्ध में और सरकार की आर्थिक नीति के संबन्ध में है।

इस संबन्ध में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में विचार-विमर्श किया जा सकता है। अतः इसे भी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(५) थाना बयाना के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना विषयक

श्री रामकिशन ने एक प्रस्ताव किया है वह इस प्रकार है :

१८ फरवरी, १९६४ को भरतपुर जिले में थाना बयाना के अन्तर्गत एक भीषण मोटर दुर्घटना में अनेकों व्यक्तियों की जानें चली गई हैं और अनेकों घायल हो गये हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच कराई जाकर असन्तोष को दूर किया जाये।"

इस संबन्ध में माननीय मंत्री विचार करेंगे और किसी अवसर पर जानकारी सदन को दे दें तो मैं उचित समझूंगा पर इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(६) कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने विषयक

श्री कृष्णकुमार गोयल का एक प्रस्ताव है; वह है कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के मजदूरों ने कोटा, बारां, एवं अकलेरा में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है उसके संबन्ध में है।

इस संबन्ध में मंत्री महोदय चाहें तो

(श्री अध्यक्ष)

स्थिति का स्पष्टिकरण करने के हेतु एक वक्तव्य दे दें। पर इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(७) बसेड़ी तहसील के सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्य-कर्ता की हत्या विषयक

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल ने दी है जो इस प्रकार है :

"तारीख १७-११-६३ को धौलपुर सब डिविजन के अन्तर्गत बसेड़ी तहसील के सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, श्री बाबूलाल गर्ग को गोली मारकर हत्या की गई है। इससे उस इलाके में एक दम आंतक व भय का वातावरण फैल गया है। उस इलाके के व्यक्ति अब अपने आप को बिलकुल असहाय व असुरक्षित पाते हैं।"

इस प्रकार अन्य तथ्य भी इस प्रस्ताव में दिये गये हैं।

इस संबन्ध में मुझे चीफ मिनिस्टर द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने, जैसा माननीय सदस्य चाहते थे, जांच करने के आदेश दे दिये हैं। अत : इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अत: इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अत : अब राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस जारी होगी।

(११.०७ म० पू०)

श्री रामकिशन (वैर) : लौरी की दुर्घटना के सम्बन्ध में मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यही निर्देशित किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय,.......

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण विषयक औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : Point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बूंदी से आये है वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है और मेरी ऐसी मान्यता है अध्यक्ष महोदय, कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस बजट सेशन के प्रारम्भ के लिये संविधान के अनुच्छेद १७६ के अन्तर्गत आता अवश्य है किन्तु जो अभिभाषण दिया गया वह इस अनुच्छेद के प्रावधान की पूर्ति नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की धारा १७६ की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें लिखा है :

"At the commencement of the first session after each General Election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council both Houses assembled together and

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

inform the Legislature of the causes of its summons".

अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद १७६ जो हमारे संविधान का है उसके अनुसार बजट अधिवेशन के प्रारम्भ में राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण दिया जाना अनिवार्य है और इस अभिभाषण में जो सदन को बुलाने के कॉजेज हैं, जो कॉजेज ऑफ समन्स है उन्हें बताना अत्यन्त अनिवार्य है। इस अनुच्छेद की कमेन्टरी में भी यह दिया हुआ है :

"The words 'causes of summons' and 'commencement of a session' have acquired a well-recognised meaning in the Parliamentary practice of England and have been bodily incorporated in the constitution of India."

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद १७५ के अन्तर्गत जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की व्यवस्था है और अनुच्छेद १७६ में जो व्यवस्था है उसमें मूल-भूत अन्तर यह है कि अनुच्छेद १७६ के अन्तर्गत कॉजेज ऑफ समन्स बताना आवश्यक है और अनुच्छेद १७५ में बताना आवश्यक नहीं हैं। कमेन्टरी में लिखा है :

"Under Article 175 there is no specification by the constitution of the subject-matter of the Address by the Governor. But under Article 176 the Address has to inform the Legislature of the causes of its summons."

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ यह संविधान के अनुच्छेद पढ़े, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ, कि इसी प्रकार का सवाल उड़ीसा की विधान सभा में खड़ा हुआ था, पोइंट ऑफ आर्डर, जो वहां रेज किया गया था उसको ओवर रूल किया गया था, तो इस मामले को लेकर उड़ीसा हाईकोर्ट में वह मामला रेज किया गया। उड़ीसा हाईकोर्ट के जो इस सम्बन्ध में ऑब्जर्वेशन्स है कि कॉजेज ऑफ समन्स राज्यपाल के अभिभाषण में बताना आवश्यक है। उन्हें मैं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं (1952—Orissa—Page 234) इसमें लिखा है :

"The Governor has the option to address the Assembly under Article 175 (1) and to send a message under Article 175 (2) but this Article makes no express provision for allotment of time for discussion of the address of the message. There fore, if the Address that the Governor is to give today, the 7th March, is one under Article 175 (1) the Assembly has no right to discuss it. All that is required under Article 175 is that the Governor 'may' require the attendance of the members for the purpose of his Address. Article 176 (1) on the other hand lays down in express terms that the Governor 'shall address the Legislative Assembly and 'inform the Legislature of the causes of its summons'. The difference in the language of the two Articles is intended to serve two different purposes. Having regard

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

to the terms of Article 176 (1) it appears to me that at the first meeting of the Assembly after a General Election the Governor has no option but to address the Assembly and inform the members of the 'causes of its summons".

The words 'causes of summons' and 'commencement of a session' have acquired a well recognised meaning in the Parliamentary practice of England and have been bodily incorporated in the Constitution of India. Dr. Ambedkar replying to the discussion on Article 87 of the Constitution observed :

'Causes of its summons' is a phrase which we find used in the British Parliament......and after a long and great deal of search for proper phraseology, we are fortunate enough in finding those words in Campion, and I think it is a good phrase and ought to be retained. According to May's Parliamentary Practice-'when a new Parliament is summoned the members take their oaths and then the Speaker is elected, who in turn, takes the oath, and then the King opens the Parliament by a speech from the Throne"

फिर उन्होंने इसी तरह की बातें लिखी है, मैं उनमें हाउस को नहीं ले जाना चाहता; फिर लिखा है :

Further the learned author says that 'the session is opened at once by the King's speech......... until the cause of summons is declared by the King neither House can proceed with public business....... This form is observed because no business can be transacted until Parliament has been opened by the Crown".

And then—it has been said therein—

"After the Assembly is so constituted the Governor addresses the Assembly and explains 'the causes of its summons'. The Governor comes into direct and immediate communication with the representativs of the people. He draws the attention of the house to important public events which require their attention such as the circumstances which compel the executive for instance to seek for more grants etc.'

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने राज्यपाल महोदय के पूरे अभिभाषण को देखा, इस अभिभाषण को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा। इसमें कहीं कॉज ऑफ समन्स नहीं बताये गये हैं। इसमें यह बताना चाहिये था कि बजट के सम्बन्ध में, लेजिस्लेटिव बिजनेस के सम्बन्ध में, अनुदानों के सम्बन्ध मे यह सदन बुलाया गया है, बजट पारित करना है, लेजिस्लेटिव बिजनेस पारित करना है, इसका इस अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। मैंने पिछली बार भी सदन में इसी प्रकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की आपत्ति उठाई थी और जहां तक मुझे याद है, माननीय अध्यक्ष, आपने यह व्यवस्था दी थी कि इस प्रकार की इसमें व्यवस्था होनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि राज्यपाल महोदय का ध्यान दिलाने पर भी क्यों इस प्रकार की गलती रहती है? संविधान के प्रति निष्ठा की कसम मैंने ही नहीं, उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी खाई है। जब तक संविधान की धाराओं का स्ट्रिक्टली कम्प्लायेंस नहीं होगा, १७६ के तहत इस प्रकार का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना चाहिये, वह नहीं होगा तब तक, उसकी कम्प्लायेन्स के अभाव में, १७६ की कम्प्लायेंस के अभाव में इस सदन की सारी कार्यवाही अवैधानिक होगी। इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित हो जानी चाहिये और दुबारा, संविधान की धाराओं का पालन करते हुए सरकार माननीय राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दिलाये। यह नहीं होता तब तक सदन का सारा ट्रान्ज़ेक्शन आफ बिज़नेस अवैधानिक होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान रूल्स आंफ प्रोसीजर के रूल थर्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो नोटिस जारी किया गया उसमें रीजन्स दे रखे थे, नोटिफिकेशन में रीजन्स दिये जा चुके हैं। स्पेसिफिकली राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन रीजन्स को दोहराया जाय, यह आवश्यक नहीं है। ऐसी दशा में माननीय सदस्य की आपत्ति उस नोटिस को देखते हुए निरस्त है, इसमें कोई वज़न, वज़ूहात नजर नहीं आते। उनकी मंशा यह है कि अभिभाषण में ये रीज़न्स देने चाहिये, इन्हीं ग्राउन्ड्स को लेते हुए उन्होंने पिछले सदन में भी आपत्ति उठाई थी, जिसको माननीय अध्यक्ष ने ओवर रूल किया था। इनकी इस आपत्ति में कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक विशेष महत्व रखता है। वैसे सरकार के कार्यों के प्रोपेगेन्डा के लिए सरकार का पब्लिसिटी विभाग, रेडियो आदि हैं; ये सरकार के कार्यों का प्रचार करते रहते हैं। किन्तु राज्यपाल के स्तर को जो कि स्टेट के हैड हैं उनके स्तर को इतना नीचे सरकार को नहीं गिराना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य 'स्तर नीचे गिराना' स्वयं से शुरू न करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। सरकार की नीति क्या है, उसके बारे में अभिभाषण में उल्लेख है। माननीय सदस्य वैधानिक तरीके पर जो कहना चाहते हैं वही कहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं राज्यपाल महोदय की शान में नहीं कह रहा हूं, मैं तो सरकार के बारे में कह रहा था कि जो सरकार को, गवर्नर, जो कि स्टेट के हैड है, द्वारा इस सदन में जो अभिभाषण रखवाना था तो उसमें इस तरह की उनके स्तर को गिराने के लिये चीजें नहीं रखनी चाहिये थीं, यह बहुत ही गलत है। नीति निर्देशन सम्बन्धी बिज़नेस सम्बन्धी बातें आनी चाहिये थीं। गवर्नर जोकि हमारी स्टेट के सबसे बड़े हैड हैं वे एकपक्षीय होकर, पार्टी लेवल के आदमी होकर काम करेंगे तो वह हमारी स्टेट के लिये शोभा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

की बात नहीं होगी। इसलिए सरकार स्पष्ट व्यवस्था करे। आयन्दा कम से कम इस प्रकार की गलतियां न दोहरवायी जायं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाया है वह कोई नया एतराज नहीं है। गत अधिवेशन में गवर्नर महोदय के अभिभाषण के वक्त भी इसी तरह का एतराज उठाया था और उस समय भी उन्होंने ये ही रूलिंग कोट किये थे, कोई उन्होंने नयी बात नहीं उठायी है इस समय। उस समय चेयर की रूलिंग उस पर साफ हो चुकी थी इसलिए उस दृष्टिकोण से भी यह ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रेस जुडिकटा है।

श्री मथुरादास माथुर : रेस जुडिकेटा नहीं है। जब एक दफा चेयर की ओर से रूलिंग हो जाती है तो फिर दुबारा उसी प्रश्न पर आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो कांन्स्टियुशन का अनुच्छेद १७६ है उसमें यह है कि हर साल, साल के शुरू में साल की शुरुआत में, गवर्नर महोदय अपना भाषण दें। इसके माने यह हुए कि अभिभाषण बजट सेशन के पहले ही दें, जिसमें सरकार की नीति का निर्धारण बताया जाय। यह हर साल के शुरुआत में और बजट सेशन के पहले भी बुलाया जा सकता है और उसमें गवर्नर महोदय सरकार की नीति विषयक अपना अभिभाषण दें।

गवर्नर महोदय का भाषण शुरु से अन्त तक पढ़ जायं तो यह साफ जाहिर होता है कि जो सम्मन्स इश्यू किये गये थे उसमें 'बजट सेशन' लिखा गया था। बजट सेशन भी साथ में है, लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया है कि जो गवर्नर महोदय का भाषण होता है उसमें सरकारी नीति और आने वाले साल में जो मोटे २ कार्यक्रम हैं उनका दिग्दर्शन होता है। अभिभाषण में आप देखेंगे तो सरकार की नीति और कार्यक्रमों का दिग्दर्शन मिलेगा। इसमें सोशियल आंब्जेक्टिव के बारे में भी कह दिया गया है। यह सेशन जो खास तौर से बुलाया जाता है वह गवर्नर महोदय के अभिभाषण के लिए होता है और यह समन्स में भी दर्शा दिया जाता है। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में सरकार की नीति, कार्यक्रम और आगे आने वाले साल के लिए कार्य क्या हो सकते हैं उनका पूरा लेखा-जोखा रहता है, सदन को इत्तला देने के लिए, सूचना देने के लिए चाहे लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, व्यक्तिगत प्रस्ताव हों, चाहे जैसे कार्य हों, उसके लिये होता है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो एतराज उठाये हैं वे उचित नहीं हैं और बूंदी से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखना चाहा है उसके लिए उनको आज्ञा चाहिये और माननीय सदस्यों को उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जैसा योजना मंत्रीजी ने कहा कि यह एतराज पिछले साल भी उठाया गया और उनका कहना यह भी था कि वैसा ही एतराज इस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

साल उसी फार्म में उठाया गया है, लेकिन पिछले अभिभाषण के कन्टेन्ट्स बिलकुल डिफरेन्ट थे और अगर सरकार का यह ख्याल हो कि गवर्नर महोदय ने उसी भाषण के कुछ तथ्यों के साथ पैरावाइज दोहरा दिया है तो यह सरकार की मान्यता हो सकती है। संविधान की धारा १७६ के तहत जो व्याख्या है वह स्पष्ट है। देश भर के लिए संसद् और राज्य के लिए असेम्बली में जनता की सर्वोच्च सत्ता निहित है। इसीलिए इनको सममन किया जाता है कि इनमें सर्वोच्च सत्ता निहित है और साल के शुरुआत में इसीलिए समन किया जाता है, इसीलिए बुलाया जाता है कि इनमें जितना बिजनेस ट्रान्जेक्ट किया जाने वाला है, बजट के बारे में हो, अथवा बिलों के बारे में हो अथवा अन्य कार्यों के बारे में हो, गवर्नर महोदय के भाषण में में उनका दिग्दर्शन हुआ करता है। इस प्रकार का गवर्नर महोदय के भाषण में कोई दिग्दर्शन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कोई एक फोर्मल डिफेक्ट नहीं है, बल्कि यह तो एक कांन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है और उसके लिए सरकार यदि कोई लुकवार्म एटीट्यूड रखे तो, अध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तम चीज नहीं है और उसके लिए पहले सरकार के लिए रूलिंग हो चुका है इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिये कि धारा १७६ के सबसटेन्टिव प्रोविजन्स को कम्प्लायेन्स किये बिना अपनी गतिविधि आगे न चलाये। सरकार का एक दिन का कार्य न रुके तब तक सरकार को इसके लिए नसीहत मिलना मुश्किल है। पिछले साल जब यह मुद्दा उठाया गया था, यह एतराज उठाया गया था उस वक्त भी बहस के बाद माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा रूलिंग दी जा चुकी है और उसके बाद ही कार्य चलाने के लिए पर्मीशन दी गई थी। तो मेरा निवेदन है कि पिछले साल के भाषण की तुलना में भी यह अपूर्ण है। लास्ट पेरा में चतुर्थ योजना के बारे में वर्णन है। अभी उसके लिए दो साल की देर है। इस साल सरकार को क्या करना है, क्या लेजिस्लेटिव कार्य होंगे, उनका इसमें ब्योरा होना चाहिये था, यह इसमें नहीं है। सरकार को आगे के लिए नसीहत दी जानी चाहिये, इसलिए आज की सदन की कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि हमारे संविधान के अनुच्छेद १७६ के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार नहीं किया हुआ है इसलिए इसको अपूर्ण माना जाय व इसमें आगे कार्यवाही न की जाय। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं गत वर्ष भी इस तरह का एक प्रस्ताव आया था आपत्ति के रूप में कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय और उस समय जो बहस हुई और उसका जो निराकरण हुआ उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था और जब उस विषय में मैंने अपना निर्णय दिया था तो मैंने भी उसमें यह कहा था कि अगर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को हम पढ़ें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संविधान के इस विशेष प्रावधान को ध्यान में रखकर बनाया हो और वही स्थिति आज है। उस समय बहस हुई थी और जो विचार आये थे उनका ध्यान रख कर अभिभाषण को बनाया जाना चाहिये। इस बात का, इस

(श्री अध्यक्ष)

बार भी ध्यान नहीं रखा गया जो कि मैं समझता हूं रखा जाना चाहिये।

अब प्रश्न यह आता है कि राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार जो समनिंग आफ असेम्बली के लिए नोटिस निकले हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि यह सेशन बजट के लिए बुलाया जा रहा है।. लेकिन अनुच्छेद १७६ संविधान का जो है उसमें केवल स्पेशल एड्रेस बाई दी गवर्नर का प्रावधान है। इसका सम्बन्ध समनिंग आफ दी असेम्बली से नहीं है। इस प्रावधान में स्पेशल एड्रेस में क्या बात होनी चाहिये, इसका उल्लेख इसमें किया गया है।

अब प्रश्न यह आता है कि जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है क्या वह स्वीकार की जाय। इस संबन्ध में गत वर्ष जो निर्णय दिया था उसमें मैंने यह कहा था कि जो यहां पर शब्द है उसमें यह है, "inform the legislature of the causes of the summons"; इसका मतलब यह मानना चाहिये कि राज्य में सार्वजनिक महत्व की जितनी घटनायें हुई हैं, प्रशासन की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से उनका उल्लेख इस अभिभाषण में होना चाहिये, उनका उल्लेख इस अभिभाषण में है, इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो आपत्ति प्रस्तुत की गई उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसके साथ ही मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि भविष्य में जब कभी भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बनाया जाय, जिसके लिये सरकार ही पूर्णतया उत्तरदायी है इस संबन्धी जो प्रावधान विशेष है उसका अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये। अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसको हम देखते हैं तो उसमें उन तमाम बातों का समावेश होता है, उस सेशन में क्या क्या विधायी कार्य होंगे उन सब विधेयकों का नाम तक होता है, इस प्रकार की सारी व्यवस्था होती है ताकि सभी को मालूम हो जाय कि सरकार इस सत्र में क्या क्या कार्य करना चाहती है। उन सबका उल्लेख संविधान के प्रावधान के अनुसार होना आवश्यक है। इसलिये मैं आपत्ति को अस्वीकार करते हुए माननीय सदस्य को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जिस प्रकार का संविधान में उल्लेख है उसको ध्यान में रखते हुए अभिभाषण को प्रस्तुत करने में सुधार किया जायगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस बार भी मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो आपत्ति अस्वीकार कर दी गई, नहीं तो यह भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपत्ति के विषय में माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है, उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वर्ना यह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : संविधान में कौनसा क्लॉज डाइरेक्टरी है और कौनसा मेन्डेटरी। अनुच्छेद १७६ का जो प्रथम पैरा है वह मेन्डेटरी है और सैकिण्ड पोर्शन जो है वह डाइरेक्टरी है। एक सेक्शन में दो बातें हो सकती हैं। मेण्डेटरी और डाइरेक्टरी; यह देखने की बात है। लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है, इसलिये मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय ने हमें अवसर दिया है कि हम राज्य सरकार की रीति-नीति के बारे में विश्लेषण करें, उसकी विवेचना करें। इसके साथ साथ हम यह भी विचार करें कि इस साल में क्या क्या अच्छाइयां हुई हैं, क्या क्या बुराइयां हुई हैं, इन सबके बारे में हम अपने विचार प्रगट करते हुए सरकार को मौका दें कि जो खराबियां हुई हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाय ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण इस समय सदन के सम्मुख है उस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है उन सबके लिये मैं बहुत मुबारिकबाद देता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण की शुरूआत में इस बात का दिग्दर्शन कराया है कि लोकतन्त्रीय आधार पर समाजवादी समाज का निर्माण होता रहे, राज्य सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सतत् प्रयत्नशील है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो उद्देश्य है लोकतन्त्रीय आधार पर समाजवादी समाज की रचना का, उसके लिये जो रास्ता दिया है वह एक समयोचित रास्ता है इसके आधार पर समाज को ठीक करने के लिये, सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये दूसरा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। इसमें यह निहित है कि अगर हम समाज की तरक्की कर सकते हैं, अगर राष्ट्र की तरक्की कर सकते हैं तो यही रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सारे भेदभावों को भुलाकर समाजवादी समाज कायम करने का यही एक तरीका है। इसी तरह से राज्यपाल महोदय ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम पूंजी पर नियन्त्रण रखें, पूंजी को कुछ लोगों के हाथों में जाने से रोकें जिसका स्पष्ट संकेत इस अभिभाषण के पैरा ४ में किया है, जो इस प्रकार है :

> "सरकार वचनबद्ध है कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा नागरिकों की व्यक्तिगत आय को बढ़ायें, कुछ हाथों में सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को रोकें और समाज के दुर्बल और साधन विहीन वर्गों की रक्षा करें।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे भाषण का सार इस पैरा ४ में है। सरकार की सारी नीति का सार इसी में है। मुझे बड़ी खुशी है कि यह नीति स्पष्ट रूप से अपनाई जा रही है। राजस्थान प्रदेश जो वर्षों से पीड़ित रहा है उसमें शोषित और गरीब गरीब ही है तथा पूंजीवाला और ज्यादा पूंजीवाला बन गया है। हम यदि राजस्थान के इन पन्द्रह सालों के पहले के शासन को देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय का शासक नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनका केवल उद्देश्य था अपने खुद के लिये अपने व्यक्तियों के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त करना। वह समाज को अपना एक अंग नहीं समझता था जिनका जनता के साथ संबन्ध नहीं था। यह उस समय का वातावरण था जबकि शासक को ही अन्नदाता समझा जाता था और उसी तरह से शासक लोग अपने आपको अन्नदाता मानते थे। छोटी रियासतें जो थीं वे खत्म हुई, बड़ी भी खत्म हुई, और उसके बाद राजस्थान में जिस प्रकार का शासन आया उससे हमें सन्तोष है और हम यह आशा करके चलते हैं कि राजस्थान का भविष्य आगे और भी उज्ज्वल आने वाला है। राजस्थान की इन पन्द्रह सालों में जो प्रगति हुई है और आगे होने जा रही है उसके लिये हमें प्रसनता है।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, केवल इन्हीं बातों का उल्लेख करके इस भाषण को समाप्त कर दिया हो, यह बात नहीं है। इससे भी आगे और कदम उठाने के लिये तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा ३६ को हम पढ़ते हैं तो उसमें यह स्पष्ट है जो भविष्य में कदम उठाने जा रहे हैं उसका उल्लेख उसमें है, उस प्रकार का कदम उठाया गया तो राजस्थान में खुशहाली आ जायगी और लोगों को समाजवादी समाज की रचना का जल्दी से जल्दी मौका मिलेगा और समाजवाद की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। पैरा ३६ में राज्यपाल महोदय कहते हैं :

"योजना बद्ध समाजवादी अर्थतन्त्र में पब्लिक सेक्टर का महत्व किसी से छिपा नहीं है। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों का विस्तार बढ़ाया जावे। इसके लिये एक वरिष्ठ अधिकारी के देखरेख में एक स्वतंत्र विभाग खोला गया है। सरकार ने निश्चय किया है कि निर्माण कार्यों के कार्यक्रमों से बिचौलियों को हटा दिया जाय। सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा सिंचाई विभागों को हिदायत दी गई है कि वे अधिकाधिक विभागीय रूप से निर्माण कार्यों को हाथ में लें और खान विभाग को आज्ञा दी गई है कि वह खानों की रायल्टी ठेकेदारों के मार्फत वसूल करने में उत्तरोत्तर कमी करें।"

मैं समझता हूं, जो यह पेराग्राफ है उसमें आगे आने वाले समय का निर्देशन दिया गया है वह हमारी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। इस नीति के अन्तर्गत आज राजस्थान में जितने उद्योग धन्धे हैं वे सभी पब्लिक सेक्टर में नहीं हैं; हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हों। जिनके हाथों में पूंजी है वे व्यापार और धन्धों को मोनोपालाइज़ किये हुए हैं। आज ठेकेदारी प्रथा से जहां राज्य सरकार को नुकसान होता है वहां मजदूरों को भी फायदा नहीं मिलता।

इन बिचौलियों के खत्म हो जाने से मुनाफा राज्य सरकारों को मिलेगा और इससे आम जनता को फायदा होगा, यह सिद्धान्त की बात है। साथ ही मैं इस बात पर धन्यवाद देता हूं राज्यपाल महोदय को कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अभी ऊपरी सतह तक ही पहुंच पाये हैं। पर हमारे प्रयत्न तेजी और दृढ़ता से इस ओर हैं और काफी सजग हैं, जैसा उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में जिक्र किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, बिल्ली रास्ता काट गई है। यह तो धन्यवाद में बदशकुनी हो गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : खुद बिल्ली पकड़ कर लाये दीखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके और वक्ता के बीच में से होकर गुजरी है।

श्री निरंजनाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : यह कैसे आई ? आपके इल्म में होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमने यह भी स्वीकार किया है कि राज्य के दुर्बल अंगों को ऊंचा उठाया जावे। हमने प्रगति की दिशा में जो रुख अख्तियार किया है अगर उस तरफ हम इसी तरह चलते रहे तो राजस्थान में और देश में हम एक दिन शीघ्र ही समाजवाद स्थापित करने में कामयाब हो जायेंगे। पर रास्ते में रुकावटें हैं, जिनसे भी हम गफलत में नहीं हैं, हमें उनका मुकाबला करना होगा। वे रुकावटें वेस्टेड इन्टरेस्टों की है, बहुत कुछ तो जिन्होंने दलित वर्ग का शोषण किया है, जिन्होंने समाज को, समाज के दुर्बल अंग को ऊपर नहीं उठने दिया। जो अपने स्थानों के लिये बड़े बड़े महलों में रहते थे और आज वे ही लोग अपने निहित स्वार्थों के लिये पैरवी करते हैं, अपने आपको और जनता को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, वह आ भी नहीं सकेगा इस देश में, तो व्यक्तिवाद रहना चाहिये, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहनी चाहिये चाहे वह बिज़नेस में हो, इन्डस्ट्री में हो, कहीं हो। अब यह तो वक्त ही बतायेगा कि इस देश में क्या रहेगा। पर आज देश में मांग है कि जल्दी से जल्दी समाजवाद लाया जाये। जल्दी से नीचे गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाया जावे, देश को समृद्ध बनाया जावे और इसका एक मात्र रास्ता समाजवाद है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : आप व्यक्तिगत स्वतन्त्रा के खिलाफ हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : व्यापार और इन्डस्ट्री के खिलाफ हैं। इस मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी को खत्म करना जरूरी है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां हमने इन्डस्ट्री में स्टेट सेक्टर को महत्व दिया है वहां हमें उस रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिये। जैसे डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना हमने स्थापित किया और रोडवेज़ का काम चला रहे हैं। पर पता नहीं इस भाषण में यह कैसे आया कि आप रोडवेज़ का कार्पोरेशन बना रहे है। मैं नही समझता कि कार्पोरेशन से क्या फायदा होगा, वहां आज रोडवेज़ का सारा मुनाफा सरकार को मिल रहा है, कोर्पोरेशन बन जाने से वह मुनाफा बंट जायेगा। अब उस कोर्पोरेशन की क्या शक्ल होगी, उसमें स्टेट के कितने शेयर होंगे,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

प्राइवेट बस ग्रोनर्स के कितने होंगे, वह डिटेल की बात है। पर पहले मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कोर्पोरेशन की तरफ बढ़ना गलत चीज होगी। वह हमारी कमजोरी होगी। जो सरकारी अधिकारीगण आज रोडवेज का काम चला रहे हैं उनके बारे में वह मानना होगा कि वे मेनेज नहीं कर सके हैं। मैं इसे दिल की कमजोरी मानता हूं। रोडवेज से आज सरकार को जबर्दस्त मुनाफा हो रहा है और भी आगे, इससे भी अधिक हो सकता है। सरकारी आदमी उसकी व्यवस्था भी अच्छी तरह चला रहे हैं और आगे भी चला सकते हैं। जब सरकार शासन चला रही है, तो रोडवेज को अच्छी तरह चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिये मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह से स्टेट सेक्टर में चलने वाली जितनी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनमें सदन के सदस्यों को भी लेना चाहिये और दूसरे अनुभवी लोगों को भी लेना चाहिये और इस तरह से इनका एक बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की तरह की एक चीज बना कर उसके जिम्मे में काम सौंप देने चाहिये। आज इस पालिसी की पार्लियामेन्ट में भी बहस हो चुकी है। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि पब्लिक सेक्टर को इन्डस्ट्रीज के कन्ट्रोल और मेनेजमेन्ट के लिये हमें सदन के सदस्यों को भी विश्वास में लेना चाहिये ताकि हम इसे और अच्छी तरह कार्मशियल ढंग से चला सकें। इसलिये चूंकि मुख्य मन्त्रीजी आये हैं, मैं इस विचार की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिये इस बात को और दोहराना चाहता हूं कि कार्पोरेशन के ज़रिये रोडवेज को चलाना सख्त गलती होगी। यह समाजवाद के लिये एक कमजोरी की निशानी होगी। इसलिये इसको किसी तरह से कोर्पोरेशन नहीं बनाना चाहिये। इससे मुनाफे का डिविज़न हो जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डिविज़न कैसे हो जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्राइवेट लोगों के शेयरों में चला जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : यह कोर्पोरेशन सेन्ट परसेन्ट स्टेट का ही होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : No share of the Public ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो पहले आप स्पष्टीकरण ले लेते, बेकार इतना सदन का समय जाया किया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी संकटकाल में हमारे यहां तैयारियां हुईं, होम गार्ड बनाया, सुरक्षा दल बनाया, फौजी तैयारियां हुईं, बटालियनें रेज कीं, दो बटालियनें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजीं; इन सबके लिये हम राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा देश आज जिस संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहा है उसमें हमें बराबर सतर्क रहना है। न जाने कब चीन आक्रमण कर बैठे और किसी तरफ से कुछ हो जाय; तो इसलिये हमें अपने आपको बराबर सतर्क

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रहना है। हमें इस दृष्टि से अपने आपको मजबूत बनाना है।

आगे कानून और व्यवस्था का जिक्र किया गया। कई डाकुओं के सफाये का जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया, वह खुशी की बात है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : बड़े डाकू तो बैठे हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : आप बैठे रहिये, हम इन्कार थोड़े ही करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : और भी शामिल हो रहे हैं, आपकी महरबानी से, नये नये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे समाज में नये नये डाकू पैदा होते हैं, पर मारे जाते हैं। डाकू पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। यह तो सिलसिला जारी ही रहेगा जब तक कि हम इस समाज को ठीक नहीं करेंगे और इसके लिये मैं खास तौर पर हमारी सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों के पहले कोटा डिस्ट्रिक्ट के रायतान गांव में से कुछ लोगों को डाकू उठा कर ले गये और कई लाख रुपया देने के बाद उनको छुटकारा मिला। आज की परिस्थिति में ऐसी चीजें होना ठीक नहीं हैं, लेकिन हम बहुत प्रयत्नशील हैं इसके लिये और उसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इस ओर और ज्यादा कामयाबी के साथ काम करना चाहिये ताकि इस प्रकार की घटनायें हमारे इस राजस्थान में न हों।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में आज की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए जो हमारे इन्तजामात हैं फेमिन के सिलसिले में, राहत कार्यों के सिलसिले में, मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सिलसिले में, उसका जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां हर १० साल में इस प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है और इन १० सालों में एक या दो साल ऐसे हो जाते हैं जिनमें भयंकर अकाल होता है। इस साल भी बर्षा की कमी के कारण, फसलों में कमी के कारण ऐसी परिस्थिति आई हैं और इस परिस्थिति का सरकार मुकाबिला कर रही है। मैंने भी कुछ जगह जाकर देखा है कि जहां घास बिल्कुल नहीं मिलती है, पानी बिल्कुल नहीं मिलता है वहां पर इन्तजाम किए हुए हैं। मवेशियों को मारवाड़ से कोटा डिवीजन में ले जाने के सिलसिले में या राजस्थान नहर की तरफ मजदूरों को ले जाने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं वे सराहनीय है। जितने भी इन्तजाम मोबाइल वान के जरिये मवेशियों की चिकित्सा के सिलसिले में हुए हैं यह इस साल नयी चीज देखने को मिली है और यह सराहनीय कार्य है। इसके अलावा और लोग जो उधर गए हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है, उन्होंने भी इस प्रयत्न को बहुत सराहा है और इस साल जो इन्तजामात हुए वे पिछले साल से बहुत अच्छे इन्तजामात थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कि यह राष्ट्रीय पैमाने की चीज है और वह भारत सरकार से इस बारे में कार्यवाही की जा रही है। एक बड़े पैमाने पर कुए खुदवाने और पीने के पानी के व्यवस्थान के लिए प्रबन्ध किया जाये। मैं राज्यपाल महोदय की इस चीज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यह अकाल की परिस्थिति राजस्थान में एक बिरलापन रखती है। इसका एक हिस्सा जहां राजस्थान है दूसरे हिस्से में पहाड़ियां हैं, एक हिस्से में बारिश होती है दूसरे हिस्से में बारिश नहीं होती है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर इधर उधर जाते है, इसलिए उनको बहुत तकलीफ होती है। राज्यपाल महोदय ने यह जिक्र किया कि इतने लोग अपने मवेशियों के साथ दूसरी जगह चले गये हैं और अपने घरों पर नहीं हैं इसलिये पंचायतों के चुनाव कराना नामुमकिन हो गया। यह बिल्कुल ठीक है। आज राजस्थान को इस परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये राष्ट्रीय योजना स्तर पर इसकी तैयारियां करनी चाहिये और हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिये मजबूर करना चाहिए कि राजस्थान का खास तौर पर ध्यान रखा जाये और राष्ट्रीय पैमाने पर पीने के पानी के कूओं की, खेती के लिए पानी की और अकाल की परिस्थिति से बचने के लिए उनको इधर उधर न जाना पड़े इस बारे में बड़े पैमाने पर योजना बनाई जानी चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो भारत सरकार को कहा है और भारत सरकार का इस ओर ध्यान गया है तो कुछ अर्से में यह योजना कार्यान्वित हो जायेगी, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर हमारी सरकार का बहुत जल्दी से ध्यान जाना चाहिये और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को मजबूर करना चाहिये कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कोई कामयाबी के साथ कदम उठाया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के साथ साथ मंहगाई का ओर अनाज की कमी का जिक्र जो राज्यपाल महोदय के भाषण में हुआ है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वास्तव में यह बात ठीक है कि आज के दिन मंहगाई बहुत जबरदस्त बढ़ती हुई चली जा रही है। पैदावार इस साल कम हुई बताते हैं और लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता है। सरकार ने जो व्यवस्था चीप ग्रेन शोप्स की की है वह व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और उससे जिन लोगों को राहत पहुँचनी चाहिये थी उनको वास्तव में राहत पहुंची है लेकिन इस व्यवस्था में मैं समझता हूं कि और भी प्रगति होनी चाहिये। अधिक से अधिक कब तक अनाज जो फोरिन से आया हुआ है उसको मंगवा कर लोगों को खिलाते रहेंगे और मेरी मान्यता है कि इसके अलावा राजस्थान में कोशिश की जाये तो लोगों के पास गल्ला मिलेगा, काश्तकारों के पास भी मिलेगा और व्यापारियों के पास भी मिलेगा और भण्डार मिलेंगे जिसमें से गल्ला यहां पर दिया जा सकता है। उसमें यदि हम प्रयत्नशील रहे और थोड़ा सख्ती के साथ बर्ताव करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। यह बात जरूर है कि काश्तकारों को परिस्थिति अच्छी हो जाने से और आगे का मुकाबिला करने के लिए उसके अपने पास अनाज रखा हुआ है और उसके साथ ही साथ गांवों में उनकी अपनी जरूरि-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यात को वे पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़े बड़े लोग हैं; उनके पास आज गल्ला मौजूद है जिसको निकाले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ हमारी वितरण व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये और हमारा एप्रोच एक ह्यूमन एप्रोच होना चाहिये। हमारे यहां आज बहुत से ऑफिसर्स हैं उनको राजस्थान का तजुर्बा नहीं हैं, बेचारे बाहर से आये हुए हैं। कोई यू० पी० से आया है, तो कोई मद्रास से और कोई कहीं से आया है उनको राजस्थान की परिस्थितियों से जानकारी करने के लिए काफी अर्सा लगेगा। वे गलतियां करते हैं और गलतियां करने के साथ साथ उससे जनता में तकलीफ होती है। मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में कई वैगन्स गुड़ के भिजवा दिये गये जब कि वहां पर गुड़ की खपत होती नहीं है। अब वहां गुड़ बिकता नहीं है तो उसके लिए हुक्म दिया गया कि वहां इस गुड़ को रिलीज़ कर दिया जाना चाहिये। वह गुड़ वहां रिलीज़ किया जाता है तो इससे करप्शन फैलता है। मैं इस रिलीज़ करवाने की नीति का सख्त विरोध करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जहां गुड़ की कमी है वहां पर इसे भिजवा दिया जाये। वहां पर रिलीज़ करने से मुनाफाखोरी होगी और वितरण व्यवस्था में खराबी आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी चीजें जहां काम नहीं आती हैं उनको जल्दी से जल्दी संभाल कर दूसरी जगह दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह से बाहर से जो गुड़ आता है उसके भाव के बारे में भी बहुत से लोगों में शिकायत है। यू० पी० में कुछ भाव है और राजस्थान में उसी का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है. इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं इस बात की सराहना करते हुए कि इन्तजाम किये जा रहे हैं और मंहगाई को भी रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं और इस मंहगाई को रोकने के लिए उसका मैं एक मात्र इलाज निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इलाज है और उसके लिए वातावरण बन चुका है कि हम फूड ग्रेन्स के स्टेट ट्रेडिंग को इन्ट्रोड्यूज करें। इसका काम सारा स्टेट के हाथों से हो, मुनाफाखोर बन्द हों और बिचौलिये बन्द हों और उसके वितरण की व्यवस्था भी सरकार के हाथों में हो। अगर ऐसा हुआ तो हम समाजवाद के निकट पहुंचेंगे। यह एक आवश्यक कदम है जिसको सरकार को उठाना चाहिये और इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और गांव का बिचौलिया हमारे खिलाफ हो जायेगा, हमसे नाराज हो जायेगा इसकी परवाह नहीं करते हुए लोगों को राहत देने के लिए जरूरी है कि फूड ग्रेन्स की व्यवस्था सरकार को स्टेट ट्रेडिंग के जरिये करनी चाहिये। इससे समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। अगर ठीक तरह से इन्तजाम करके चलेंगे तो लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे और तरक्की के रास्ते पर जनता को ले जा सकेंगे।

(१२ मध्यान्ह)

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, अध्यक्ष महोदय, कि भाखरा का काम पूरा हो चुका,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ग्रौर राणा प्रताप सागर के बांध का काम बहुत जोरों के साथ चल रहा है। मैं सिंचाई के बारे में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण में इस प्रकार के ग्रांकड़े जरूर ग्राने चाहिए थे कि गत वर्ष में कितना टार्गेट बनाया था सिंचाई के लिए ग्रौर उसमें से ग्रब तक कितनी सिंचाई कर चुके हैं, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ इस बात को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया इसके कारण में मैं जाना नहीं चाहता। गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने ग्रपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि माध्यमिक योजनाग्रों को इतने टार्गेट पर पहुंचायेंगे— "इस प्रकार ऐसे कदम उठाये गये हैं कि ६३-६४ में १२,००० एकड़ से ग्रधिक भूमि ग्रौर ६४-६५ में १८,००० एकड़ से ग्रधिक में माध्यमिक परियोजनाग्रों से सिंचाई की जा सके।" इस प्रकार के ग्रांकड़े गये वर्ष में दिये गये थे। अच्छा होता कि उस टार्गेट को कहां तक पूरा किया गया है, इसके बारे में इस भाषण में जिक्र होना चाहिए था।

थोड़े ही दिन पहले राणा प्रताप सागर बांध देखने का मुझे मौका मिला। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वहां पर कितनी ग्रच्छाई से चल रहा है, ग्रौर जिस ग्रच्छाई के साथ हो रहा है ग्रौर जो टैकनिकल ग्राफिसर्स वहां पर काम कर रहे हैं। वे कितनी लगन के साथ काम कर रहे हैं, यह वास्तव मे एक सराहनीय बात है, ग्रौर मैं इसकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान में बिजली की मांग ग्रधिक से ग्रधिक बढ़ती हुई चली जा रही है। हमने काफी गांवों में बिजली दी है तथा ग्रौर देने का इरादा रखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध बन जाने पर हमारी इन्डस्ट्रीज् को काफी बिजली मिलनी शुरू हो जायगी। इस बात का भी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि रेट्स के बारे में एक कमेटी बैठा दी है ग्रौर उन्होंने डीजल के लिए ग्रौर दूसरी बिजली के लिए ग्रलग-ग्रलग रेट्स मुकर्रर किये हैं, लेकिन मैं सरकार का ध्यान एक बात की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है कि बिजली कोस्ट प्राइस से नीचे के प्राइस पर भी इन्डस्ट्रीज् को दी जाय ग्रौर साधारण कन्ज्यूमर को उसका भार उठाना पड़े। मुझे इत्तिला है कि कई इन्डस्ट्रीज् को कोस्ट प्राइस से कम प्राइस के ऊपर यहां की बिजली दी जाती है ग्रौर उसका खमियाजा कन्ज्यूमर को उठाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कन्ज्यूमर पर ही उसके ग्रसर को रखना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि इन्डस्ट्रीज को यहां पर लगाना है। उससे रोजगार मिलता है, उससे फायदा होता है, लेकिन साथ ही साथ कन्ज्यूमर जो यहां का गरीब नागरिक है उसको बिजली पहले से सस्ते दामों पर नहीं मिले तो वास्तव में उसमें एक ग्रसन्तोष की भावना पैदा होती है ग्रौर वह वास्तव में एक सही बात है।

इसी तरह से यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में बिजली की उपयोगिता ग्रधिक हो, जहां बिजली से ज्यादा सिंचाई हो सकती है ग्रौर जहां बिजली से कुग्रों पर पम्प लगा कर हमारी पैदावार को

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं निवदेन करना चाहूंगा कि चम्बल के क्षेत्र में जहां कि नहरें पहुंचती हैं उससे तो वास्तव में पैदावार में वृद्धि हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां चम्बल का पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके नजदीक हैं और वहां के लोग उतने वाटर-माइन्डेड हो गये हैं कि वे चाहते हैं कि उनके यहां कुओं से अच्छी सिंचाई होती है और खर्चा बहुत लगाना पड़ता है तो उन्होंने मांग की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर बिजली पहुंचाई जाय। और सरकारी योजना के मुताबिक कुए हों, उनके सर्वे के मुताबिक हो तो वहां बिजली सप्लाई की जा सकती है। तो वहां पर क्यों नहीं बिजली की सप्लाई की जाती है। मैं खास तौर से उस क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि चम्बल की लैफ्ट केनाल के ऊपर जो क्षेत्र है जिसमें तालेड़ा तहसील के बहुत सारे गांव आते हैं, उस क्षेत्र के अधिकतर लोगों की मांग यह है कि वे कुओं के लिए बिजली लेना चाहते हैं। उससे पैदावार बढ़ेगी और बिजली सप्लाई की जानी चाहिए। उसकी वहां सख्त जरूरत महसूस की जाती है।

इसी तरह से बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादातर सिंचाई का एरिया है, जहां कि नहरें काफी हैं, लेकिन नैनवा तहसील एक ऐसी तहसील है जिसमें काफी तादाद में कुए हैं, और वहां यदि बिजली पहुंचाई जाय तो उससे उनकी वहां की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। उससे हमारे देश की पैदावार बढ़ने में, वहां के साधन बढ़ाने में, वहां की गरीबी दूर करने में काफी हद तक मदद पहुंच सकती है।

इन्डस्ट्रीज के बारे में मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान में उद्योगों का बहुत विस्तार हो रहा है और कई नई-नई इन्डस्ट्रीज खुल रही हैं, लेकिन इसमें एक बात खटकती है, वह यह है कि जहां राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पब्लिक सेक्टर का जिक्र किया है, सोडियम सल्फेट की फेक्टरी डीडवाने में कायम करने का जिक्र किया है, पलाना में लिग्नाइट की खोज का जिक्र किया है, लेकिन इस भाषण में हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कि आगे आने वाले सालों में स्टेट सेक्टर में इतनी इन्डस्ट्रीज चलाना चाहते हैं जिससे हमारे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में हम आगे बढ़ सकें। आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी और जहां जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं उन सबको पब्लिक सेक्टर में चलायें, और इससे हम उन साधनों की पूर्ति करें, जो हमारी स्टेट के साधन हैं। आज विरोध इस बात का है कि टैक्सेशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए नोन-टैक्स-रेवेन्यू की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। नोन-टैक्स-रेवेन्यू बढ़ाने के साधन हमारी इन्डस्ट्रीज हैं, हमारी माइन्स हैं, जिनसे कि राज्य की आमदनी बढ़ सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी उन साधनों का उपयोग करते हुए हम अपनी आमदनी को बढ़ायें और बिना किसी टैक्स के लगाये ही अपनी रेवेन्यू को बढ़ायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने मंहगाई का जिक्र करते हुए इस बात की यहां पर घोषणा की कि राज्य

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सरकार ने ५ रु० की मंहगाई-भत्ते में वृद्धि हमारे यहां राज्य सरकार में लगे हुए श्रमिकों के लिए की है और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जो राजस्थान में श्रमिक काम करते हैं, उनके बारे में भी जो हमारे यहां की इन्डस्ट्रीज के मालिक हैं वे भी इस बात की व्यवस्था करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में काम करने वाले मजदूरों को जो पांच रुपये दिये हैं तो पांच रुपये की वृद्धि में समझता हूं कि नाकाफी हैं आज की इस मंहगाई को देखते हुए, जब कि खुद राज्यपाल महोदय ने मन्जूर किया कि हमारे यहां कोस्ट आंफ लिविंग के इन्डेक्स में ३९ पर्सेन्ट की वृद्धि हुई हैं जो कि यहां के फीगर्स के मुताबिक हैं। मैं यह बात मानता हूं कि ठीक तरह से कोस्ट आंफ लिविंग के इन्डेक्स फीगर्स तैयार किये जायं तो ५१-५२ के मुकाबले में जो १६० पोइन्ट कोस्ट आंफ लिविंग इन्डेक्स गया है वह ज्यादा होगा। उस जमाने में जो चीजें मिलती थीं वे आज नहीं मिलती हैं और न मजदूरों का रहन-सहन वैसा है। उसमें अन्तर हो गया है। मजदूरों के स्टैण्डर्ड आंफ लिविंग में अन्तर हो गया है। उस वक्त जो कोस्ट आंफ लिविंग इन्डेक्स बनाये जाते थे तो अब मजदूर गेहूं को कोस्ट इन्डेक्स फीगर में आनी चाहिए। यहां के मकानों को दरअसल में लिया जाय तो जहां १ रुपये किराया लगता था वहां अब ७ रुपये किराया देना पड़ता है, पानी और बिजली का खर्च अलग है। इसलिए कोस्ट आंफ लिविंग के इन्डेक्स के लिए मैं समझता हूं कि जो सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है वह अच्छा है, उसका मैं स्वागत करता हूं और जल्दी से जल्दी उस कमेटी को चाहिए कि कोस्ट आंफ लिविंग के इन्डेक्स का किस तरह से उनकी पगार के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय जिससे कि मजदूरों को राहत मिल सके। इस प्रकार से जल्दी से जल्दी उसके बारे में कदम उठाया जाना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में एमर्जेन्सी आने की वजह से मजदूरों ने अपना असन्तोष अपने दिल के अन्दर दबाया। मजदूरों ने अपने आपको इस लायक साबित किया कि उन्होंने पैदावार को बढ़ाया है और पैदावार के बढ़ने से देश को योजनाओं को फायदा पहुंचाया है। मजदूरों ने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लेकिन उससे मालिकों को प्रोफिट मिला। उसके बावजूद मजदूरों को क्या मिला? मजदूर यह सोचता है कि वह जो पैदावार बढ़ाता है, उससे जो प्रोफिट होता है उसमें से उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो पैदावार बढ़ाने से क्या फायदा होगा?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): मजदूरों से आपका क्या सम्बन्ध?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आपको इस विषय में जानकारी नहीं है। हमने अपनी जिन्दगी इनमें खपा दी है।

श्री जयनारायण सालेदिया (निवाई): आपकी स्थिति मजदूरों जैसी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आज के दिन उस मुनाफे में से यदि उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता है और सिद्धान्ततः इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो उनमें असन्तोष रहेगा। राजस्थान में कई उद्योग

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ऐसे हैं जिनमें मजदूरों ने रात-दिन काम किया है, लेकिन उनके मालिकों ने आज तक उनकी परवाह नहीं की, उन्होंने एग्रीमेंट की परवाह नहीं की, उन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की है, मजदूरों को ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम मजदूरों के क्षेत्र में आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। आर्बिट्रेशन के साथ में यह कहूंगा कि पंच फैसला कराया जाना चाहिये और हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट को भी इस पोलिसी को स्वीकार करना चाहिये। जब जब स्टेट गवर्नमेंट और मजदूरों के बीच में बात आवे तो आर्बिट्रेशन के जरिये तय कराया जाय। इससे और लोगों को भी बल मिलेगा और हमारे यहां पर औद्योगिक शान्ति को कायम रखने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा का जिक्र करते हुए हमारे यहां पर पुराने जमाने में शिक्षा पर जो खर्चा होता था उसकी तुलना आज जो खर्चा होता है उसके आंकड़ों से की। राज्यपाल महोदय ने हमारे यहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के बारे में चर्चा की है। मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षा के आंकड़ों में काफी खर्चा बढ़ा है, पहले जहां १ करोड़ रुपये खर्च होते थे वहां अब १० करोड़ रुपये खर्च होते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि राजस्थान में राजस्थान युनिवर्सिटी के अलावा दो और युनिवर्सिटीज, जोधपुर और उदयपुर में खुली हैं। लेकिन हमारे एज्युकेशन डिपार्टमेंट का और दा साहब का ध्यान शायद इन दिनों जोधपुर युनिवर्सिटी की ओर नहीं गया है। मुझे इन दिनों जोधपुर में रहने का मौका मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि जोधपुर युनिवर्सिटी साल भर तक इसी तरह चलती रहेगी तो उसका दिवाला निकल जायगा। अभी वहां तक फीस मंहगाई है जुलाई तक····

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : दिवाला किसका निकल जायगा। (अवरोध)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के भाषण का प्रवाह नहीं तोड़ें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपनी अपनी अक्ल का फर्क होता है।

जोधपुर युनिवर्सिटी में माननीय अध्यक्ष, आज जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं उनको देखने से यह ख्याल होता है कि आखिर क्यों इस प्रकार की आटोनोमस बोडीज कायम की जाती हैं ? क्या इसलिये कायम करते हैं कि बाहर से लोगों को बुलाकर उनकी पेट भराई की जाय ? वहां पर उन्होंने अपने अपने साथियों को और दूसरे लोगों को राजस्थान के लोगों के बजाय बुला कर बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी हैं। जो तनख्वाहें उनको पहले मिलती थीं उनसे चार-पांच गुना ज्यादा देने के बावजूद भी वहां की हालत ठीक नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज का झगड़ा तो मशहूर झगड़ा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां से गरड़े साहब ने क्यों इस्तीफा दिया ? वे क्यों वहां से गये ? इस तरह की पोलिटिक्स वहां पर चलती है।

गोरखपुर, लखनऊ, बनारस आदि स्थानों से छोटे छोटे रीडर्स या जो वहां पर लेक्चरार्स थे उनको यहां पर बुलाकर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर मुकर्रर किया है। क्या राजस्थान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में ऐसे आदमी नहीं मिलते थे ? इस युनिवर्सिटी के बजट और खर्चे की तरफ तो देखिये। राजस्थान के लोगों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है या हुआ है उसकी तरफ देखिये। आज वहां पर रोज पर्चेबाजियां हो रही हैं। एक प्रोफेसर दूसरे के खिलाफ पर्चेबाजी करता है, लड़के प्रोफेसर के खिलाफ पर्चे निकालते हैं। वहां पर पढ़ाई के बजाय पोलिटिकल एटमोस्फियर हो रहा है जिसको चैक करना बहुत जरूरी है। मैंने दर्शन तो नहीं किये हैं उस युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर महोदय के, लेकिन कई लोगों से सुना है कि उनकी वृद्धावस्था के कारण, ६०-६५ साल की अवस्था होगी उनकी, उनसे हिला-डुला नहीं जाता और जो दूसरे लोग कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। वहां की हालत यह है कि एक अदर एडवोकेट वहां पर प्रेक्टिस करते थे, १२-१३ साल पहले उन्होंने एम. ए. पास किया होगा, उनको डॉक्टरेट मिल जाता है। वहां के एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनका नाम शायद रसाल साहब है, उनके कारण उनको एक ही साल में डॉक्टरेट मिल जाता है और उसके बाद वहां पर उनको अपोइन्टमेंट मिल जाती है और ६-७ इन्क्रीमेंट मिल जाते हैं। जिस युनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड अभी से ऐसा है, जहां पर साल भर की पढ़ाई के बाद डॉक्टरेट मिल जाता है उस युनिवर्सिटी के बारे में हमारी हिन्दुस्तान की और युनिवर्सिटीज और दूसरे लोग क्या कहेंगे ? आवश्यकता इस बात की है कि इस युनिवर्सिटी के लिये एक जांच कमीशन बैठाया जाय। उसके वहां पर जो अपोइन्टमेंट्स हुए हैं उनकी जांच करवाई जाय, जिस कदर वहां पर खर्चा हो रहा है उसकी जांच करवाई जाय, जिन लोगों को तनख्वाहें ज्यादा दी गई हैं उनके बारे में जांच कराई जाय। इसकी हालत को देखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की ओटोनोमस बोडी नहीं बनानी चाहिये। इसका कन्ट्रोल सरकार के पास होना चाहिए। सरकार इसमें पैसा देती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, वह पैसा पढ़ाई में खर्च होने के बजाय और बातों में ज्यादा वेस्ट होता है। जो पैसा इस तरह से वेस्ट किया जाता है वह बन्द होना चाहिये।

आज राजस्थान में हमारे राज्यपाल महोदय ने संस्कृत युनिवर्सिटी कायम करने की बात कही है। मैं संस्कृत का वैसे तो बहुत प्रेमी हूं, संस्कृत पढ़ा भी हूं, खानदान से भी संस्कृत चली आती है; लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान युनिवर्सिटी और जोधपुर युनिवर्सिटी में संस्कृत फैकल्टी कायम करके देखा है। कितने विद्यार्थियों की डिमाण्ड है, कितने विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं ? यदि इन युनिवर्सिटीज़ में कोई संस्कृत की सीट कायम नहीं की है, कोई फैकल्टी नहीं है तो क्या उपयोग होगा कि संस्कृत युनिवर्सिटी कायम की जाय। आज आवश्यकता इस बात की है क्या कि यहां पर संस्कृत युनिवर्सिटी कायम की जाय, कालान्तर में इसकी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आज तो कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। आज युनिवर्सिटी कायम करके हाथी बांध देने के अलावा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं, इसमें पैसा खराब नहीं करना चाहिये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यहां हाथी किस जंगल में होते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बूंदी में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : घबराते क्यों हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये पूछ रहे थे कि यहां पर हाथी किस जंगल में पाये जाते थे; मैंने कहा बूंदी में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि एक बहुत बड़ा रेकेट चलता है बड़े शहरों के अन्दर और वह है मेडिकल रीइम्बर्समेंट का। सरकार ने मेडिकल फेसिलिटीज दी हैं कर्मचारियों को। लेकिन आज तक शायद इस बारे में कोई अकाउन्ट नहीं है कि कितना पैसा मेडिकल रीइम्बर्समेंट में किस किस डिपार्टमेंट में खर्च हुआ। मेडिकल रीइम्बर्समेंट से तजुर्बा यह है कि इससे लोग पैसा बनाते हैं और करप्शन बढ़ाने में मदद मिलती है; इसके सिवाय कोई फायदा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल रीइम्बर्समेंट के बजाय आप अस्पतालों में अच्छी से अच्छी दवाइयां रखदें और वहीं से दवाइयें दी जानी चाहिये, बाजार से दवाइयां खरीदने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। बाजार से खरीदने के बजाय अस्पताल में ही अच्छी से अच्छी दवाइयां रखने की व्यवस्था की जाय। यह जो चीज बनी हुई है कि डॉक्टर्स और मेडिकल डीलर्स से मिलकर मेडिकल रीइम्बर्समेंट के नाम पर सैकड़ों रुपये उठाये जाते हैं, उनको रोकने का प्रबन्ध होना चाहिये। इस प्रथा से हमें बहुत जबर्दस्त नुकसान हुआ है और यह करप्शन का कारण बनी हैं।

सड़कों का जहां तक ताल्लुक है, सड़कें बनी हैं राजस्थान में। लेकिन क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल निग्लेक्टेड रहे हैं, जिनमें सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उनकी मरम्मत तक के लिए पैसा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चम्बल क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे जबर्दस्त सड़कों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा यातायात के साधनों की जरूरत है। चम्बल की नहरों के कारण वहां की सड़कें खराब हो गई हैं, उनको बनाना बहुत जरूरी है। पाटन और बूंदी की सड़कें, नेनवा की सड़कें-इस सारे क्षेत्र की सड़कें जो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की सड़कें खराब स्थिति में होने से और सड़कों का अभाव होने की स्थिति में किसान अपनी पैदावार को मंडी में नहीं ले जा सकते हैं। मै समझता हूं कि उन किसानों को अपनी पैदावार मंडी में ले जाने की सुविधा देनी है तो उन्हें यह साधन देना पड़ेगा और साधन के लिए उस क्षेत्र में सड़कों के लिए बहुत काफी रुपया दिया जाना आवश्यक है। मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान सरकार इसका ध्यान रखेगी।

एक बात का जिक्र किया गया; हमारे वन मंत्री जा रहे हैं, मैं उनके विभाग का जिक्र कर रहा था।

(श्री भोलाभाई, वन मंत्री, अपने स्थान पर बैठ गये)

दिक्कत इस बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने भी जिक्र किया कि जो पशुपालक हैं उनको जमीन दी जायगी। उनके लिए पानी उपलब्ध करने की योजना बनाई जायगी, वहां टांके भी बनाये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां बांध बना दिये, लेकिन जमीन अलॉट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई है क्योंकि फोरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है, यह जमीन हमारी है, यह रेवेन्यू में नहीं है। हजारों एकड़ के लगभग जमीन मौजूद है जो आसानी से लोगों को दी जा सकती है वह जमीन लोगों को अलॉट हो तो उस पर बस कर वे लोग बाग खेती कर सकते हैं। लेकिन उस बांध के पानी का इस साल उपयोग नहीं हुआ अगले साल उसका उपयोग हो यह वन मंत्री पर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक फोरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन नहीं निकलेगी तब तक रेवेन्यू वाले कहेंगे कि हम जमीन अलॉट नहीं कर सकते हैं। हजारों एकड़ जमीन वन विभाग में ऐसी है जो निकाली जा सकती है लेकिन शायद हमारे वन विभाग के मंत्री समझते हैं कि खेती के बजाय वन लगाना ज्यादा फायदेमन्द है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उनमें वन भी नहीं लगा हुआ है उनमें बेर की झाड़ियां होंगी मुश्किल से कुछ। मैं दो-तीन दफा वहां हो आया हूं। लेकिन आज तक हमारे अधिकारी इस बारे में सोचते नहीं हैं कि इस जमीन का उपयोग पानी के अन्तर्गत आ जाने से खेती को पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है बनिस्बत इसके कि उसमें वन लगाये जायं।

इसी प्रकार से हमारी फोरेस्ट कोआॅपरेटिव की हालत देखें। हमारे अधिकारी इन फोरेस्ट कोआॅपरेटिव्ज् को पनपने नहीं देते और उनके नुकसान की तरफ ले जारहे हैं। वे उनको कहते हैं कि हम कहें वहां अपनी चीजें बेचें। उनको ये इतना अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वे अपनी चीजों को उचित मूल्य पर बेच सकें जिससे इन सोसाइटियों को नुकसान नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सब कुछ हुआ, लेकिन आज के दिन जितनी भी प्रगति होती है उसमें जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें प्रगति हो जाती है या उन ग्रामों में जो काॅम्युनिटी प्राजेक्ट में आ जाते हैं. खेती की तरक्की और दूसरी तरह की तरक्की होती है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं, जो बहुत छोटी-छोटी हैं, जहां पर कोई रोजगार के साधन नहीं हैं, धन्धे नहीं हैं, जहां पर छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटील् हैं जिनको शहर नहीं कह सकते हैं और इसलिये वहां कोई फायदा नही मिल सकता है। लेकिन वहां म्यूनिसिपैलिटीज् होने की वजह से वे शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं लेकिन उनकी इतनी आमदनी नहीं होती है जिससे वे तरक्की कर सकें। ऐसी जगहों पर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि वहां न कोई उद्योग-धन्धे हैं, न और कोई काम। ऐसे क्षेत्रों में बेकारी ज्यादा बढ़ती है और जो शिक्षित लड़के निकलते हैं, इन्टर और बी० ए० पास करके निकलते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको कोई धन्धा नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर कोई उद्योग-धन्धे या कारखाने नहीं हैं जिनमें उन्हें काम मिल सके और न उनके पास खेती करने के लिये जमीन हैं जिससे वे खेती करके जीवनयापन कर सकें। ऐसी जगहों के लिये व्यवस्था

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करनी चाहिये। मैं खास करके निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी, किशनगढ़ बहुत सेन्टर में हैं, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर ऐसी जगह हैं जहां रियासत थी, उस समय भी लोगों के पास जमीन नहीं थी ताकि वे खेती कर सकें, जहां आज भी जमीन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं। ऐसी जगहों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। पहले घोषणा हुई थी कि वहां पर कुछ मिलें कायम की जायेंगी। लेकिन आज तक हमने सुना नहीं है कि इस बारे में कोई प्रगति हुई है। बूंदी के लिए घोषणा हुई थी कि वहां मिल बनाई जायगी। उस घोषणा को हुए इतना अर्सा हो गया, लेकिन हम कोई इस सम्बन्ध में कार्यवाही चलती नहीं देखते हैं, न वहां मिल कायम करने की कोई कार्यवाही हो रही है।

मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लैंड रेवेन्यू लाज को ठीक करने के लिए एक रेवेन्यू कमीशन मुकर्रर किया है। लेकिन अभी तक उस रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट का पता नहीं है। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आना चाहिए, पुरानी रेवेन्यू कलेक्शन की परिपाटी को छोड़ना चाहिए। जो पुरानी इन्स्टीट्यूशंस है उनको खत्म करना चाहिए और नये तरीके की इन्स्टीट्यूशन्स जमानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर रेवेन्यू बोर्ड के फैसलों को आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू की हाइएस्ट कोर्ट आफ अपील है उनका क्या हाल है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि खाली आई. ए. एस. होने की वजह से कोई आदमी कानून का पारंगत नहीं हो जाता है, इन्साफ करने लिए योग्य नहीं हो जाता है और न उसमें फैसला करने की शक्ति आ जाती है। हमारी सरकार का सोचने का यह तरीका हो गया है कि कोई आदमी आई. ए. एस. हो गया तो वह सब तरह का काम करने के काबिल हो गया, वह कोई भी काम कर सकता है। यह मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसे आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज किस तरीके के लोगों में असंतोष है। वह असंतोष है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वालों में। आज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऐसी हो गई है जो हमारी पालिसी के उपयुक्त नहीं है। या तो उनके दिल में कोई दूसरी भावना काम करती है या वे जान-बूझ कर पालिसी को कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं। ऐसी मनोवृत्ति आज उनमें बनी हुई है कि उनको यह लगता है कि यदि समाजवाद आ जायगा तो वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का क्या होगा? हमारे यहां सर्विसेज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई वैस्टेड इन्ट्रेस्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के विचार पलटने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये और वे विचार न पलट सकें तो कुछ नजर रखनी चाहिये जिससे ये हमारी पालिसी को ठीक तरह से कार्यान्वित कर सकें।

आज सर्विस की एक मिसाल आपके पास

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मौजूद हैं। सर्विसेज़ में ऐसे लोग नहीं हों जो अन्दर ही अन्दर अपने दिमाग में पोलिटिक्स रखें। उनके सोचने का तरीका यह है कि वे नौकरी छोड़ कर पोलिटिक्स में आना चाहते हैं। अगर ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की अन्दर ही अन्दर प्रवृत्ति रखते हैं तो उन पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। उनको कहें कि वे नौकरी में रहना चाहते हैं तो वे नौकरी में रहें और पोलिटिक्स में रहना चाहते हैं तो पोलिटिक्स में, नौकरी छोड़ कर, रहें.......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपने जो सुझाव दिया वह मंत्रियों को दें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स को चेलेन्ज किया जा सकता है क्या?

एक माननीय सदस्य: एमर्जेन्सी के अन्तर्गत पोलिटिक्स से प्रिवेंट करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: घबराते क्यों हैं?

श्री मानसिंह महार (आमेर): चीफ मिनिस्टर को उन व्यक्तियों को प्रिवेंशन में लेना चाहिए जो सेबोटेज कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: तो इस प्रकार के लोग आज सर्विसेज़ में मिलते हैं जो पान की दुकानों पर, होटलों पर चर्चायें करते है, जो सरकार की नौकरी में रहते हुए भी सरकारी नीतियों की भर्त्सना करते हैं। उनके दिल और दिमाग ऐसे हैं जो प्रतिक्रियावादी ताकतों के नीचे रहे हुए हैं। वे ऐसे लोगों के पास रहे हुए हैं इसलिए उनको दिल-दिमाग में 'जी-हुजूरी' की भावना बनी हुई है। ऐसे लोग मुल्क के प्रति नहीं सोच सकते और इन्डीवीजुअल तरीके से सोच सकते है। इस तरह का जो असंतोष है वह समाजवाद लाने में बाधक होगा....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उदाहरण देते जांय। एक-दो उदाहरण दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: उदाहरण दे दें ना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सीधे बता दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष: काफी समय हो गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह तो मेरी प्रिविलेज है आज।

एक चीज जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारी सर्विसेज़ में ट्रेड यूनियन मेन्टेलिटी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जो ट्रेड यूनियन मेन्टेलिटी है वह आज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खतरे की चीज हो गई है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं वे हंसी मजाक में ले ली गई, लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान की सारी सर्विसेज़ के बारे में जो पोलिटिकल इन्डल्जेन्स का चार्ज लगाया है उसके लिए मैं उम्मीद करता था कि जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं वे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन्टरप्शन करेंगे और कहेंगे कि जो राजस्थान की सर्विसेज के बारे में चार्ज लगाया जा रहा है वह गलत है, वे पोलिटिक्स में इन्डल्ज नहीं करते हैं। या वे नाम बतायें जो पालिटिक्स में इन्डल्ज करते हैं। में समझता हूं कि राजस्थान की सर्विसेज को इम्प्लीकेट कर लेना और यह कहना कि सर्विसेज पोलिटिक्स में इन्डल्ज्ड है, ये चार्जेज लगाना उचित नहीं है।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : आप सहानुभूति प्राप्त कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी सहानुभूति के लिए में उनको तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपकी सहानुभूति तो है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी सहानुभूति है। आपका दिल क्यों निष्ठुर बना हुआ है।

एक माननीय सदस्य : सहानुभूति हो या नहीं हो, दिखानी तो चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order, Sir, it is the accepted parliamentary practice...

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह फेक्ट है। जो पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मै यह कहूंगा कि जिस समय इस प्रकार की बात कही गई, ट्रेजरी बेन्चेज डम्ब बैठी रहती हैं, यह गलत है। ट्रेजरी बैंचेज उसके बारे में 'नहीं' कह देती या 'हां' कहती। कोई न कोई तो एक्शन लेती, जब गवर्नमेंट को इस तरह से कोड़ा मारा गया तो उसका उत्तर तो देती। जिस तरह का कोड़ा प्रस्तावक महोदय ने मारा है, मंत्री महोदय को डम्ब नहीं रहना चाहिये। महत्वपूर्ण कार्य में वातावरण बनाते।

श्री अध्यक्ष : वातावरण तो आप बोलेंगे तब बनेगा।

(श्री बृजसुन्दर से)

कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष, इस भाषण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमको सस्ता न्याय उपलब्ध हो, जो हमारे शासन का मुख्य कर्तव्य है कि हमको सस्ता न्याय सुलभ हो इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। हमें सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिलता और उसके लिये उपाय नहीं बताया है। मैं निवेदन करूंगा और बार बार निवेदन करूंगा कि जहां तक पूर्वी राजस्थान में रहने वालों को सस्ता न्याय मिलने की बात है, उनको सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिये राजस्थान में यहां हाई कोर्ट की ब्रांच कायम की जावे। यह हमारी उचित मांग है। आज दिल्ली में ब्रांच की मांग होती हैं क्योंकि वहां पर केसेज बहुत ज्यादा एक्युम्युलेट हो गये हैं. तो राजस्थान मे पूर्वी हिस्से के लिये भी ब्रांच हो। तो उसके लिये भी अपना कर्तव्य है कि उनको सस्ता न्याय दिलाया जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रगति से हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे है, सब तरफ से प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे

है; एग्रिकल्चर में, वेटरनरी में, हमारी एज्युकेशन में—सब तरफ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और १५ वर्षों में दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना में जो प्रगति की है वह सराहनीय प्रगति है, लेकिन कभी इस बात की है कि जो प्रगति की है और जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उनके लिये लोगों को समझा नहीं पाते। गम इस बात का है कि गरीब और अनपढ़ लोग हैं उनको पोलिटिकल इज्युकेशन के द्वारा बताए कि पहले के शासक ये थे। जब वे यह समझते हैं कि पहले के शासक वैसे ही हैं तो उससे हमारी डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि जब किसान अपनी गहरी पसीने की कमाई का पैसा राज्य के कोष में जमा कराता है वह मुफ्त में उन लोगों को प्रिवी पर्स में दे दिया जाता है तो उसे दुःख होता है। कई दफा राज्य सभा में भी इसके लिये मांग की गई कि राजस्थान के नरेशों के प्रिवी पर्स बन्द होने चाहिये और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि वे खुद समय को समझेंगे और अपने देश के हित में उसे समर्पित करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, "इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपा-पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का, जो प्रस्तावक महोदय ने रखा है, समर्थन करने के लिये इस सदन में उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि हमको एक ऐसे विद्वान् राज्यपाल मिले जिन्होंने इस सदन की मंशाओं को पूर्णतया कार्य-रूप में परिणत किया और वह मंशा यह थी कि इस सदन में राज्यपाल का भाषण जो हो वह शुद्ध और अच्छी हिन्दी में हो। हम देखते हैं कि वह परम्परा पड़ी भी। मैं यह भी आपको अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक गर्व की बात है और इसके लिये मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि राज्यपाल महोदय इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारी सरकार भी इस बात का ख्याल रखेगी कि राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार हिन्दी में अभिभाषण दिया; हिन्दी का, राष्ट्रीय भाषा का सम्मान किया बड़े जोर से हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि वह सारे कार्य जल्दी जल्दी हिन्दी में चालू करेगी, लेकिन अभी भी राजस्थान के कार्यालयों में अंग्रेजी को देख कर दुःख होता है, कोई वजह नहीं कि हमारी सरकार इस तरफ तवज्जोह देकर एक निश्चित अवधि मुकर्रर करे कि अमुक समय के बाद हिन्दी में सारा सरकारी कार्य होगा, हम उसकी प्रतिष्ठा करेंगे और हम आशा करेंगे कि

(श्री अमृतलाल यादव)

सरकारी बैंचा से जब जवाब दिया जाएगा तो सरकार खास तौर से आश्वासन देगी कि हम सारा कार्य हिन्दी में करेंगे, तो मैं समझता हूं कि प्रशंसनीय बात होगी।

दूसरी चीज हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिसका जिक्र है मैं उसका उल्लेख किये बगैर नहीं रह सकता। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एक ऐसे खानदान से आते हैं जिनके यहां संस्कृत का बड़ा ज्ञान रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे खानदान से आता हूं कि कोई संस्कृत बोले, पुस्तक पढ़े तो उसके कानों में शीशा डाल दिया जावे। यह मैं आजादी के पहले की बात कहता हूं।

मुझे इस भाषण को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्यपाल महोदय ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा की और उन्होंने इसका यह आधार माना, मैं उनके शब्दों को (पैरा ४४ के) पढ़ने के लिये मजबूर हूं। "राजस्थान को संस्कृत पाण्डित्य का सुदृढ़ केन्द्र होने की ख्याति प्राप्त है और इस राज्य ने ज्योतिष व आयुर्वेद विज्ञान की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है।" में समझता हूं कि हमारे ये पहले राज्यपाल महोदय हैं जिन्होंने राजस्थान के गर्व को जिस तरह से गौरवान्वित करने के लिये यह बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके लिये में मानता हूं कि इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले सदस्य भी राज्यपाल महोदय को, अगर उनके अन्दर जरा सी ईमानदारी है तो धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते।

अध्यक्ष महोदय, में अपने विचार.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जब उन्होंने कहा था उस समय तालियें हमने ही बजाई थीं और आप चुप थे। हमने उसी वक्त धन्यवाद दे दिया।

श्री अमृतलाल यादव : मैं भाषण दे रहा हूं; आपका वक्त आवे, आप कहेंगे। में मानता हूं कि.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर बार नहीं देते। आपतो कांग्रेस के Distinguished हरिजन हैं, आपको मौका नहीं देते।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई है और उनकी पार्टी में जितनी सहानुभूति है, जितना कल्याणकारी कार्य हमारे समाज के लिये किया है, मुझे याद है और मैं उसके लिये आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, दो पोइन्ट्स पर आपसे निवेदन किया। मैं अब तीसरे पोइन्ट पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा की कि राजस्थान की १॥ करोड़ की आबादी है-हरिजन, आदिवासी........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : काल से मर गई ५० लाख आबादी।

एक माननीय सदस्य : वे जानवर हैं उनका निकाल दिया गया है।

श्री अमृतलाल यादव : राजस्थान में करीब करीब दो करोड़ की आबादी है और दिनों-दिन बढ़ती चली जाती है। मैं तो मोटी

(श्री अमृतलाल यादव)

बात कहना चाहता हूं। एक तिहाई लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो गरीब हैं, दुखी हैं, भूमिहीन हैं और बेकार हैं, इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता। इन लोगों के लिये मैं देख रहा था कि समाजवादी समाज की रचना की घोषणा करने वाली सरकार क्या घोषणा करती है, यह बात मैं इस अभिभाषण में ढूंढ रहा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह मिली या नहीं मिली ?

श्री अमृतलाल यादव : वही बता रहा हूं, आप तसल्ली रखिये।

मैं यह ढूंढ रहा था कि पहले राजस्थान जब २२ टुकड़ों में बंटा हुआ था, अलग अलग राजा-महाराजा, जागीरदार और सामन्त थे उस समय वहां पर एक मेघवाल की हांडी में एक सेर बाजरा नहीं मिलता था।

मैं यह ढूंढ रहा था कि आज के शासन में उसके लिये क्या सोचा जा रहा है, राजस्थान का हर तीसरा आदमी इस सरकार से क्या आशा करता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब उस हांडी में मुर्ग मुसल्लम मिलता है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : आप तसल्ली रखिये, मुर्ग मुसल्लम तो आपको ही मुबारिक हो। हम तो मक्खन, घी और दूध चाहते हैं।

मैं राजस्थान सरकार से पिछले दो-तीन सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था सीलिंग लाने के लिये। बड़ी मुश्किल से असेम्बली में सीलिंग का कानून लाया गया। उधर बैठने वाले सज्जनों ने बड़ी दिक्कतें उसमें डालीं, बड़े बड़े भाषण दिये, वे मुझे आज भी याद हैं। उस कानून को रोकने की बड़ी कोशिशें कीं, वे मुझे अब भी याद हैं और राजस्थान का हर तीसरा आदमी इस सदन की प्रोसीडिंग्ज़ को उठा कर देखेगा तो उसे साफ पता चलेगा कि जो लोग राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि बन कर आते हैं वे यहां पर किस प्रकार के भाषण देते हैं। यह सब असेम्बली की कार्यवाहियां बतायेंगी जो कि छपी हुई हैं। हमने कोशिश की कि उस सीलिंग के कानून को सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे, लेकिन यह सरकार सुस्त रही। बड़ी मुश्किल से यह कानून पारित हुआ, बड़ी मुश्किल से लागू किया और इसे इम्प्लीमेंट करने की ओर कदम उठाया, इसको मुझे प्रसन्नता है। मैं राज्यपाल महोदय और सरकार को धन्यवाद देता हूं; केवल धन्यवाद ही नहीं देता, हृदय से आभारी हूं और राजस्थान के अन्य लोग भी आभारी हैं। पर सवाल इसमें यह है कि इतनी देर करने से जो अपेक्षित जमीन निकलनी चाहिये वह नहीं निकलेगी। मेरी सरकार से दर्ख्वास्त है कि जिस तरह सीलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिये कदम उठाया है उसी तरह अपेक्षित जमीन निकालने के लिये भी सख्त से सख्त कदम उठाये।

एक कहावत है, "आवश्यकता आविष्कार की जननी है"; आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं। राजनैतिक जागृति का श्रेय केवल एक ही पार्टी को है और वह है कांग्रेस को। कांग्रेस ने नीचे गिरे हुओं को ऊंचा उठाया है। कांग्रेस को इस बात का

(श्री अमृतलाल यादव)

श्रेय है कि इसने ऊंच-नीच के भेद-भाव को मिटा कर गिरे हुओं को ऊंचा उठाने की कोशिश की; गरीब और अमीर का भेद-भाव मिटाने की कोशिश की। देरी से, अवेर से सही, पर कोशिश की। पर मैं देखता हूं कि एक पार्टी बनी, उसने राजस्थान की उन्नति के लिये क्या कोशिश की ?

श्री केसरीसिंह (पाली) : आवश्यकता होने पर ही चीज बनती हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आप शान्ति रखिये; आपका भी नम्बर आयेगा, तब आप बोलना, अभी मैं बोल रहा हूं।

श्री केसरीसिंह : आप जो कह रहे हैं वही चीज मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता होने पर ही चीज बनती है।

श्री अमृतलाल यादव : जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि सीलिंग हों, राजाओं-महाराजाओं की जमीनें, जंगल के जंगल पड़े हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ५ मेघवाल, ५ भील मांग कर नहीं खाना चाहते, कमा कर खाना चाहते हैं; पर उनको बोने के लिये जमीन नहीं मिलती। एक तरफ गरीबों का यह हाल है, दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी रहती है। इस ओर सरकार का ध्यान गया तो स्वतन्त्र पार्टी बनी, स्वतन्त्र पार्टी एक्टिव हुई, कार्यक्रम आगे बढ़ाया और कहा कि हम राजस्थान का कल्याण करेंगे, राजस्थान का आर्थिक विकास करेंगे। आखिर किस तरह राजस्थान का आर्थिक विकास करेंगे, क्या यही आर्थिक विकास करेंगे कि आपके हितों पर कुठाराघात हुआ तो आप राजनैतिक पार्टी के रूप में आये; जनता का कल्याण करने के लिये नहीं, बल्कि आपकी जमीनें जा रही हैं उनको बचाने के लिये आये। यह जो कानून आपके सामने आया, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फरमाया; राजस्थान भूमि सुधार, भूस्वामियों की भूमि अवाप्त करने का कानून इस सदन में पास हो गया, पर अभी राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत होकर नहीं आया है ··

श्री रामकिशन (बैर) : अब आयेगा भी नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब बात-चीत कर चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कानून आया और खूब रियायतों के साथ आया।

श्री अमृतलाल यादव : इस सदन ने उसे पास कर दिया है तभी स्वतन्त्र पार्टी का जन्म हुआ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उससे बहुत पहले हो गया, आप शायद उस समय सो रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जन्म तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने पेंशनें दी थीं।

श्री अमृतलाल यादव : स्वतन्त्र पार्टी देश के अन्दर एक तरफ टैक्सों का विरोध करती है, मंहगाई की बातें करती है, सरकार पर मंहगाई बढ़ाने का आक्षेप लगाती है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश में हवा बनी और यह हवा बनी कि राजा महाराजाओं को त्याग करना चाहिये। वे

(श्री अमृतलाल यादव)

अपनी तरफ से खुद-ब-खुद अपनी प्रिवी पर्स बन्द करें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : महाराजा झालावाड़ से शुरूआत करा दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वे तो मैदान छोड़ कर वापिस आ रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : यहीं से शुरूआत हुई सबसे पहले ।

श्री अमृतलाल यादव : राजस्थान में आपका सबसे पहला नम्बर है । आपने अपने प्रिवीपर्स का सबसे अधिक पर्सेन्टेज देश के लिये दिया जिस समय कि चीन ने हमारे देश पर हमला किया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी इस नाजुकता ने और शराफत ने ही तो आपको मारा ।

श्री अमृतलाल यादव : एक गरीब मोची ने दिन भर बूट पॉलिश करके ८ आना रक्षा कोष में जमा कराया । उस वक्त देश में वातावरण बना कि राजा-महाराजा स्वेच्छा से प्रिवी पर्स का पैसा राष्ट्रीय रक्षा कोष में दें । जयपुर से जो पालियामेंट के लिये सदस्या चुनी गई उन माननीय सदस्या ने सबसे पहला भाषण यह दिया कि प्रिवी पर्स एक करार है, सरकार का राजाओं के साथ करार है । मैं व्यक्तिगत तौर से उन माननीया सदस्या का आदर करता हूं; पर राजनैतिक तौर से देखा कि स्वतन्त्र पार्टी के टिकट से पालियामेंट में जाने वाली माननीया का यह भाषण हुआ कि....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : महुआ में भैसे में आपकी दुर्गति हुई, उसकी प्रतिक्रिया है क्या यह ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : नहीं वे तो आगरे के किले में हुआ, वह कह रहे हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : इस वक्त सदन में हम यहां मिल रहे हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन का चाऊ एन लाई करांची में बैठा हुआ है और जनरल अयूब के साथ बात-चीत कर रहा है । सारा देश इस बात के लिये बहुत सजग हो रहा है, देख रहा है कि क्या उस चीज का परिणाम आता है । सारा देश इस बात को जानता है कि क्या बातचीत चल रही है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आज इस अभिभाषण पर अगर किसी में जरा भी ईमानदारी है इस बात के लिये, तो वे धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिये जिन्होंने बलिदान दिये जो अपंग हो गये, उनके लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किये । जिसमें जरा भी ईमानदारी है वह बगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकता । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम धन्यवाद अर्पण नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो उनके लिए हमको विचार करना पड़ेगा कि देश के बारे में उनके विचार क्या हैं ? लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस सरकार ने इतना किया, इतनी कार्यवाही की, मैं समझता हूं इस स्वतन्त्र पार्टी के जनक आदरणीय राजाजी के पाकिस्तान

(श्री अमृतलाल यादव)

के विषय में क्या विचार थे, यह सब जानते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह राजा हो, अमीर हो, मजदूर हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई राजनैतिक पार्टी हो, लगभग सब इस बात से सहमत हैं कि देश की रक्षा किसी कीमत पर भी की जानी चाहिये। हमारे देश के, हमारी मातृभूमि के किसी प्रकार भी कोई टुकड़े न होने देने चाहिये। कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त न की जाय कि जिससे हमारी मातृभूमि के टुकड़े हों। जहां देश के इस प्रकार के विचार हैं, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी की क्या विदेश नीति है? आप इस संदर्भ में इसको अच्छी तरह से देखिये कि स्वतन्त्र पार्टी की क्या विदेश नीति है?

श्री मानसिंह महार : देश का बंटवारा आपने ही किया था, आप भूल रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आप स्वतन्त्र पार्टी के जनक हैं। उन्होंने उस वक्त क्या विचार व्यक्त किये थे उस पर जरा गौर फ़र्माइये; किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया........

एक माननीय सदस्य : इसीलिये उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी।

श्री अमृतलाल यादव : पार्टी छोड़ कर वे क्या कर रहे हैं, यह तसल्ली से सुनने की कृपा कीजिये। मैं बताना चाहता हूं।

श्री मानसिंह महार : जरूर बताइये।

श्री अमृतलाल यादव : तो देश की रक्षा के लिए देश का हर नागरिक, देश का बच्चा बच्चा तैयार होता है। हमारे राष्ट्रनायक प० जवाहरलाल नेहरू की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में इस बात की ख्याति है जो वैदेशिक नीति भारत सरकार ने अपनायी है।

श्री मानसिंह महार : अभी भी यही कहेंगे?

श्री अमृतलाल यादव : वह नीति न देश के लिये, भारत के लिए किन्तु दुनिया की शान्ति के लिए भी उपयुक्त है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यू. एन. ओ. में तो आपके दोस्तों को कलई साफ हो गई।

(शोरगुल)

श्री अमृतलाल यादव : माननीय हांडा साहब, सुनिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूं।

(शोरगुल)

यह अनाड़ी की दोस्ती का प्रसाद दे रहे हो।

श्री अमृतलाल यादव : आज की दुनिया में दो देश बड़े माने जाते हैं—अमेरिका और रूस। और भी देश हैं। जिन महत्वपूर्ण देशों के लोग और राजनेता जो बात करते हैं उस पर दुनिया के लोग विचार करते हैं। हमारे लिये यह गौरव की बात है कि उन लोगों ने हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति की जो कि एक व्यवहारिक नीति है, सराहना की है। उसी कन्टेस्ट में मैं यह बात निवेदन कर रहा था।

(श्री अमृतलाल यादव)

जहां सारा देश इस बात के लिये तैयारी करता है वहां स्वतन्त्र पार्टी की नीति यह है कि काश्मीर के बारे में भारत अपनी नीति बदले । स्वतन्त्र पार्टी की नीति जो पाकिस्तान बताता है उस बात की ओर इशारा करती है। उनकी वैदेशिक नीति भारत माता के टुकड़े कराती है या भारत माता की रक्षा करवाती है ? ऐसे लोग जो भारत माता के टुकड़े करवाने पर आमादा हैं वे देश-भक्त हैं या देशद्रोही, इस बात का फैसला करने का मौका आ गया है । वे लोग सोचें । लोगों को यह सोचना होगा कि जो पार्टी देश के टुकड़ों की तरफ इशारा करती हो, जिस देश की पार्टी की वैदेशिक नीति देश को खड्डे में डालने की तरफ हो, तो उसके इशारे के लिए सोचने का वक्त आ गया है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उस पर निवेदन करूंगा कि भू-सम्पदा अवाप्ति कानून जो पास किया है और सीलिंग लागू किया है, जिसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, इन पर सख्ती से और जल्द से जल्द अमल हो ।

इसके बाद और निवेदन करना चाहता हूं । मैंने गगानगर में घग्घर की बाढ़ को देखा है । भरतपुर में जो पानी भर जाता है और जो एक तरह से फसल को नुकसान पहुंचता है और लोगों को उससे तकलीफ होती है उस चीज को मैंने देखा है । इस तरह सरकार ने जो घोषणा इसके लिए की है उसके लिए निश्चित कदम उठाया है, इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हैं या राज्यपाल को ?

श्री मानसिंह महार : बार बार 'धन्यवाद' कहते हैं; अन्त में धन्यवाद दे देते ।

श्री अमृतलाल यादव : जो बार बार धन्यवाद के पात्र होते हैं उनको बार बार धन्यवाद देना पड़ता है और जो कुपात्र होते हैं उनके लिए सोचना पड़ता है ।

राजस्थान सरकार ने जो प्रगति की है उसके लिए मैं आज उसको धन्यवाद दिये वगैर नहीं रह सकता । आज के दस वर्ष पहले राजस्थान की औद्योगिक प्रगति नहीं थी । आज जो राजस्थान में औद्योगिक प्रगति हुई है उसकी प्रशंसा मैं ही नहीं करता; राजस्थान ही नहीं, किन्तु हिन्दुस्तान के हर आदमी की जुबान पर यह है कि राजस्थान आगे बढ़ गया है । कोटा के लोग आज इस बात के गवाह हैं कि राजस्थान का कोटा आज कानपुर होने जा रहा है, केन्द्रीभूत होने जा रहा है जो कि औद्योगिक क्रान्ति का सिम्बल है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : राजस्थान में हरिजन और आदिबासियों के कोई कारखाने नहीं हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : हमारे नहीं हैं, लेकिन आपके तो हो सकते हैं ।

उदयपुर में जिन्क स्मेल्टर प्रगति कर रहा है । लोगों की यह बहुत समय से मांग थी कि राजस्थान में जिन्क का स्मेल्टर लगे। सदन के नेता और इस सरकार ने इसके लिए कोशिश की और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में जिंक स्मे-

(श्री ग्रमृतलाल यादव)

ल्टर लगा और वह सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है ।

इसी तरह से एक सुझाव राज्य सरकार को देना चाहता हूं । वह यह है कि राजस्थान केनाल पर जो कुछ कार्यवाही हो रही है मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और सदन के नेता से अपील करूंगा कि वे इस बात की कोशिश करें कि राजस्थान केनाल को एक विशाल प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार से मनवायें और जब वे ऐसा करेंगे तो सदन का पूरा समर्थन उनको होगा और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार ने गफलत की तो वह काबिले बर्दाश्त नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर) : नाकाबिले बर्दाश्त होगी या सरकार बर्दाश्त नहीं होगी ?

श्री ग्रमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह कहूंगा कि यह जो कोर्पोरेशन की बात कही है वह तब ही सम्भव है जब इस बात के लिए मनवा लें कि किसी राज्य का या सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि वह प्रोजेक्ट जो है वह एक राष्ट्रीय आधार पर होगा और मैं दावा कर सकता हूं कि भारत सरकार इस बात को मंजूर करे तो इसका परिणाम यह होगा कि यह राजस्थान के लिये ही नहीं किन्तु देश के खाद्यान्न की कमी को दूर करने वाला एक प्रमुख केन्द्र होगा । तो सदन का एक एक माननीय सदस्य इस बात का समर्थक है कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि राजस्थान केनाल को एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मंजूर करने के लिए भारत सरकार पर जोर डालें । शिक्षा की प्रगति के लिये जो कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है वह प्रशंसा के योग्य है । पहले जहां शिक्षा पर १ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है वह अब लगभग १२ करोड़ का खर्चा कर रहे हैं यह वास्तव में प्रशंसनीय है । इसमें कन्या शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि जो शिक्षा दिन प्रति दिन मंहगी होती जा रही है वह शिक्षा मंहगी न हो । दिन प्रति दिन शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब लोगों को जितना अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिये उतना अधिक लाभ नहीं मिल रहा है ।

(१.०० म० प०)

शिक्षा विभाग के मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं कि वे इस बात को देखें और जरूरत पड़े तो कमेटी भी मुकर्रर करें जो इस बात को देखें कि किस तरह से शिक्षा गरीबों को स्वल्प साधनों में मुहैया की जा सके । शिक्षा की प्रगति हो रही है, यह बहुत सन्तोषजनक है, इसके लिये सरकार प्रशंसा को पात्र है ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा की प्रगति बतायी, उस संबन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जहां अलग अलग आयुर्वेद डिस्पेन्सरीज हैं एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज है वे खोली तो जा रही हैं लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात की व्यवस्था करें कि इन डिस्पेन्सरीज में स्टाफ सुशिक्षित हो, वेल इक्विप्ड ये डिस्पेन्सरियां हों, दवाइयां पूरी हों, स्टाफ ट्रेन्ड हो, नर्सेज की कमी है, लेडी डॉक्टर्स

(श्री अमृतलाल यादव)

की कमी है इस तरफ तवज्जोह दी जाय और जो फैलने वाली बीमारियां है उनको फैलने से रोका जाय। कहने के लिये तो यह कहा गया कि मलेरिया का उन्मूलन कर लिया है; हां, इस ओर बहुत बड़ा काम हुआ है, जालौर जिले में इसका उन्मूलन हुआ है। लेकिन कई जगहों पर चेचक की बीमारी है और दूसरी बीमारी है उनकी रोक-थाम के लिये उपाय किये जा रहे हैं, लेकिन जितनी कोशिश होनी चाहिये वह नहीं की जा रही है।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा रोग है आज के समाज—में-घी, दूध आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट का, उसकी रोकथाम नहीं कर सकी है। इस ओर जो सरकार की उपेक्षा वृत्ति है वह उचित नहीं है। जिस देश के अन्दर वहां के लोग अपने जन-मानस के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर अपना मुनाफा कमाना चाहते हों उस देश की आबादी का भगवान ही मालिक है। आज हमें इस प्रकार जो एडल्टरेशन की ओर समाज की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकें और पूरी तरह से रोकने की कोशिश करें।

सरकार ने लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में जिस चीज का उल्लेख किया वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। इस सबन्ध में मैं एक शिकायत करना चाहता हूं कि मिलिटरी का जो रिक्रूटमेन्ट हुआ उसमें इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, पुलिस का रिक्रूटमेन्ट हुआ उसमें भी हरिजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जिन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये था उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उनको रिक्रूटमेन्ट नहीं दिया गया।

मैं एक ओर निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण की तरफ सरकार का ध्यान है, लेकिन मैं जब इस रोशनी में देखता हूं आज हरिजनों और आदिवासियों को इससे क्या फायदा हुआ है, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि सरकार का इस ओर ध्यान है, सरकार ने इनके कल्याण के लिये कार्य किया है, लेकिन इस अभिभाषण में स्पष्टतया इस बात को इंगित किया जाता कि हरिजनों के लिये यह किया गया है, आदिवासियों के लिये यह किया है......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग ही किया गया है।

श्री अमृतलाल यादव : राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है; उसकी वजह से हरिजन और आदिवासी शिक्षित हो गये हों, उनको सरकारी सेवाओं में योग्यता के अनुसार लगाया जाय। बड़ी कोशिशों के बाद एक कमेटी बनी और उन्होंने इन लोगों से एप्लीकेशन्स मांगी। पहले तो सारे देश से एप्लीकेशन्स मांगी, उसके बाद उनको जब कहा गया तो केवल अपने राज्य तक उसको सीमित किया गया। इस प्रकार से सीमित करने के बाद जो आवेदन-पत्र आये, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनकी संख्या कितनी थी और उनमें से कितनों को रखा गया, उसमे ही इस बात का फैसला हो जायगा कि इनके कल्याण की आपको कितनी चिन्ता है। आप जो कल्याण की

(श्री अमृतलाल यादव)

बातें कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र छात्रवृत्ति के लिये, जिन्होंने अपने प्रार्थना-पत्रों में यह लिखा कि हम गरीब हैं और हमें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये कितने आवेदन-पत्र पंचायत समिति लेवल तक पड़े रहे, कितने पंचायत समिति से बाहर अन्य अधिकारियों की गलती से पड़े रहे और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं और जिनको नहीं दी गई उनको किसी कारण से नहीं दी गई, कितनों को नहीं मिलीं। जिसको नहीं मिलीं उनको किनकी वजह से नहीं मिलीं, नहीं मिलने का कौन जिम्मेदार है; आया विद्यार्थी जिम्मेदार है या सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं या पचायत समिति जिम्मेदार है या समाज कल्याण विभाग जिम्मेदार है। इसको मैं स्पेसिफिक तौर से रखता हूं, माननीय मंत्री महोदय इसका जरूर जवाब देंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग भीख मांग कर खाना नहीं चाहते; कमा कर खाना चाहते हैं। आप राजस्थान केनल की बात करते हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में राजस्थान के भूमिहीन हरिजनों को भूमि नहीं दी जा रही है भूमि वहां मिल रही है दूसरे प्रदेश के जो आदमी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वहां पर चार हजार जागीरदारों को धरती मिली है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में देखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री इस बात को सदन की जानकारी देंगे कि राजस्थान केनाल पर कितने हरिजन व आदिवासियों को जो भूमिहीन थे उनको जमीन दी गई है। गंग नेकाल एरिया में कुछ हरिजनों को जमीन मिली है यह तो मेरी जानकारी में है, लेकिन जहां तक राजस्थान केनाल का संबन्ध हैं वहां पर अपने प्रदेश के लोगों को जमीन नहीं मिली, दूसरे लोगों को मिली है, क्या सरकार इसी प्रकार से समाजवादी समाज बनाने की बातें करती है। सरकार को चाहिये कि पहले राजस्थान के जितने भूमिहीन हैं उनको पहले वे जमीन दें, उसके बाद किसी दूसरे प्रदेश के रहने वालों को दें। अगर सरकार को सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की पॉलिसी है तो जो भूमिहीन हैं उनको पहले भूमि मिलनी चाहिये, बाद में दूसरों को मिलनी चाहिये। और इसमें हरिजनों को इसलिये मिलनी चाहिये कि उनके पास रोजगार का और कोई जरिया नहीं है। ब्राह्मण हैं वे यदि नौकरी नहीं मिलती है तो वे चाय का होटल खोल कर भी दो पैसे की कमाई कर सकते हैं। चमार या हरिजन हजार रूपया लगा कर भी अपना पेट नहीं भर सकता। आज का समाज इस लायक नहीं कि हरिजन चाय पिला कर भी अपना पेट भर सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे इस विधान सभा के जो पानी पिलाने के लिये आदमी रखा जाता है उस जगह पर आप किसी हरिजन महिला या हरिजन आदमी को नौकर रख दें उससे ही इस बात का टेस्ट हो जायगा कि इन लोगों को कितना अस्पृश्य समझा जाता है; आप महरबानी करके इतना तो करके देखिये ·· ····

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप पिलाने बैठ जांय, हम सब पी लेगें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं सरकार की नीयत में सन्देह नहीं करता।

मैं एक मुशायरे में चला गया, उसमें चांदबिहारी सबा जो एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने जो उसमें शेर कहा उसकी दो पंक्तियां मुझे याद हैं। यदि अध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको सुनाना चाहता हूं जो इस मौके पर बिल्कुल उपयुक्त बैठती हैं :

"मानता हूं कि आपकी नीयत खराब नहीं।'

"लेकिन आपके हाथ से इन्साफ भी तो मिलता नहीं।"

तो हरिजनों की आज यह स्थिति है।

मैं सरकार की नीयत पर सन्देह नहीं करता, राज्य कर्मचारियों की नीयत पर भी नहीं करता। समाज के प्रतिनिधिगण जो इधर उधर बैठे हैं, उन पर भी नहीं करता। नीयत पर सन्देह नहीं करता, पर हमें इन्साफ भी तो मिले। हमें इन्सान भी तो कोई समझे। आज आप विश्व-शान्ति और विश्व मैत्री और इन्सानियत की बातें करते हैं तो अपने घरों में एक इन्सान को कुए से तो पानी भरने का मौका दो, जैसा कि आपको मौका है। मैं इस बात के लिये डिक्लेअरली कहता हूं कि अभी तक हमारे यहां से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हुआ है। इसमें सरकार की ढिलाई है। पर डेमोक्रेटिकडिसेन्ट्रलाइजेशन के बाद जब से पंचायती राज कायम हुआ तब से हम भी पंचायती राज में अपना हिस्सा देखना चाहते थे पर वह हमें नहीं मिलता। पंचायत समिति की ओर से जिस पंचायत ने कुए बनवाये उन कुओं से हरिजन को भी पानी भरने दो, हरिजन उस पंचायत का अगर होता है तो उसे जाजम पर तो बैठने दो। आज यह हालत है कि हरिजनों को इन अधिकारों से वंचित कर रखा है, चपरासी हरिजन पंच को पानी नहीं पिलाता। यह सरकार का दोष है, समाज का दोष है। अगर ऐसा पंचायती राज है तो उस वर्ग को, इस राजस्थान के तीसरे आदमी को सोचना पड़ेगा कि उनका कहां स्थान है और राजस्थान में उनका भी कोई हिस्सा है या नहीं। इस बात के लिये आपको तैयार होना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हरिजन को केबिनेट कलीग नहीं बनाया जावे, तो किसका दोष है ?

श्री अमृतलाल यादव : केबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और आगे भी बनाये जाते रहेंगे। आपका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) आपकी नीयत क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं तो बहुत सालों तक रह चुका हूं। मेरे दूसरे भाई को मौका मिलना चाहिये। मैंने तो स्टेटमेन्ट के जरिये भी डिक्लेअर किया था कि मैं सरकार में नहीं रहना चाहता। संगठन में सेवा करना चाहता हूं और अब आप अखबार पढ़ेंगे तो मालूम होगा बम्बई में.... ...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : वह लोमड़ी स्वतन्त्रपार्टी की मेम्बर होगी।

(श्री अमृतलाल यादव)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उसमें जो सरकार की रीति-नीति निर्धारित की है मैं उसके लिऐ धन्यवाद देता हूं।

सदन का अधिक समय नहीं लेता हुआ जो धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

[धन्यवाद-प्रस्ताव पर संशोधन इस प्रकार हैं:—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि—

(१) सरकार खाद्यान्न एवं दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नियन्त्रण करने में असफल रही है।

(२) योजनाओं पर अधिक सार्वजनिक धन को व्यय करने के उपरान्त भी सरकार उन्हें पूर्ण नहीं कर सकी है।"

२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद हैं कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश नहीं डाला है:-

(१) कोटा नगर का विकास

(२) चम्बल सिंचाई क्षेत्र में वाटर सीपेज व लोगिंग से उत्पन्न स्थिति।

(३) कोटा जिले में सर्दी से फसलों का नुकसान।

(४) कोटा जिले में भूमि की अधिकतम सीमा।

(५) सीसवाली व रायथल की डकैती व

(६) मंहगाई।"

३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि राज्य सरकार अकाल पीड़ितों की समस्या को हल करने तथा बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने में असफल रही है।"

४. श्री केदारनाथ (गंगानगर): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:-

"किन्तु खेद है कि—

(१) सरकार जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है,

(२) सरकार भूमिहीनों व बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है,

(३) सरकार अकाल-ग्रस्त इलाके के लोगों को राहत देने की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी, तथा

(४) राज्यपाल महोदय ने गंगानगर जिले के गंग केनाल इलाके में नहरी पानी की कम सप्लाई के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला है।"

५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि—

(१) सरकार अकाल, मंहगाई, मंहगाई भत्ते, भूमि समस्या, भ्रष्टाचार, डाकू-समस्या, नहरी पानी की समस्या को हल करने में पूर्ण असफल रही है।

(२) राज्य सरकार द्वारा संकटकाल का भी दुरूपयोग किया गया है।

(३) राजाओं एवम् पूंजीपतियों को लगातार रियायत देने की नीति के कारण यह सरकार समाजवाद की ओर अग्रसर नहीं हो सकी।"

६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बेरोजगारी तथा बढ़ती हुई कीमतों का उल्लेख नहीं किया है।"

७. श्री रामकिशन (बैर): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि —

(१) ग्रामीण और विशेषतः खेत-मजदूरों की स्थिति सुधारने में सरकार असफल रही है।

(२) सरकार बढ़ी हुई आमदनी के वितरण में न्यायोचित विभाजन नहीं कर पाई है; तथा

(३) सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान में पूर्णतः असफल रही है।"

८. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ा जाय—

"किन्तु खेद है कि—

(१) जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों को रोकने में सरकार असफल रही है।

(२) राज्य में बढ़ रहे अपराधों को रोकने में सरकार असफल रही है।

(३) बेकारों को काम देने में सरकार असफल रही है।

(४) अकाल और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सामयिक और पर्याप्त राहत पहुंचाने में सरकार असफल रही है।"

९. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि—

सरकार राजस्थान की मुख्य समस्याओं-मंहगाई, भ्रष्टाचार, शीत लहर से फसल की बर्बादी, भूमिहीन किसानों को जमीन देने, बेकारों को काम देने, जागीरदारों का मुआवजा रोकने व समाजवाद की ओर अग्रसर होने में असफल रही है।"

१०. श्री गंगासिंह (जायल): धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"किन्तु खेद है कि —

राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की खाद्य व अकाल की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश नहीं डाला।"

११. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने—

(१) भूमिहीन किसानों की समस्या के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया।

(२) चम्बल क्षेत्र में व्याप्त सीपेज से होने वाली कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया।

(३) बढ़ती हुई मंहगाई के समय श्रमिकों की सही स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया; तथा

(४) कोटा डिवीजन में डाकुओं के भारी आतंक का कोई उल्लेख नहीं किया है।"

१२. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :

किन्तु खेद है कि—

(१) राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये।

(२) सरकार राज्य में अकाल पीड़ितों के लिये समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है।

(३) सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने में असफल रही है। तथा

(४) खेती की उपज बढ़ाने में असफल रही है।"

१३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने—

(१) भूमिहीन किसानों की समस्या।

(२) श्रम समस्या को हल करने; तथा

(३) भ्रष्टाचार के उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं किया है।"

१४. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है कि—

(१) सरकार कानून एवं व्यवस्था कायम करने; तथा

(२) शक्कर का उचित वितरण करने में असफल रही है।]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सम्भवतः शासनारूढ़ दल अपना सन्तोष प्रकट करे, किन्तु जहां तक उक्त भाषण का सम्बन्ध मेरे दल से है, हम उक्त भाषण के प्रति सन्तोष प्रकट करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

दिन-ब-दिन प्रशासन के लिहाज से सरकार के तन्त्र में बढ़ता हुआ रेडटेप, ढिलाई भ्रष्टाचार, करप्शन हमारे सामने स्पष्ट हैं और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मन्त्रियों में भी दूरदर्शिता, निर्भयता और नैतिकता का अभाव है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं यह समझता हूं कि मन्त्रियों में कुछ हद तक अवश्यमेव अवसरवादिता की भावना भी छाई हुई है।

ऐसी हालत में हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सन्तोष कैसे प्रकट करें ?

हर एक शासन का सर्व प्रथम कर्तव्य है कि खाद्यान्न की व्यवस्था हो, कपड़े की व्यवस्था हो, रहने के निवास की व्यवस्था हो। यदि इन मौलिक व्यवस्थाओं के अन्दर सरकार असफल है तो मेरे ख्याल में यह सुराज्य नहीं कहा जा सकता, भले ही वह स्वराज्य क्यों न हो ?

अध्यक्ष महोदय, जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं के भाव और खासतौर पर खाद्यान्न के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।

कितने दिनों तक जनता इस प्रक्रिया, इस मंहगाई को बर्दाश्त करे। बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि केन्द्रीय मन्त्रियों के द्वारा कि इन मंहगाई के ऊपर हम कन्ट्रोल करेंगे -- प्रदेश के मन्त्रियों के द्वारा भी, कि हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं के भाव निर्धारित करेंगे। किन्तु ये सब आश्वासन एश्योरेन्स अभी तक बेकार साबित हुए हैं। बल्कि मै यह कहूंगा कि इन आश्वासनों के सम्बन्ध में सरकार ने सख्त शिकस्त खाई है। इस कमरतोड़ मंहगाई से जनता तबाह और परेशान है। अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के अन्दर एक सेर गेहूं का आटा एक रुपये में मिलता है। बाजरे के भाव आज २०) रु० मण हैं। २० दिन पहले १६॥) रु० मण था और साल भर पहले १३॥) रु० मण था। उसी तरह से मक्का का भाव आज १६।) रु० मण हैं, २० दिन पहले १४) रु० मण था और साल भर पहले १३) रु० मण था। ये हिन्दुस्तान टाइम्स के भाव हैं, जो मैं कोट कर रहा हूं, अगर मैं गलत होऊं तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जौ का भाव आज १६॥) मण है, बीस दिन पहले १५) रु० मण था, और साल भर पहले १८) रु० मण था। वैसे ही लाल गेहूं का भाव आज २३) रु० मण है, बीस दिन पहले २०) रु० मण था और साल भर पहले १६) रु० मण था। गेहूं सफेद का भाव आज २८) रु० मण हो चुका है, बीस दिन पहले सिर्फ २५॥) रु० मण था और साल भर पहले २०) रुपये मण ही था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आज तो ३५) रु० मण हो गया है, साहब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पता नहीं, शनैः शनैः यह चीज हमें कहां ले जावेगी। इसके कारण अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं सरकार की दूषित नीति है, जो नोट्स एक्टिव सर्कुलेशन में थे, जो नोट्स प्रचलित थे बाजार के अन्दर ७-२-६४ को वे २४४२ करोड़ के थे, १-२-६४ को २३६२ करोड़ के नोट प्रचलित थे और एक साल पहले २ हजार २११ करोड़ के नोट प्रचलित थे अर्थात् १-२-६४ और ७-२-६४ के बीच में ५० करोड़ रुपये के करीब नोट बाजार के अन्दर विशेष आये अर्थात् ७ करोड़ रुपये के नोट हर दिन बाजार में ज्यादा आये सर्कुलेशन के अन्दर। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जारी रही तो इनफ्लेशन होगा, मंहगवाड़ी होगी और ब्लैक मार्केटिंग और भ्रष्टाचार होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपका तात्पर्य डेफिसिट फाइनेन्सिग से है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डेफिसिट फाइनेन्सिग, पेपर करेन्सी, इनफ्लेशन ये सब साथ साथ चलने वाली चीजें हैं और एक दूसरे से इनका निकटतम सम्बन्ध है और आपका और केन्द्रीय सरकार का भी इतना ही निकटतम सम्बन्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को दोषी ठहराऊंगा। यह भाव यह मंहगवाड़ा और यह खाद्यान्न के सम्बन्ध में जो भीषण दुष्काल हम अनुभव कर रहे हैं यह कोई दैवी प्रकोप का फलस्वरूप नहीं है बल्कि यह मनुष्यकृत है और सरकारकृत है और सरकार की दूषित नीति का यह कारण है। पहले भी अध्यक्ष महोदय, महामारियां होती थीं, भीषण दुष्काल आते थे और घमासान संग्राम होते थे, लेकिन कभी भी किसी युग में नहीं सुना कि इतना मंहगवाड़ा देश के अन्दर व्याप्त रूप से आया हुआ है.......

श्री जगतसिंह (दांता रामगढ़) : १८५० से कैपेटिलिज्म आया और यह कैपेटिलिज्म की देन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में न बोलें। आपको भी मौका मिलेगा और आप भी बोल पायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार फूड का स्टेट ट्रेडिंग अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है। अभी जो भुवनेश्वर में मेला कांग्रेस का हुआ था उसमें भी यह विचार-विमर्श हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस वस्तु को सरकार अपने कन्ट्रोल में लेती है--क्या सोना, क्या शक्कर और क्या दूसरे कन्ट्रोल्स; वह वस्तु की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलने के बजाय वह वस्तु लुप्त हो जाती है। आज अगर देखा जाये तो शक्कर की दुर्व्यवस्था सारे राजस्थान के अन्दर है और उसके लिए लोगों में हाहाकार मच रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं घूमता हूं, मैं गांवों में जाता हूं—वनियों लोगो ने मुझसे कहा कि दीवाली जैसे पर्व पर उनके बच्चों को मीठा खाने को नहीं मिला। बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा कि ब्याह शादी में भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति गुड़ से की गई। मेरे ख्याल में यह शक्कर की व्यवस्था बहुत दूषित है और जनता के अन्दर भी इसके लिए अशान्ति व्याप्त है। कभी नहीं सुना था कि गुड़ शक्कर से मंहगी हो जायेगी, वह भी देख लिया। शक्कर बिल्कुल अप्राप्य है और गुड़ की भी व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं है। अगर मंहगवाड़ा बढ़ता गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देश के अन्दर फूड राइट्स, मारामारी होगी। यह किस हद तक जनता बर्दाश्त करेगी ? आखिरकार एक चींटी भी है वह भी हाथी को काटने को चलती है। जब परेशानी आती है तो यही परिस्थिति उत्पन्न होती है। मेरे पड़ोस में गुजरात राज्य है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग वहां जाते हैं और वे अपनी आंखों से देखते हैं कि वहां शक्कर के ढगले रखे रहते हैं और अहमदाबाद में शक्कर के ढगले रखे हुए हैं तो ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अब नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन महीने पहले तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर काफी चक्कर है जबकि पड़ोसी राज्य के अन्दर आज यह परिस्थिति देखते हैं और हमारे राज्य के अन्दर हाहाकार देखते हैं तो क्या सरकार के प्रति उन लोगों में सद्भावना उत्पन्न हो सकती है, यह स्वयं आप विचार करें। आपकी यह दूषित नीति धीरे धीरे जनता जनार्दन के प्रति गुनाहगारी मेरे ख्याल से साबित होकर इतिहास इस बात का द्योतक होगा। जो कुछ भी इस मंहगवाड़ी के सम्बन्ध में कहा जाये वह कम है और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार पर और केन्द्रीय सरकार पर मैं रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादन सन्तोष रूपेण नहीं बढ़ रहा है और उसके विपरीत दिनों-दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या को काबू में लाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वह मैं समझता हूं कि दूषित हैं और अदूरदर्शी हैं। किसान जो सच्चे रूप से हमारे देश का अन्नदाता है उसके ऊपर मैं समझता हूं कि सरकार की नीति है वह एक विश्वासघात की नीति है। किसान के ऊपर आज राजस्थान के अन्दर जितने टैक्स लगे हुए हैं उतने किसी भी देश के अन्दर, अन्य क्षेत्र के अन्दर टैक्स लागू नहीं हुए होंगे। किसान के बीच कोई स्थिरता नहीं। अधिकांश किसान कर्जे के अन्दर गर्क होते जा रहे हैं। कर्जदारी उनकी बढ़ती जा रही है न कि घटती जा रही है। किसान मेरे ख्याल से खुशहाल नहीं हो रहा है बल्कि बर्बाद हो रहा है। हमारे देश के अन्दर किसान और खास तौर से आदिवासियों के ऊपर सरकार की अजीब नीति है। उनसे कहा जा रहा है कि आप ग्रामदान कीजिये। ग्राम-दान का अर्थ वह समझ नहीं पाते। आज किसान भू-दान करे, सम्पत्ति-दान करे, ग्राम-दान भी करे, टैक्स भी दे और श्रम-दान भी करे तो वह क्या क्या करे? ग्राम-दान का अर्थ ही वह नहीं समझ पाते और कांग्रेस के नेता उन किसानों के दस्तखत ले लेते हैं। जब वे मेरे पास कई दफा आये तो मैंने कहा कि ग्राम-दान का सच्चा अर्थ क्या है। मैं समझता हूं कि यह मोटी सी बात है कि आज ग्राम किसी के भी नहीं हैं सिवाय सरकार के। न तो कोई जागीरदार है जिनके ग्राम हों, कोई धर्मादा है, न मन्दिर है और न राजा है जिनके ग्राम हों, सरकार के ही ग्राम है। तो सरकार ग्राम-दान करे वह तो समझ में सकता हूं। यदि यह फाउन्टेनपेन जो मेरा है तो मैं इसका दान देने का अधिकारी जरूर हूं लेकिन जो वस्तु मेरी ही नहीं है उसका मैं कैसे दान करूं।

उसके उपरान्त काश्तकारों को कहा जाता है कि आजकल तो सरकार उड़ान करके चन्द्रलोक में जाती है और तुमको भी चन्द्रलोक की सैर कराई जायेगी और अगर वहां ठीक लगे तो तुमको वहां बसा दिया जायेगा। कुछ ही समय पूर्व यह अध्यक्ष महोदय प्रचार किया जाता था कि कोटा के अन्दर जब राणाप्रतापसागर का निर्माण शुरू हुआ तब जल्दी विद्युत आ रही है और हर गांव के अन्दर बिजली आ जावेगी और हर एक जगह हर खेत के अन्दर सिचाई की व्यवस्था हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जायेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे मिथ्या प्रचार करने से सरकार की जो कुछ बची-खुची प्रमाणिकता है वह भी उसे खो बैठेगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार सत्रहवें संशोधन के द्वारा किसान की भूमि भी ले लेना चाहती है, गो कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ही इस विधेयक को पारित करेगी, लेकिन यह कभी भी नहीं हो सकता कि राजस्थान सरकार का समर्थन केन्द्रीय सरकार को इस बाबत में प्राप्त न हो। सत्रहवें संशोधन का अर्थ यह है कि सरकार इतनी शक्ति हस्तगत करना चाहती है कि किसी भी व्यक्ति का एक एकड़ का भी खेत हो वह भी उसकी एस्टेट की परिभाषा के अन्तर्गत हो तो उसको ले सके। एस्टेट या जो काश्तकार का एक बीघा या एक एकड़ खेत भी एस्टेट, तसव्वुर जागीर मानी जाती है। यह कहां की नागरिक स्वतन्त्रता हैं? यह कहां का जनतन्त्र है? मेरी समझ के बाहर है। जब देश हमारा आजाद हुआ यह कहा जाता था कि जमीन जिसकी जो हल हांकेगा उसकी। यह मैं समझ सकता हूं कि जागीर-रियासतें गई, यह मैं समझ सकता हूं लेकिन आज उसी काश्तकार के प्रति जिसको यह कहा गया था कि तुम सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करो, तुम्हारी यह जमीन सदा के लिए तुम्हारी ही रहेगी। उस काश्तकार को यह आज कहा जाय कि जमीन भी सरकार की है, मेरे ख्याल से यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। आज शासनारूढ़ दल का सिद्धान्त १५ वर्ष पहले के सिद्धान्त से मैं समझता हूं सौ कोस परे जा चुका है। अगर बन्दोबस्त के पट्टे के ऊपर भी देखा जाय तो सरकार की भावना स्पष्टतः व्यक्त होती है हर बन्दोबस्त के पट्टे पर पहले आम तौर से समझा जाता था कि जमीन खातेदार की जिसका खाता है उसकी जमीन है, आज हरएक पट्टे के ऊपर लिखा है मालिक श्री सरकार। इसका अर्थ है कि चुपके-चुपके जमीन चाहे वह फ्री होल्ड हो, चाहे कैसी भी शक्ल की जमीन हो, उस पर स्वामित्व का अधिकार सरकार का होगा, और आश्चर्य की बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि यह जनतन्त्र का मजौल है। सरकार उस जमीन को ले और सरकार उस जमीन का मुआवजा निश्चित करे और सरकार उस जमीन का मुआवजा दे और मालिक जमीन को यदि कोई एतराज हो तो वह मामला काबिल समाअत अदालत नहीं होगा, अर्थात् चांटा भी मारे और रोने भी न दे। मैं समझता हू, इससे बढ़कर कोई अन्याय नहीं हो सकता।

कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा और हमारी पार्टी की नीति के अनुसार मुझे कहना पड़ेगा, चाहे वह कटु सत्य हो, चाहें आप मानें चाहें न मानें, लेकिन यह कोऑपरेटिव फार्मिंग रूस और चीन के अन्दर अपनाया गया। रूस जो प्रथम विश्व-युद्ध के पहले खाद्य का भंडार था, जो पूर्वी यूरोप के अन्दर अन्न भेजता था, जो सेन्ट्रल एशिया के अन्दर अन्न भेजता था। आज वहां पर इसी सहकारी खेती के द्वारा यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अभी रूस ने अमेरिका के साथ ७ लाख टन गेहूं लेने का एग्रीमेंट किया है। रूस जब यह सोच रहा है कि किसान को व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार दिये जायं, तब हम किसान के व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अपहरण करने की योजनाओं के सम्बन्ध में विचार कर रहें है, किसान को गुलाम बनाने के सम्बन्ध में, मजदूर बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रहें हैं। हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है और अभी भारत सरकार ने १,७१,००० टन गेहूं आस्ट्रेलिया से लेने के सम्बन्ध में भी एग्रीमेंट किया है। जो स्थिति एशिया और चीन के अन्दर हुई है उनसे सबक न लेकर हम अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं सहकारिता के सम्बन्ध में। हम क्वालिटी के सम्बन्ध में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे है। करोड़ों रुपया हम फिजूल खर्च कर रहे हैं और क्वालिटी के सम्बन्ध में कम विचार करते हुए कागज की कार्यवाही करके और क्वान्टिटेटिव बेसिस के ऊपर जितना सहकारिता के फैलाव के सम्बन्ध में हम कागजी प्रचार कर सकें उतना ही अच्छा होगा। यह एक थोथी नीति अपनाना, में समझता हूं जो सर्वथा अनुचित है, और सरकार के लिए, उत्पादन के लिए, हानिकारक है।

सीलिंग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो मेरे पहले बोले मैं उनको यह निवेदन करूं कि आप यह समझें कि सीलिंग क्या १० सीलिंग के कानून आयें तब भी हरिजन आदिवासियों में सन्तोष जनक रूप से भूमि वितरित हो, भूमिहीनों को भूमि दी जाय, यह मेरे ख्याल में मृगतृष्णावत् बात है। सरकार की धीरे धीरे अधिनायकवादी नीति है। उसमें भ्रष्ट नीति का भी प्रवेश है और इन बातों को देखते हुए आप समझें कि निष्पक्ष रूप से भूमि का वितरण हो, यह संभव नहीं प्रतीत होता। सीलिंग के कानून का हम विरोध करते आये हैं और इसका मै विरोध अवश्य करूंगा। सीलिंग आप लागू करें, आपको अधिकार है। किन्तु मैं पहले भी आपको निवेदन कर चुका हूं कि पोलैण्ड के अन्दर और दूसरे पूर्वी यूरोपियन देशों के अन्दर जहां पर कि सीलिंग लागू है, उदाहरणार्थ पोलैण्ड के अन्दर २२० एकड़ के ऊपर सीलिंग लागू है, उसके मुकाबलें में राजस्थान के अन्दर ८० या ८१ एकड़ भूमि के ऊपर सीलिंग आपने लागू की है पोलैण्ड राजस्थान से बड़ा देश है। पोलैण्ड की जन-संख्या राजस्थान से अधिक है और मैं समझता हूं कि यह सीलिंग का कानून जो आप यहां पर लाये हैं वह भी समान रूप लागू नहीं किया गया है, उसके कारण होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से समान रूप से कानून को एक राज्य में नहीं लागू करना सोशियल जस्टिस नहीं है, गैर-इन्साफ है, डिस्क्रिमिनेशन है। इन सब आपकी दूषित नीतियों के फलस्वरूप प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे बढ़े हमारा कृषि-प्रधान देश है। कृषि के सम्बन्ध में यह अवश्य उल्लेख है कि अब भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। अभी तक, अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्रवृत्ति किसान के प्रति उपेक्षा की रही है। वह किसान को हर तरह से जलील करना चाहती है। हर तरह के टेक्सों से उसको लाद दिया गया है और किसान के सम्बन्ध में, हमारे रूरल इन्डेटेडनेस के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई, जो मैं समझता हूं परमावश्यक हैं।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करूंगा। चाहे उदयपुर जिला, चाहे बांसवाड़ा जिला, चाहे डूंगरपुर जिला हो वहां का मुख्य खाद्यान्न मक्का है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आज वह मक्का हजारों मण की तादाद में अहमदाबाद जा रहा है। कहते हैं, सुनने में आया है, मैं नहीं कह सकता, कहां तक यह सच है लेकिन यह मक्का वहां पर जाता है और मक्का का तेल बनता है, मक्का से स्टॉर्च बनता है। गेहूं जो हमारे क्षेत्र में पैदा होता है वह बाहर जाता है और बाहर का गेहूं यहां आता है। जब हमारा गेहूं बाहर जाता है तो अन्दर बाहर का आता है। यह सब उलट-पुलट है। इस संबंध में कोई विचार करके नीति निर्धारित करनी चाहिये और सरकार का पुरजोर रूप से मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां तक मक्का, बाजरा और गेहूं के एक्सपोर्ट का संबंध है, आपको अधिकार है आप कत्तई रूप से इस गेहूं, बाजरा और मक्का के एक्सपोर्ट को बन्द करदें। गेहूं, जैसा में कह चुका, भावों की अन्धा-धुन्धी, उदाहरण स्वरूप २८) रुपये मण बिकता है। भ्रष्टाचार का और उदाहरण देखिये, महुआ के फूल डेढ़ रुपया मण मिलते थे वे गुजरात को जाते हैं और भाव है ४५ रुपया मण हैं क्योंकि वहां जाकर नाजायज् कशिश शराब बनती है। भावों का कोई तालमेल नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि कांग्रेस अपनी प्रमुखता खोती जा रही है। बहुतसी जगह जहां विरोधी पक्ष पहुंच जाते है वहां कांग्रेस पराजित होती है। यह दूषित नीतियों के फलस्वरूप है। क्या म्युनिसिपेलिटियों में, क्या ग्राम पंचायतों में। यदि सरकार की नीति से कोई संशोधन पर्याप्त रूपेण नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से भविष्य, शासनारूढ़ दल का में मानता हूं, उज्जवल नहीं है।

अभी महुआ में उपचुनाव हुआ। वहां से हमारे माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महुआ के अन्दर पहले जनसंघ के उम्मीदवार विजयी हुए थे। मैंने उन उम्मीदवार को देखा। मैंने सुना कि चुनाव याचिका उनके खिलाफ लगाई गई यह कह कर कि वे अन्डर एज, कम उम्र के है और इस कारण उनका चुनाव डिस्क्वालिफाई किया गया। मेरे ख्याल से यह गलत रूप से हुआ। पर जो कुछ भी है, कानून का निर्णय है वह सर्वमान्य होता ही है। लेकिन देखने से वह व्यक्ति अन्डरएज मुझे तो नहीं मालूम हुआ····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : यह तथ्य की बात है।

एक माननीय सदस्य : वह तो जनसंघ के थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनसंघ के होते हुए भी उदारता का प्रदर्शन करूं, स्वतंत्र पार्टी के उम्मेदवार को वहां से जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मिलकर खड़ा किया। यह विजय बहुत कुछ अंश में महाराजा सवाई मानसिंहजी और महारानी गायत्रीदेवी के फलस्वरूप मानेंगे और जनसंघ की जो सद्भावना हमारे प्रति, स्वतंत्रपार्टी के प्रति····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, आपके जो रिमार्कस् हैं। This is not the place where he can pay tributes to the opposition leaders. He may be asked to be relevant to the proposal of thanks, This palce cannot be used by the leader of the opposition to play

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

with the gallaries or raise such points which are most controversial, Because we are silent, he is going and going on saying......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I am raising issues that are factual and that are not controversial. It is a matter of opinion and he may differ. But it is for the chair to give a ruling if it is a controversial issue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : But you cannot raise these matters here.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : However, will you kindly listen to me. I am holding the floor.

इस सम्बन्ध में जनसंघ ने जो सद्भावना हमारे प्रति प्रदर्शित की वह हमारे लिये एक हर्ष का विषय है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I again take a serious objection to it. I want your Ruling Sir.

On a Point of order, Sir......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये, आपको बोलने देना चाहिये। जयपुर म्युनिसिपैलिटी में झगड़ा हो गया था उसको शील्ड करने के लिये आप बोल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : झगड़े होते हैं, यदि हमारे यहां भी झगड़े होंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतान पड़ेगा। लेकिन आपके झगड़ों का उदाहरण लेते हुए हमको सबक मिला।

मेरे ख्याल से यह हार, चाहे हमारी जीत हो, चाहे जनसंघ की जीत हो, लेकिन यह कांग्रेस की हार करारी है। और जो मैंने देखा ऐसा इलेक्शन भी मैंने कभी नहीं देखा। सब तो मिनिस्टर वहां पर आकर बैठे। राजस्थान सरकार का काम बिल्कुल ठप्प हो चुका था और चुनाव जीतने के लिये पता नहीं, क्या क्या साधन जुटाये। सौ सौ मोटरें, बसें, जीपें इधर उधर भागती फिरती थीं। हम लोगों को तो वहां पर पैट्रोल नहीं मिला। अलवर आदि जगहों से हमने अपनी गाड़ियों में पैट्रोल मंगाया। यदि अध्यक्ष महोदय, आप साहबानों में कुछ गैरत व शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I strongly object to these type of words.

मैं समझता हूं पार्लियामेन्टरी लैंगवेज यह नहीं है। पोलिटिकल बातें कहें, लेकिन मैं समझता हूं विरोधी पक्ष के नेता के लिये यह शोभा नहीं देता।

एक माननीय सदस्य : बाण गंगा में डूबना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कहा उस संबंध में मैं विशेष विचार रखूंगा और अपने शब्द तोलकर सदन के समक्ष रखूंगा........

श्री मानिकचंद सुराणा : गायत्री में डुबा लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे क्षेत्र में आदिवासियों की बंदूकों के लाइसेन्स की व्यवस्था की गई है वह बहुत दूषित है। आज सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। आज आपके पास सड़कें हैं, जीपें हैं, आज आपके पास हैंड ग्रेनेड, वायरलैस और जितने भी आधुनिक साधन चाहिये उससे आप बिल्कुल संयत और लैस हैं और यदि आदिवासी हजार दो हजार बगावत करें तो क्या कर सकते हैं? आज बिल्कुल मैचलोक (matchlock) घोड़ेदार बन्दूक, टोपीदार बन्दूक का लाइसेन्स लेने की व्यवस्था करके हजारों आदमियों को तहसील हैड क्वार्टर पर बुलाते हैं और वहां पर लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी बैठते हैं और सौ, डेढ़ सौ लाइसेन्स देकर बंद कर देते हैं और बाकी लोगों को दूसरे दिन बुलाते है। वे लोग बीस बीस मील से चल कर आते हैं। इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद भी जब वे घर पर वापिस नहीं जाने पाते तो रोष में आकर आदिवासी कहते हैं कि यह आपकी नाल, घोड़ा और बंदूक की लबलबी रखिये बंदूक की लकड़ी हमको दीजिये ताकि इसको जलाकर रात में ताप कर अपने आपको सेकें।

तो लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में निवेदन है कि आपको लाइसेंसिंग ही करना है तो जो दुनाली Muskets है यदि मजल लोडिंग गन है तो उनका तीन साल में एक दफा आप लाइसेंसिंग करें, तीन साल में एक दफा उसको बुलवायें। इसलिए जो बन्दूकों का हर साल लाइसेंसिंग करते हैं, मेरे ख्याल से वह कोई समझदारी की बात नहीं है। यह तो उन लोगों को तबाह और उत्पीड़ित करना है।

इसी तरह से नम्बरदारी व्यवस्था को भी आपने समाप्त किया, उसका भी घोर असंतोष है। अब जो कुछ भी व्यवस्था नम्बरदारी की जगह करना चाहेंगे वह मंहगी होगी और उसमें भ्रष्टाचार होगा क्योंकि नम्बरदार गांव के लोग ही होते थे। यदि नम्बरदार के फर्जयात आप पटवारी पर रखेंगे तो पटवारी की जगह मेरे ख्याल से आज राजा से भी बढ़ कर है। इसमें और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से कोई विशेष लाभ इस कानून से सरकार को नहीं है और न जनता को ही है। ऐसी स्थिति में नम्बरदारी प्रथा के उन्मूलन की जरूरत होती है ऐसा मैं लवलेश मात्र भी नहीं देखता।

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी के सम्बन्ध में भली-बुरी बातें कही गई। हम सुनने की क्षमता रखते हैं तो आपको भी रखनी चाहिए। स्वतंत्र पार्टी का जन्म खासकर विधान की अक्षुण्यता को रखने के लिए हुआ। यह वही विधान है जिसको कि आपने पन्द्रह वर्षों के अन्दर सत्रह दफा परिवर्तित कर दिया है। उसकी अक्षुण्यता को रखने के लिए और शासनारूढ़ दल के भ्रष्ट अधिनायक वाद को समाप्त करने के लिए हुआ है, जनतंत्रवाद को कायम रखने के लिए हुआ है। समाजवाद और जनतत्रवाद, हमारी मान्यता है, साथ साथ साथ नहीं चल सकते है। आपको यह एक्सपेरीमेंट करना है तो करें। लेकिन आप इस एक्सपेरीमेंट को किस मूल्य पर कर रहे हैं? कितना भ्रष्टाचार है, कितनी मंहगाई है। आपकी न्याय-व्यवस्था कितनी महगी हो गई है। आज शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था कितनी महंगी हो रही है? यह जनते हुए

Page No.49

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी आप हठधर्मी करते हैं। समाजवादी व्यवस्था लोकतंत्र में आस्था रखते हुए आप लाना चाहते हैं, जब कि मेरे ख्याल से समाजवादी व्यवस्था एकतंत्रीय है, एक पार्टी की विधि है, दो पार्टी की, बाई पार्टाइट रूल नहीं है, दो पार्टी का रूल नहीं हो सकता है; यदि दो पार्टियां रख कर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सफलता मिलना कठिन है। हर एक व्यवस्था की रीति-नीति हुआ करती है। हम अपनी रीति-नीति पर चले हैं। आपकी रीति-नीति, मेरे ख्याल में कुछ है ही नहीं। आप समाजवाद समाजवाद कहते हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिनायक-वाद है, कोई समाजवाद नहीं है।

विभाजन के सम्बन्ध में, काश्मीर के सम्बध में, एमर्जेन्सी के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि विभाजन जब देश का हुआ उस वक्त तो स्वतंत्र पार्टी थी ही नहीं। हुआ जैसा हुआ। हमको उसे मान कर चलना पड़ेगा और यह एक सामान्य बात है कि हमको पड़ोसियों से नाता ठीक रूप से रखना होगा। अगर पड़ोसी हमसे ठीक रूप से नाता नहीं रखते तो हममें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम पड़ोसी को ठीक कर सकें...

एक माननीय सदस्य : हममें इतनी शक्ति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप ठीक कहिये। आप काश्मीर की समस्या को पाले हुए बैठे हैं। आज पन्द्रह वर्ष तक उसे पपोल रहे हैं। सौ करोड़ सालाना उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। वहां के नेता को आपने बन्द किया जेल के अन्दर। युनाइटेड नेशन्स, संयुक्त राष्ट्र संस्था के अन्दर दूसरे देश तरह तरह के आक्षेप हम पर लगायें। आपमें इतनी क्षमता होनी चाहिए.......

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपके कहने से काश्मीर को पाकिस्तान को दे दें क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप सबकी बात सुनें, लेकिन करें अपने मन की। लेकिन आपको जानेंगे तो जब आप...

श्री मोतीलाल चौधरी : आपके कहने से काश्मीर को पाकिस्तान को दे दें ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप काश्मीर का सविधान के अनुच्छेद ३७० को भंग कीजिये, काश्मीर को अपने अन्तर्गत कीजिये, काश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाइये। लेकिन खेद का विषय तो यह है कि सरदार पटेल नहीं हैं। सरदार पटेल होते तो जैसे हैदराबाद की समस्या को हल किया उसी तरह काश्मीर की समस्या को भी हल करते। आज आपमें शक्ति नहीं है। आप कहते हैं, यह करेंगे वह करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पन्द्रह साल तक काश्मीर की समस्या का हल नहीं निकल पाये। आप करेंगे क्या ? क्या आप चीन को हटा सकते है ? कभी नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप जैसे उनके साथ आ जायं। तो...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : निर्जीव तटस्थता की नीति को देखते हुए मैं समझता हूं कि चीन को आप एक इंच भी नहीं डिगा सकते।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह चीन की समस्या, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी समस्या है जो एमर्जेन्सी की परिभाषा के अन्दर नहीं आती। एमर्जेन्सी एक अक्षुण्ण परिस्थिति है। यह चीन की स्थिति है, We must try to live with the problem. इस विषय को लेकर हमको रहना है, खाना है, सोना है, उठना है, बैठना है। यह तो निरन्तर समस्या है, एक कन्टीन्यूइंग प्रोब्लम है। हम इस प्रोब्लम को वास्तविक रूप से देखें। यह कन्टीन्युइंग प्रोब्लम, मैं समझता हूं, एमर्जेन्सी की धूतक है तो बिल्कुल फिजूल है। इस एमर्जेन्सी को जितनी जल्दी खत्म किया जाय उतना ही अच्छा है। क्या है एमर्जेन्सी ? अगर हमको बात करनी है तो हम बात करें, अगर बात नहीं करनी है तो हम बात नहीं करें। लेकिन यह स्पष्ट है कि हम चीन को अकेले हटा सकें उस भूमि पर से, जिस पर वह कब्जा करके बैठा है, दबा करके बैठा है; यह आज भी नहीं हो सकता; कल भी नही हो सकता।

हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान का दिल साफ नहीं है। काश्मीर के सम्बन्ध में, अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, पाकिस्तान चाहता है कि गड़बड़ी करे। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि यदि उचित हो तो हम बोर्डर वॉलन्टियर, मलेशिया के रूप से वहां की जनता को सशस्त्र कर, वहां की जनता की दिलजमई करें, वहां की जनता को ढाढस बंधायें और हम सीमा के ऊपर निरन्तर निगरानी रखें ताकि अगर कोई गड़बड़ी भी हो तो हमें जल्दी से जल्दी उस सम्बन्ध में सूचना मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के सिद्धान्त के अनुसार मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि परमिट, लाइसेन्स और कोटाज् की संस्था से भी जनता के अन्दर बहुत निराशा है क्योंकि इसमें भी बहुत अन्धा-धुन्धी है। सरकार अगर ईमानदार है तो क्यों नहीं एक ऐसा बोर्ड स्थापित करे जो स्टेचूटरी बोर्ड हो, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के समान फंक्शन करे। यह स्टेचूटरी बोर्ड का ही अधिकार हो कि वह लाइसेन्स, कोटा, परमिट वितरण करें; मंत्री महोदय लाइसेन्स, कोटा और परमिट वितरण नहीं करें। मंत्रियों के बीच में और जनता के बीच में एक बफर पैदा हो रहा है। मेरे ख्याल से उस बफर को उत्पन्न करना चाहिए। प्रशासनिक रूप से भी राजस्थान सरकार के लिए फर्स्ट शॉक बेअर करने के लिए यह स्टेचूटरी बोर्ड की उत्पत्ति आवश्यक और उचित मैं समझता हूं।

डूंगरपुर में सीमेन्ट का कोटा बालाबाला बाहर वितरित हो जाता है, यहां पर शिकायत की। मैं मानूंगा कि उसमें फर्क पड़ा। अब पतरों (Tin sheets) के कोटा का यही हाल है कि बालाबाला पतरों का कोटा बितरित हो जाता है। पता नहीं कितना होता है ? बस के सम्बन्ध में परमिट लाइसेन्स दिये जाते हैं। वे भी अपने पिट्ठुओं और कृपा-पात्रों को दिये जाते हैं उसके फलस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर मैं यह देखता हूं कि एक एक बस के अन्दर सत्तर सत्तर आदमी बैठते हैं। अधिकांश रूप से आदमी खड़े हुए सफर करते हैं। राज्य कर्मचारियों से, वह आदमी जिसको बस चलाने का लाइसेन्स मिलता है, डरा हुआ होता है और वह उनसे शुल्क भी नहीं लेता तो इस अंधाधुन्ध में जहां दो तीन बसें चलनी चाहिये वहां एक ही बस चलती

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान पुरजोर रूप से आकर्षित करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबन्ध में भी विचार करें।

(२.०० म० प०)

आसपुर क्षेत्र के अन्दर निर्माण कार्य का अभाव है और जब से मैं वहां से चुनकर आया हूं वहां पर सड़क या दूसरे निर्माण कार्य बिलकुल ठप्प हैं। यह मेरे स्वार्थ की बात है, पर मैं यह कहूंगा कि पिछले १५ सालों के अन्दर १४ मील सड़क का निर्माण हुआ है; एक साल में एक मील से भी कम। दो-तीन साल में दो-तीन मील पक्की सड़क....

एक माननीय सदस्य : पैसा कहां से लाएं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पंचायत समिति को ३६ हजार रुपयों की फीडर रोड के लिये मंजूरी दी है। जब मेन रोड नहीं है तो फिर फीडर रोड कहां से आए। जब फीडर रोड नहीं बनती तो फीडर रोड की रकम जो मंजूर की गई है वह मैन रोड में लगाई जावे तो बनकोडा से आसपुर के बीच में सड़क बन सकती है। आप इस पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, दिवालिया है। मैं यह कहूंगा की नीयत नहीं तो बरकत कहां से आए ? अगर पैसा नहीं है तो कम से कम मंजूर शुदा फीडर रोड की रकम दे दी जावे तो बनकोड़ा से आसपुर के बीच में सड़क बना दी जावे तो उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, जंगलों के संबंध में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनसे कुछ कहूंगा। यह समस्या बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं। मैं अभी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में घूम कर आया हूं। जगह जगह मैंने शिकायत सुनी। न तो डिमार्केशन के लिये, न प्रिजर्वेशन के लिये और न एक्सप्लोइटेशन के लिये कोई प्रबन्ध है। मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक कमीशन बिठाया जावे और उस कमीशन के द्वारा शिकायतें सुनी जावें और कम से कम डिमार्केशन के संबन्ध में कोई नीति अपनाई जावे, प्रिवेन्शन के लिये कुछ न कुछ नीति अपनाई जावे। अगर आपको इसके लिये लिस्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेन्स एडॉप्ट करना पड़े तो करें। लोगों को नाखुश न करते हुए कोई नीति निर्धारित करें ताकि ये जंगल आज की रफ्तार को देखते हुए २० वर्ष, २५ वर्ष तो क्या ७ या ८ वर्षों में ही खत्म हो जावेंगे। इसलिये मैं कमीशन की मांग करता हूं। जहां जहां मैं गया, मुझे बताया गया कि लोगों को धुवाली की पतली लकड़ी तक बाड़ा करने को नहीं मिलती। इसके लिये कोलाहल मच रहा है। आपने ऊंट चराई बढ़ा दी, लेकिन रेबारियों को ऊंट चराने के लिये स्थान नहीं है कि वे कहां पर ऊंट चरावें। ठेके के संबन्ध में भी कई माननीय सदस्य निवेदन कर चुके हैं और मैंने भी निवेदन किया और फिर भी करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन जंगलों के संबंध में एक कमेटी या कमीशन की नियुक्ति हो जो इसकी छानबीन करे तो ठीक होगा।

संस्कृत यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई। हमारे यहां तीन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यूनिवर्सिटीज् हैं। संस्कृत शिक्षा की उन्नति हो, यह मैं चाहता हूं, मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता। टैक्निकल व्यवस्था अगर जयपुर यूनिवर्सिटी में है तो संस्कृत का प्रसार ज्यादा से ज्यादा उत्तम रूप से हो सकता है। मैं समझता हूं कि अलग यूनिवर्सिटी जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक हाथी खड़ा करना है। मैं भी समझता हूं कि यह वाइट एलीफेन्ट, अलग यूनिवर्सिटी कायम करके आप अमल में न लावेंगे। अलग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता मैं अनुभव नहीं करता। मैं सदन के नेता, माननीय चीफ मिनिस्टर से भी यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का यहां पर अधिवेशन हुआ। उसमें बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि अन्धाधुन्धी हुई और सरकारी साधन भी जुटे, सरकारी खर्चा भी हुआ। स्पष्टीकरण के रूप में मैं चाहूंगा कि सदन के नेता माननीय को इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहिये कि कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नमेंट का कितना रूपया व्यय हुआ।

भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्ध में कहा गया, उनके प्रिवी पर्स के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। आपकी विचार-धारा है, हमारा जो कुछ भी मुआहदा है, एग्रीमेंट है, वह भारत सरकार के साथ है। जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था वही प्रधान मंत्री आज भी मौजूद हैं। अगर आप इन समझौतों को भंग करना चाहते हैं तो आपको भंग करने का अधिकार है। यथाशक्ति देश में सहयोग की भावना रख कर देश-सेवा करने के लिये हम तैयार हैं, इसमें कोई इन्कार नहीं। लेकिन अगर आप यह समझें की कांग्रेस में भूतपूर्व नरेश हैं, वे अच्छे हैं और दूसरे खराब और दुष्ट हैं, उनके प्रति आप रोष प्रकट करें तो यह असमानता का व्यवहार है। यह अन्याय है, अध्यक्ष महोदय। इसमें समानता लाने की भावना है वह इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें स्वार्थ, भ्रष्टाचार की प्रक्रिया सारी गवर्नमेंट हथिया रखना मूल में है। मंहगाई भी इसमें एक अभिशाप बनी है। मैं कहूंगा कि प्लान कोई भी हो तो सबसे पहले प्रायोरिटीज् का ध्यान रखा जावे। जो रूपया खर्च किया जावे वह कहां कम खर्च किया जावे और कहां ज्यादा, लेकिन जीवन की आवश्यकता पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिये। खाने के लिये अन्न और पहिनने के लिये कपड़ा और रहने के लिये मकान और सस्ता न्याय मिलना चाहिये।

एन्टीकरप्शन ठीक रूप से काम करता है तो उसका मैं विरोध नहीं करता। मगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, इसके संबन्ध में मैं दो शब्द कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि एन्टीकरप्शन वाले अपना काम करते हैं और कागज निकालते हैं, मगर मंत्री महोदय के पास जब केस जाता है तो सब बात रफा-दफा हो दब जाती है। यदि आपकी यही नीति है तो भले ही आप चीफ जस्टिस को या और किसी को भी मुकर्रर करें, ओमवड-समान आयोग के हों, तो भी यह करप्शन मिट नहीं सकता। अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आपको ठीक कदम उठाने होंगे। अगर सरकार ठोस कदम उठाती है और आगे बढ़ती है और दो-तीन को भी उचित रूप से सजा मिल जाती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा असर होगा। 'रंक मारे रावण कांपे।' अगर आप ठोस कदम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उठावेंगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका बहुत असर पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा और यह कांग्रेस पार्टी के लिये भी हितकर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आपकी योजना तथ्यों के साथ, वास्तविकता के साथ हो तो मेरे ख्याल में जनहित के लिये, देश के लिये लाभदायक होगी, नहीं तो यह समाजवाद और भ्रष्टाचार साथ साथ लेकर चलेंगे तो परेशानियां दिन-ब-दिन अवश्यमेव बढ़ेंगी और यह कहावत चरितार्थ होगी :

"क्यों कीजै ऐसा यतन जाते काज न होय।
पर्वत पर खोदे कुआं तो कैसे निकसे तोय ॥"

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर सरकार के कार्यों की काफी चर्चा की। सरकार ने जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य किये उनका काफी ब्योरा दिया। लेकिन आरम्भ से लेकर अन्त तक कहीं भी अभिभाषण में सरकारी कमियों, चाहें वे साधनाभाव से हों, चाहे जानबूझ कर हुई हों उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की व्यवस्था की काफी प्रशंसा की, पुलिस के कार्यों की, कानूनी व्यवस्था कायम करने की बड़ी प्रशंसा की, डकैती अभियान में सरकार की सफलता की काफी प्रशंसा की और यहां तक कहा कि इन कार्यों में सरकार सफल रही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने अपने कार्यों के द्वारा राजस्थान की जनता का अपने में विश्वास ही नहीं खोया है बल्कि जनता में, जनतन्त्र के प्रति आस्था में भी कमी की है। मैं एक दर्दनाक घटना सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कोटा जिले के अन्दर रायथल और शीशवाल डकैती काण्ड किसी से छिपा नहीं है। उसमें जो राजस्थान सरकार का हाथ रहा है, या राजस्थान सरकार ने उसमें अकर्मण्यता का परिचय दिया है उससे बढ़ कर कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता का प्रतीक हो।

(२.१५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रायथल और शीशवाल, ये दोनों ग्राम एक दूसरे से आठ-दस मील की दूरी पर बसे हुए हैं। ये दोनों ग्राम तहसील मांगरोल, जिला कोटा में हैं। शीशवाल अच्छा कस्बा है, वहां व्यापार काफी अच्छा होता है। पक्की सड़क से कोटा मिला हुआ है, जहां एम० पी० का हैड क्वार्टर है, मिलिटरी का हैड क्वार्टर है, जहां डी० एस० पी० रहते हैं। तारीख १४-१५ की दर्मियानी रात को वहां भयंकर डकैती हुई और आदमी भी पकड़ कर ले जाये गये। १४-१५ नवम्बर की रात ही पहली रात नहीं थी जब कि लोगों को पता चला कि डकैत आये हैं, इससे पहले ही सारे इलाके में सन्नाटा छा गया था। ये दोनों ग्राम भी किसी प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा से मिले हुए नहीं, उससे ५० मील के फासले पर हैं। आस-पास में कोई बड़े भी नहीं हैं कि जिनमें डाकू छिप जायं और लोगों को पता ही नहीं चले। काफी मीलों में खुला मैदान है, खेती होती है। डकैती पड़ने से तीन-चार दिन पूर्व ये डकैत लोग इन गांवों के आस-पास में ही

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रहे थे, लोगों ने पुलिस को इन डकैतों की इत्तला भी कर दी, ये डकैत दो दिन पहले शीशवाल ग्राम के पास में पड़े रहे। सेर भर पूरी प्राय: जहां नहीं बिकती थी वहां मन भर पूरियां गईं, सेव-मिठाई डकैतों से लिये गईं, लोगों में आतंक छा गया कि आखिर ये कहां जा रही हैं। लोगों ने पुलिस को कहा कि सशस्त्र डकैत पास ही में पड़े हुए हैं, पर सरकार की मशीनरी ने कोई जागरूकता नहीं दिखाई। १४-१५ की दर्मियानी रात्रि को डाकू देवीसिंह, डाकू डूंगरसिंह—दोनों डकैत अपने १७-१८ आदमियों को लेकर मय शस्त्रों के शीशवाली में शाम को ७ बजे आ धमकते हैं, उन्होंने पुलिस चौकी पर सबसे पहले कब्जा किया। इसमें एक तथ्य बड़े महत्व का है, उसे मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। शीशवाली पुलिस चौकी पर एक हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल थे। हैड कांस्टेबल को मांगरोल पुलिस थाने में इन्चार्ज बना कर भेजा, यह तथ्य एक महत्व रखता है इसलिये निवेदन कर रहा हूं। शीशवाल पुलिस चौकी मांगरोल थाने के अण्डर में आती है। तीन-चार दिन पूर्व मांगरोल का थानेदार रायथल गांव के अन्दर गया था और जिस सेठ के यहां डाका पड़ा था उस सेठ के सारे मकान का उस थानेदार ने निरीक्षण किया था। बन्दूकों, शस्त्रों का निरीक्षण उसने किया था, यह भी पूछा था कि कुल कितने कारतूस हैं। इसके बाद फिर बड़ा ताज्जुब होता है कि वह थानेदार इतनी जांच करके गया और तीन चार दिन बाद ही लम्बी छुट्टी पर चला जाता है। शीशवाल चौकी का हैड कॉन्स्टेबल मांगरोल का इन्चार्ज थानेदार बनता है। यह तथ्य काफी विचारणीय है। ये डाकू शीशवाल चौकी पर कब्जा कर लेते हैं, ७ बजे से इन डाकुओं ने वहां ऐलान किया कि यहां दो घन्टे के लिये कांग्रेस का राज्य खत्म हो चुका है, डाकू देवीसिंह और डूंगरसिंह का राज लागू होता है। फिर रात को साढ़े नौ बजे तक खुले आम डकैती की गई, लोगों को बांधा गया, मारा गया और हजारों रुपये का माल लूटा गया। इसके साथ ही साथ वहां के बड़े जिम्मेदार लोगों को भी डाकू अपने साथ में ले गये। श्री कैलाशचन्द्र जनसंघ के सदस्य नहीं कांग्रेस के सदस्य है, इसी सरकार के पुर्जे हैं, उनको ले जाया गया। सेठ कन्हैयालाल, बंशीधर और नाथूलाल मुनीम को पकड़ा गया, रुपयों के साथ साथ उनको ले जाया गया। जगन्नाथ माली ने चौकी पर जाकर कहा कि इस प्रकार अकर्मण्य बने बैठे हो, उस बेचारे को क्या मालूम कि वह यह किसके सामने कह रहा है, डकैत पुलिस की वर्दी पहने हुए चौकी में बैठे थे। जब जगन्नाथ ने कहा कि मैं अभी मांगरोल जाकर पुलिस को इत्तला करता हूं और यह कह कर वह भागता है तो जगन्नाथ को उसी समय गोली से मार डाला जाता है। गांव के सौ पचास आदमी मारे डर के उन डाकुओं को स्वागत के साथ पहुंचाने गये कि किसी तरह जल्दी से जल्दी यह बला यहां से टले।

इस डकैती के बाद डाकू रायथल गांव में जाते हैं, रायथल गांव में ६-७ साल पहले इन्हीं सेठ साहब के यहां डाका पड़ा था, पर राजस्थान सरकार ने इस गांव की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये डाकू लोग वहीं गये, डकैती डाली, सेठ साहब के पोते ओमप्रकाश को जो कि नाबालिग है पकड़ा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और अपने साथ में ले गये। इस प्रकार आसानी से, बड़े आनन्द के साथ आस-पास पक्की सड़क होते हुए भी, राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण पांच आदमियों और हजारों रुपये का माल अपने साथ लेकर डाकू लोग वहां से चले गये। शीशवाल में डाका पड़ा तो मांगरोल जाकर सम्बन्धित मानसिंह डी. एस. पी. को समय पर सूचना दी गई। रात को १० बजे वे मांगरोल में गये पर जो तत्परता और सावधानी बरतनी चाहिये, जिस स्मार्टनेस से कार्यवाही करनी चाहिये थी वह नहीं की गई। ऐसा लगता था कि डकैतों का पीछा करने के लिये नहीं जा रहे, केवल तफरीह करने जा रहे हैं। मांगरोल में उन्होंने आधा घंटा खराब किया, शराब पीते रहे, गोश्त खाते रहे। तीन-चार आदमियों को वे मांगरोल से अपने साथ जीप में लेकर गये। वहां लॉरियां थीं, बसेज थीं, आदमी थे, पर उनको नहीं ले गये। वहां उस गांव के एक मुनीम मौजूद थे उन्होंने कहा कि शीशवाल में चलना बेकार है, डकैत वहां लूटमार करके चले गये होंगे, अब वहां चलना बेकार है। और उसने कहा था कि मुझे आशंका है कि जो रायथल गांव है वहां लखपति लोग रहते हैं और शायद डकैत पहुंचे हों। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि डिप्टी एस. पी. मानसिंह ने जानबूझ कर इसकी बेपरवाह की। वे शीशवाल गये। डकैत जा चुके थे। यह उनको पता था। फिर भी भाग-दौड़ की गई। एस. पी. ११, ११॥ बजे शीशवाल पहुंचे। मोर्चे बन्दी करने लगे। ऐसा न हो कि डाकू मध्यप्रदेश में चले जांय। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन १५ तारीख को कुंवर महेन्द्रसिंह और अन्ता के प्रधान श्री मोतीलाल जैन दोनों शीशवाल गये, मांगरोल गये और वहां से उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को, आई. जी. पी. को और एस. पी. और कलेक्टर, और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं उनको फोन पर कॉन्ट्रेक्ट, करने की कोशिश की, उपाध्यक्ष महोदय। पर मुख्य मंत्री जी विराज रहे हैं, मैं यह उन्हीं के सामने कहूंगा। जब मुख्य मंत्रीजी को फोन किया गया तो उनके पी. ए. साहब ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी सो रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि यहां पर डकैती पड़ गयी है और यह तो दोपहर का समय है, अभी क्या सो रहे हैं, सो रहे हैं तो उनको जगा दो, भयंकर डकैती पड़ गयी है; तो उन्होंने (पी. ए. ने) जबाब दिया कि डकैती तो पड़ सकती है। आखिर मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कर सके। जब मुख्य मंत्रीजी को फोन किया और यह जबाब मिला तो गृह मंत्रीजी को फोन किया उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं ? मैं फोन करता हूं। उनकी ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने न ही कोई पुलिस फोर्स भेजी। आई. जी. पी. की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कलेक्टर. एस. पी. आये। लगभग दो बजे एक ग्रामीण के द्वारा यह पता दिया गया कि डकैत भागकर पहाड़ियों में नहीं चले गये हैं, अधिक से अधिक समय हो जाने के कारण और रायथल में दिन निकल जाने के कारण कुछ मील जाकर हटवाड़ा के मैदान में जहां पर ज्वार और ईख की फसल है उनमें वे छिपे बैठे हैं व जब उनको यह सूचना दी गई कि इस प्रकार डाकू छिपे बैठे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं तो एस. पी. और कलेक्टर और मानसिंह डिप्टी एस. पी. दो-तीन सौ जवानों को लेकर, जो कि शस्त्रों और कारतूसों से लेस थे, पहुंचे। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उनको मोर्चा जहां बांधना चाहिये था, वहां मोर्चा न बांधकर दो तीन सौ आदमी जो उनके साथ थे वे फॉल इन में खड़े हो गये; चारों तरफ से उस स्थान को नहीं घेरा गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे पहाड़ होते, दरड़े होते या इस प्रकार की कोई चीज़ होती कि जहां डाकू आसानी से संरक्षण पा सकते हैं और वहां पर उनसे मुकाबला मुश्किल हो तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन मैदान थे, जहां जवार की फसल और ईख की फसल खड़ी थी और जिनमें डाकू संरक्षण लिये हुए थे, जो कि केवल १६-१७ लोग थे, उनका मुकाबला यदि दो सौ, तीन सौ शस्त्रों से लेस पुलिस के जवान न कर सकें, इससे बढ़कर और अधिक क्या अकर्मण्यता हो सकती है, दो बजे से लेकर ६ बजे रात्रि तक घेरा रखा गया। हवाई फायर किये गये। उस नतीजा में कोई नहीं मरा। एक बैल मरा और बेचारा एक ब्राह्मण मरा। डकैतोंपर कोई आंच नहीं आयी। पाच मेंसेएकआदमी छूट कर आया। वह वर्णन करता है। डकैत कुछ नहीं कर रहे थे। वे पकड़े हुए आदमियों को सान्त्वना दे रहे थे। उन्हीं का आदमी प्रभुलाल, डकैतों का जो इन्फोर्मर था, उसको पकड़ लिया गया, वह अकेला एक जगह जाकर गोलियां चला रहा था बाकी सब बैठे हुए थे। डिप्टी एस. पी. मानसिंह, कोटा कलेक्टर और एस. पी. को यह कहकर कि आज तो दिवाली है कोटा में, यहां आपका रहना आवश्यक नहीं है, उनको यह कह कर टरका दिया। उनके जाने की डिप्टी एस. पी. मानसिंह मौके की इन्तजार में ही थे। उन्होंने अपने पास जो जवान थे उनको कहा कि इतनी देर हो चुकी है, आप लोग भूखे होंगे मांगरोल चल कर खाना खाओ। ६॥ और १० बजे के बीच पुलिस फोर्स को बुला लिया और मांगरोल चले गये। डकैतों को एक प्रकार से उनकी ओर से छूट मिल गयी, वे भाग निकले। यह पुलिस की बड़ी भारी अकर्मण्यता हूं, इससे बढ़ कर और क्या अकर्मण्यता हो सकती है। यह राजस्थान सरकार का कार्य है, राजस्थान की यह पुलिस है जिस पर गर्व किया जाता है कि यह जनता में लॉ एन्ड आॅर्डर के लिए विश्वास दिलायेगी। किस प्रकार जनता को विश्वास हो सकता है कि यह राजस्थान की सरकार जनता के लिए लॉ एन्ड आॅर्डर मेन्टेन करेगी? मैं निवेदन करूंगा कि इससे अधिक क्या तथ्य आपको चाहिये? किस प्रकार हम आशा कर सकते हैं इस सरकार से कि यह हमारी जान और माल की रक्षा करेगी?

पांच आदमी पकड़े गये थे। उनमें से एक आदमी नाथूलाल जब भिड़न्त हुई तो सिलप होकर उनमें से निकल भागा था। वही फैक्ट्स बताता है। डकैत जब सुरक्षित स्थानों पर चले गये तो बंसीधर नाम के आदमी को, जो मुनीम था, उन डाकुओं ने वहां से भेजा। उसको छोड़ दिया उन्होंने। दया आ गई हो इसलिए नहीं छोड़ा किन्तु लखपति सेठ के पास यह सामाचार भिजवाने के लिए कि एक एक लाख रुपया दोनों दें और पचास हजार रुपया वह दे। यह रुपया भिजवा देंगे तो हम छोड़ देंगे। जब यह कांड हुआ

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो उसके कुछ समय के बाद मुख्य मंत्रीजी और इस व्यवस्था के उप-मंत्रीजी दोनों का कोटा पधारना हुआ। उप-मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं। जिन बच्चों को डकैत पकड़ कर ले गये थे तो उनके संरक्षक आपके पास आकर मिले। आपको कहा कि यह हालत है, हम किस प्रकार अपने को सुरक्षित समझें, आप ही बतायें कि हमारे ये बच्चे, हमारे ये आदमी हैं उनको किस प्रकार छुड़ायें, डकैत पैसा मांग रहे है, आप कहें तो पैसा दे दें। उस पर आपका यह जबाब था कि मैं राजस्थान सरकार का नुमाइन्दा हूं। डकैतों को हम खत्म करेंगे। इसका क्या जबाब दूं कि आप पैसा दें या न दें? इस प्रकार की बातें कह कर टाल दिया गया। तीनों परिवार के बच्चे अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गये। राजस्थान सरकार कह सकती है, तीनों को छोड़ दिया होगा और पैसा नहीं दिया होगा। अपनी लाज को यह कर वह बचाना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार अपनी अकर्मण्यता को, अपनी असमर्थता को छिपाना चाहती है, वह छिप नहीं सकती है। जो अकाट्य सत्य है वह कभी छिप नहीं सकता। लाखों रुपया उनसे मांगा गया था और बगैर रुपये दिये वे लौट नहीं सकते थे। इस प्रकार सभापति महोदय, मैं इन तथ्यों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से शांति और व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं रही है जिसके बारे में मैंने सदन के सामने तथ्य रखे।

कोटा के अन्दर दो दो खून हुए। अभी तक खूनी का पता नही लगा सके। बाबूराम का मर्डर हुआ आज तक उसका पता नहीं लगा सकी। चन्दाराम के बच्चे का जो स्कूल गया था वापिस नहीं आया, जिसकी लाश नहर में पड़ी मिली और उसका हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया।

चोरियां रात-दिन होती हैं। चोरी मौके पर पकड़ी जाय तो ठीक हैं, लेकिन जो चोरी उसी बक्त पुलिस के पकड़ में नहीं आती है उसको बाद में पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रहती है।

अभी कुछ दिनों पहले कोटा के अन्दर एक बड़ी भारी घटना हुई, सभापति महोदय; मैं वह मंत्री जी के निगाह में लाना चाहता हूं। ६.२.६४ को लक्ष्मी वर्क्स शोप जो कोटा के अन्दर काम कर रहा है जहां वेगन रिपेयर्स का काम होता है वहा पर एक श्री बेजनाथ देशराज जो फिटर हैं इन दोनों के ऊपर भिन्न भिन्न चार्जेज् हैं इनके लिये भीमसेन, दामोदर-लाल और रामचन्द्र, उन्होने इन फिटर्स की शिकायत की। जी. आर. पी. स्टेशन कोटा में इन दोनों व्यक्तियों — बैजनाथ और देशराज को ले गये, जो करीब पांच चार हजार रुपये का सरकारी सामान चुराकर बाहर ले जा रहे थे। जिसके लिये पुलिस वाले कह रहे थे कि हम पकड़वायेंगे। ६.२.६४ को रात्रि को जनता ट्रेन जो कोटा से लगभग २-३ बजे जाती है उसके ऊपर ये तीनों व्यक्ति पुलिस सिपाहियों के साथ स्टेशन पर आते हैं। सभापति महोदय, जिस समय ये व्यक्ति पुलिस के साथ वहां पर आये तो बैजनाथ और देशराज ने मिलकर उनसे सौदा किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गरीब भीमसेन, दामोदरलाल और रामचन्द्र इन तीन व्यक्तियों को टिकट कलेक्टर से पकड़वा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

देते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम बंबई से आ रहे विदाउट टिकट हो, इसलिये तुमको पकड़ा जाता हैं। उनको वहीं डिटेन कर लिया, इनमें से तीसरा व्यक्ति भीमसेन किसी तरह से उनसे बचकर पुलिस स्टेशन गया। नतीजा यह हुआ कि जनता एक्सप्रेस चल चुकी थी जिसमें वे माल ले जा रहे थे उसमें मुल्जिम सामान लेकर रवाना हो गये। पुलिस स्टेशन ने इस संबन्ध मे कोई कार्यवाही नहीं की। वहां के थानेदार और हैड कॉन्स्टेबल ने इस मामले को टाल दिया। भीमसेन भाग कर इलेक्ट्रिक इन्जीनियर के पास जाता है, लक्ष्मी वर्क्स शोप के इन्जीनियर नारायणसिंह को यह सब सूचना करता है कि अपने डिपार्टमेन्ट से लगभग चार-पांच हजार का माल लेकर जनता मेल से लोग जा रहे हैं। इन्जीनियर साहब ने स्टेशनों पर इत्तला दी और इस तरह से गंगापुर स्टेशन पर जाकर माल पकड़ लिया गया। ताज्जुब यह है कि मुलजिम तो अब तक फरार हैं। आज पुलिस विभाग बिल्कुल अकर्मण्य सा हो गया है, जिस पर किसी की आस्था नहीं रह गई है। माल पकड़ लिया गया, लेकिन चोरों का पता नहीं।

आज हम देखते हैं कोटा में रेलवे मजिस्ट्रेटी है जहां पर पहले इतना काम रहता था कि वह निपटा नहीं सकते थे, वहां केसेज का इतना रश रहता था कि उसको निपटा नहीं सकते थे; किन्तु आज वहां की भी हालत यह है कि आज कुछ भी केसेज उसके पास नहीं हैं, खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसका मतलब यह न समझा जाय कि आज रेलवे पुलिस स्टेशन पर क्राइम होना बन्द हो गये हों, यह बात नहीं, जुल्म होते नहीं हों, यह बात नहीं। आज चोरियां होती हैं, लेकिन पुलिस की डायरी में वे रजिस्टर नहीं होती हैं, इस कारण सारी की सारी अदालतें खाली पड़ी हैं। इन बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार शान्ति कायम करने में सफल हुई हो, यह बिल्कुल असत्य है।

इसके बाद सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि हम यातायात का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और हम इस तरह से राज्य सरकार की आमदनी को बढ़ायेंगे। राष्ट्रीयकरण राजस्थान में बसेज का किया गया। राष्ट्रीयकरण की चर्चा विभिन्न माननीय सदस्यों ने भी उठायी है। आज जिस प्रकार से सरकार के बसेज का राष्ट्रीयकरण किया है उसमें हमें मुनाफा हो रहा हो, यह बात भी नहीं; इससे जनता को सुविधा मिली हो, यह भी नहीं। तो फिर राष्ट्रीयकरण से जनता को क्या मिला? कोटा से जयपुर का रेलवे का किराया कम है जब कि बस का जो राष्ट्रीयकरण किया है उसका किराया रेलवे के किराये से करीब सवाया है। इस तरह से एक तरफ राष्ट्रीयकरण कर किराया बढ़ाया गया और दूसरी तरफ जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली इसके अलावा जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं उनको तनख्वाह कम मिल रही है, बनिस्बत उसके जब कि वे प्राइवेट कम्पनी में काम कर रहे थे, उसके मुकाबले न उतना वेतन मिलता है न भत्ता मिलता है, रात्रि का अलाउन्स नहीं मिलता है। आज उनका वेतन कम है, भत्ता कम मिलता है, स्टोपेज का नहीं मिलता; इस तरह से कर्मचारियों की सुविधा भी खत्म हुई है। आज किराया ज्यादा वसूल किया जा रहा है, आज सरकार को कम्पीटिशन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किसी से नहीं है; यह आपका राष्ट्रीयकरण है। सभापति महोदय ......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : I would request the chair to correct the hon. Member From the very beginning he has been using the expression 'Sabhapati Mahodaya', while the Deputy Speaker is in the chair.

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस तरह से मैं बहकूंगा नहीं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था राज्य सरकार यह कहती है कि हमने राष्ट्रीयकरण करके मुनाफा कमाया है, यह गलत है। जितनी भी बसेज इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं उनकी हालत को देखा जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनकी वेल्युएशन खत्म हो चुकी है, इन बसेज की यह हालत है कि किसी का स्प्रिंग टूट गया है, तो किसी की खिड़की टूट गई, किसी का कुछ सामान गायब है, किसी को परवाह नहीं। आज यदि उनको मार्केट में बेचा जाय, पचास हजार की गाड़ी का कोई पच्चीस हजार भी देने वाला नहीं मिलेगा। इन बसेज का किसी प्रकार का मेन्टीनेन्स नहीं है। यह हालत है आपके राष्ट्रीयकरण की!

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कोटा और भोपाल के बीच में हमारी एक बस डाली गई है, उसका जो भाड़ा रोजाना मिलता है राज्य सरकार को वह चार सौ, पांच सौ रूपये से अधिक नहीं है; लेकिन दूसरी तरफ मध्यभारत की बस चलती है उसको प्रतिदिन रोजाना किराये से आमदनी होती है वह करीब ९००) रूपये की है। जिस रूट पर राजस्थान ४००) रूपये नहीं कमाये, जहां मध्य भारत ८००), ९००) रूपया कमाती है।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, हमने एयर कन्डीशन्ड बसेज भी चला रखी हैं देहली टू जयपुर वाया आगरा होते हुए। एक तरफ तो सरकार समाजवाद की बातें करती है और दूसरी तरफ आप नमूना देखिये, इस बस के ड्राइवर को १५०) रूपया युनिफॉर्म का मिलता है। इसमें होस्टेस ४ हैं, प्रत्येक होस्टेस ५००) को रूपया सालाना युनिफॉर्म के लिये मिलता है। इनको डेली अलाउन्स अलग दिया जाता है। लेडी होस्टेस का ग्रेड है २५०) रु० से ४५०) रु० तक; दस रूपया पर डे अलाउन्स मिलता है। यह है समाजवाद का नमूना! दूसरी बसेज के ड्राइवर्स को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं। उनके ड्राईवर को अलाउन्स नहीं मिलता, किसी को स्टोपेज का नहीं दिया जाता है, यह व्यवस्था है इस राष्ट्रीयकरण के बसेज की!

इसके अलावा इस रूट पर कोई चैकिंग की व्यवस्था नहीं है, किसी को चैक करने के पॉवर्स नहीं हैं। केवल जनरल मैनेजर को या डिप्टी मैनेजर को। दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो चेक कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में १८-६-६३ को एक बस नम्बर २५७६ इस रूट पर गई। उसमें आठ सवारियां थीं। उनमें से एक सवारी को टिकट नहीं दिया गया, एक सवारी का पैसा इस तरह से बचा लिया गया। उस रूट पर एक सवारी का पैसा १५५ रूपया बनता है जो होस्टेस और ड्राइवर ने आसानी से बचा लिया, जो शराब मांस के अन्दर खर्च किया गया। इसको

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कम्पलेन्ट नजीरअनी ने २८-६-६३ को पेश की है। उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हम बिना टैक्स किस प्रकार से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, यह उसका नमूना है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, आज कोटा में मांग की जा रही है टाटा मर्सीडीज गाड़ियों में हुए स्केण्डल की जांच की; इनमें कितना ब्लैक हुआ है, इसे जांचने की। पर सरकार इसे नहीं सुनना चाहती। गाड़ी खरीदी ही नहीं गई और ऊपर ही ऊपर ब्लैक में बिक कर चली गई। यह ट्रांसपोर्ट विभाग सरकार का इस बात की जांच करे कि पुष्पा मोटर्स द्वारा कितनी गाड़ियां खरीदी गई। बराये नाम कुछ टेम्पोरेरी परमिट अवश्य मिले हैं, पर आज तक दुबारा उनको परमानेन्ट करने या रिन्यू करने की दर्खास्त नहीं आई। वे गाड़ियां आज राजस्थान में नहीं हैं। बाहर उत्तर प्रदेश पंजाब, बिहार में बेच दीं गई हैं ब्लैक में। जांच की मांग की गई। पर सरकार आज तक जांच करने को तैयार नहीं हुई।

दूसरा कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी का स्केण्डल है। सरकार एक तरफ राष्ट्रीयकरण की बात करती है, दूसरी तरफ इन स्केण्डलों की जांच करने में लापरवाही बरत रही है। मैं यातायात मन्त्रीजी एवं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह कम्पनी दस लाख के शेयरों पर काम कर रही है। इसमें कोटा के वक्त का राजस्थान सरकार का भी दो लाख का पैसा शेयर के रूप में लगा हुआ है। कोटा स्टेट के बाद राजस्थान सरकार ने भी एक लाख के शेयर खरीदे हैं। लेकिन स्थिति यह है, कहने को दस लाख के शेयरों में काम कर रही है यह कम्पनी, पर पांच लाख रुपया इसने काम में नहीं डाला है। यह पांच लाख रुपया एक प्राइवेट फर्म हमीरमल गणेशदास के बैंक में जमा करा दिया। यह बैंक श्री बुधसिंह बाफना का है जो इस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी हैं। थोड़े दिनों बाद बैंक का दिवाला निकल गया और वे पांच लाख रुपये भी डूब गये। इसमें राजस्थान सरकार का भी रुपया डूब गया। मजबूर होकर उस पर दावा किया गया, डिग्री मिल गई, खर्चा छोड़ दिया गया। पर आज तक उसकी वसूली नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार इतनी लापरवाह है।

आज इस कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में तीन लाख रुपया पैसेन्जर टैक्स का बकाया है। पर इसे उगाने की राजस्थान सरकार को परवाह नहीं है। आज तक इस कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के खाते के प्रोवीडेन्ट फण्ड का रुपया जमा नहीं कराया। आज तक इस कम्पनी ने मजदूरों के भिन्न भिन्न हक नहीं दिये, उनके बोनस का पता नहीं, दूसरी सुविधाओं का पता नहीं। कर्मचारियों की यूनियन की मांगों को लेकर लेबर ऑफिसर के सामने एग्रीमेन्ट किये गये। पर आज तक उनका भी पालन नहीं किया गया। वेलफेयर फण्ड का रुपया भी हिसाब में नहीं दिखाया जाता। न समय पर तनख्वाह दी जाती है। ७ तारीख को तनख्वाह ड्यू होती है, पर आखीर महीने तक भी नहीं दी जाती। इस प्रश्न को लेकर मैंने उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट मोशन भी मूव किया था जिस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि मन्त्री महोदय इस पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विचार प्रकट करेंगे। आज उन मजदूरों को विवश होकर हड़ताल का नोटिस देना पड़ा है। कन्सोलियेशन अफसर बीच में आये। पर उसने भी पक्षपात किया। फलस्वरूप उसकी प्रोसीडिंग्ज को ड्रॉप करना पड़ा और फिर भी कुछ नहीं किया गया। आज वहां की यूनियन ने १६ तारीख से हड़ताल आरम्भ कर दी है। आज भी हड़ताल चल रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार ने प्राइवेट सैक्टर के इस तरह के बड़े बड़े पैट्स बना रक्खे हैं। दो लाख के सरकार के इस कम्पनी में शेयर मौजूद हैं, पर कोई डिविडेन्ड सरकार को नहीं मिला आज तक। आज यह कम्पनी दिवालिया हो गई है। अपने इस दिवालियेपन को छिपाने के लिये रोजाना बसों को बेचा जा रहा है। १५-२० गाड़ियां तो बेच चुके, पर राजस्थान सरकार चुप है। दो-तीन गाड़ियों के तो परमिट भी बदले जा चुके हैं, कुछ के ट्रान्सफर कराने की कार्यवाही चल रही है, कुछ को कोन्ट्रैक्ट बेसिस पर देने की बात हो रही है। पर राजस्थान सरकार के शेयर मौजूद हैं, जो हामी हैं मजदूरों के, आज तक चुपचाप बैठे हैं। न उन्हें रुपये की सुरक्षा का ध्यान है, न उनके अधिकारों का ध्यान है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, मैं और निवेदन करना चाहूंगा। ट्रेजरी बैंचों से कहा गया, जो मुझे कुछ चुभा। मुझे भी राजस्थान के कण कण पर गर्व है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कोटा बूंदी के लिये कुछ न कहूं। कहा गया कि कुछ साल पहले जो कोटा सुनसान लगता था, आज वहां सरकार ने उद्योग-धन्धे लगाये, उसकी तरक्की की। मैं निवेदन करूंगा कि कोटा की तरक्की नहीं की गई, बल्कि आज का इतिहास देखा जावे तो एक तरह से उपेक्षा ही की गई। जब जब भी वहां से मिनिस्टर आये— धारीवालजी, बृजसुन्दरजी—उनके वक्त में भी कोई तरक्की नहीं हुई यहां की।

यह तो देन है प्रकृति की यहां। जब तक चम्बल यहां रहेगी, जब तक यहां की उर्वरा भूमि रहेगी, तब तक राजस्थान सरकार कितनी ही यहां की उपेक्षा करे, उसकी प्राकृतिक उन्नति को मिटा नहीं सकती। इस दृष्टि से यह तरक्की करेगा और करता रहेगा। आपने वहां बांध इसलिये नहीं बांधा कि कोटा पर कोई दया की हो. चम्बल उस क्षेत्र में बहती है और बांध के लिये कोटा ही उपयुक्त स्थान था, इसलिये बांधा। उद्योग वहां इसलिये नहीं लगाये कि कोई आपने महरबानी की, बल्कि इसलिए लगाये कि बम्बई और दिल्ली लाइन पर, मेन लाइन पर वह पड़ता है। आज आपने मजबूरन सारी व्यवस्था कोटा में की, पर आपने उसकी उपेक्षा करने में भी कसर नहीं रखी। कोटा दिनो दिन तरक्की करता जा रहा है, लेकिन जितनी व्यवस्था होनी चाहिये, जितना पैसा कोटा को मिलना चाहिये, जितनी इण्डस्ट्रीज वहां लगनी चाहिये उसके लिये कुछ नहीं किया गया।

मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप कुछ समय पूर्व वहां पधारे थे। आपको एक मेमोरेण्डम दिया गया, जिसमें निवेदन किया था कि कोटा में भी कृषि युनिवर्सिटी स्थापित की जावे। लेकिन आपने उसको टाल दिया। मैं निवेदन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करना चाहूंगा, कृषि युनिवर्सिटी उदयपुर में उपयुक्त थी या कोटा में ? कोटा में ज्यादा उर्वरा भूमि है या उदयपुर में ? पर पक्षपात जहां हो वहां कौन देखता है इनको ? बी० एड० कॉलेज वहां खोलने की बात चली, पर आज तक इसकी भी उपेक्षा की जा रही है।

आज वहां पर भाग्य से या दुर्भाग्य से जनसंघ की नगर परिषद् है, कांग्रेस की नहीं है। इसलिये आज सरकार का रवैया उसके प्रति ऐसा है जैसा कहीं नहीं होगा। सरकार के वाटर वर्क्स और बिजली विभाग ने यह ठान ली है कि इस नगर परिषद् से कोआॅपरेशन नहीं करना। जैसे ही जनसंघ ने इसका चार्ज लिया, लाखों के डिमाण्ड नोटिस वाटर वर्क्स के और बिजली विभाग के आने लगे कि इनको चुकाओ, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। धीरे धीरे यह मामला शान्त हुआ। पर आज भी नये कनेक्शन देने में हर प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

कोटा की बढ़ती हुई स्थिति के साथ जितने साधन होने चाहिये वे मुहैया नहीं किये जाते। कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में बहुत भूमि है। उसका बेचान किया गया। लाखों रुपया सरकार को उसका मिला। लेकिन उसका कुछ भी अंश नगर परिषद् को डेवलपमेंट के के लिये नहीं दिया गया। मण्डी कमेटी बना कर उस रुपये को अपने पास रखा। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या मण्डी कमेटी के द्वारा जो भूमियां बेची गई आज तक भी उनका पैसा जो आया उसमें से कुछ भी परसेन्टेज नगर परिषद् को नहीं दिया गया।

इसके विपरीत कहने को राजस्थान सरकार सब कुछ कहती है, लेकिन जो वहां के उद्योग है और उद्योगपति हैं जैसा कि उधर से सवाल आया था कि उनको बिजली में बहुत छूट दी गयी है; बल्कि बिजली के ऊपर जितना कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम रेट के अन्दर उनको बिजली दे दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, कोटा नगर परिषद् को क्षति पहुंचाने के लिये, उसकी आय को कम करने के लिये इण्डस्ट्रीज को ऑक्ट्रोय से एग्जेम्पशन दिया गया है। जो माल वहां पर आता है नगर परिषद् उसके ऊपर किसी प्रकार का ऑक्ट्रोय टैक्स नहीं ले सकती। तो यह स्थिति आज कोटा नगर की है।

कोटा नगर में आज तक ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। सब कुछ होने वाला था, लेकिन कह नहीं सकते कि वह योजना कैसे खटाई में पड़ी हुई है ? केवल इतना ही नहीं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में थोड़ा उल्लेख किया था चम्बल का, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका उल्लेख करते करते ही इस विषय को छोड़ दिया। उन्होंने यह जरूर कहा कि सारे क्षेत्रों में जितने साधन हैं उनका उपयोग किया गया केवल चम्बल के द्वारा। तो जो नहरें चम्बल से निकाली गयी हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। पता नहीं उसके पीछे कारण क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर इस सदन के सामने कई सदस्यों के द्वारा यह स्थिति लाई गई कि जो कोटा जिला है उसके अन्दर आज सीपेज और वाटर लौगिंग की हालत पैदा हो गयी है और वहां पर प्रोडक्शन पर एकड़ कम होता जा रहा है। आज वहां पर पानी जमीन के ऊपर आ गया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है और उसके कारण फसल गल जाती है। इस समस्या को हल करने के लिये यहां पर बहुत एश्योरेन्स दिये गये थे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रेनेज जितना भी थोड़ा सा डाला गया है वह भी नाकामयाब रहा है। वहां के रास्ते अवरुद्ध हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही आया हूं। माणक गांव के लोग वहां पर मुझसे मिलने आये तो उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हमसे लगान मांग रही है और हम कहां से दें। वे कहते हैं कि हमारे यहां ज्वार खेतों में पड़ी है लेकिन पुलिया नहीं बनी हुई है और वहां पर आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और हम लोग मंडी तक किस प्रकार अनाज पहुंचायें ? तो आज वहां की यह स्थिति है। आज किसान वहां पर त्राहि-त्राहि कर रहा है और इसके बाद हमारी राजस्थान सरकार उस क्षेत्र में लगभग चाहती है बेटरमेन्ट लेवी। बड़ी अजीब चीज है ! उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सिद्धान्त के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा उल्लेख नहीं आया, लेकिन आज उस क्षेत्र में जहां कि प्र त एकड़ उपज कम हो रही है वहां पर सरकार बेटरमेन्ट लेवी मांगे और वह भी ६०-६५ रुपये प्रति एकड़ की बात करे ! मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को हम लोग हर प्रकार के प्रान्तीय टैक्स दे रहे हैं, केन्द्रीय सरकार को केन्द्र के टैक्स दे रहे हैं, सरचार्ज दे रहे हैं; तो आज किस प्रकार से बेटरमेन्ट लेवी मांगते हैं। वह भी उस हालत के अन्दर जब कि पर एकड़ उपज कम होती जा रही है। आज आप यदि वहां के किसान परिवार का हिसाब लगायें, उसके लेखे-जोखे का हिसाब लगायें, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हिसाब लगाया जाये तो मालूम होगा कि न जाने कैसे केवल अपने आपको ढांपकर वहां का किसान रह रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल ५ मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तो आज सरकार उस क्षेत्र में बेटरमेन्ट लेवी लगाना चाहती है, यह कहां तक न्याय-संगत है। आपने कोटा के साथ हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट किया है और सीलिंग के बारे में भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। कोटा जिले की तहसील लाडपुरा के बारे में जहां से मैं आया हूं वहां के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर प्रति एकड़ उपज कम हो रही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सीलिंग लगाते समय लाडपुरा तहसील में केवल २२ एकड़ की व्यवस्था की है। वहां पर ५५ बीघा के अन्दर ३०० मन गेहूं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब कि स्थिति यह है कि तहसील लाडपुरा के अन्दर एक बीघा के अन्दर अधिक से अधिक हो सकता है तो ३ मन गेहूं की उपज हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं, सरकार चाहे तो आंकड़े ले ले, अभी भी गेहूं की फसल आने वाली है। यानी ३ मन वहां की प्रति बीघा की उपज और वहां पर २२ एकड़ का सीलिंग लगाया जाता है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गंगानगर में २६ एकड़ का सीलिंग हो सकता है जहां कि इर्रिगेशन की व्यवस्था काफी अच्छी है, जहां सीपेज और वाटर लौगिंग की समस्या भी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं है और जहां पर किसान लोग पानी का इस्तेमाल करना जानते हैं वहां पर तो सीलिंग २१ एकड़ और लाडपुरा में २२ एकड़ का सीलिंग लगाया है, तो इसका क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर चराई के बारे में बहुत बात कही गयी कि चराई के बारे में हमने लोगों को राहत पहुंचाई। लेकिन आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय के अन्दर यदि आप कोटा की स्थिति को चारे के लिहाज से देखें तो आपकी आंखें खुल जायेंगी। जब यहां के मारवाड़ी लोग जाने लगे तो जंगलों में पड़ाव डाला तो, वन विभाग ने उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी और उनसे दुगुनी और तिगुनी चराई ली और केवल इतना ही नहीं हमारी राजस्थान सरकार ने कोटा के अन्दर उद्योग लगाने के नाम पर स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी को ४० मन घास केवल ४० नये पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से दे दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये कि एक तरफ तो अकाल, एक तरफ इस प्रकार की व्यवस्था राहत पहुंचाने की और एक तरफ फैक्टरी को इतना सस्ता घास। कोटा के अन्दर इन्डस्ट्री लगे, लेकिन कोटा का मवेशी भूखों मरेगा। वहां पर एक तांगा चलाने वाला जिसको २ रुपये भी रोज नहीं मिलते आज वह मजबूर है अपने घोड़े को घास खिलाने के लिए। कभी माननीय मंत्री जी कोटा आयें तो मैं उनको वहां का नक्शा दिखाऊंगा कि आज तांगे वालों की हालत क्या हो गयी है ? वहां पर आज घास के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। कोटा के अन्दर आप घास कहां से देंगे जबकि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी को इतना दे रहे हैं।

आपने इन्डस्ट्री की बात कही, लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जब से कोटा के अन्दर डी० सी० एम० इन्डस्ट्री का निर्माण हुआ है और जो कास्टिक सोडा बनता है उससे जो एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज होता है उससे ६-७ गांव प्रभावित हो चुके हैं और पांच, छः सौ मवेशी मर चुके हैं और जो लोग वहां पर लघु शंका के लिए जाते हैं वहां पर उनके फोले पड़ गये हैं। आसपास में तीन गांव तो ऐसे हैं कि जहां पानी की दूसरी व्यवस्था नहीं है। वह पानी उसी जगह से लेकर पीते हैं। तो इस प्रकार की आज अवस्था वहां की है।

वहां पर आज मजदूर सुरक्षित नहीं है। आज आपको कोई भी इन्डस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहां कि किसी भी मजदूर ने २४० दिन का कार्य पूरा कर लिया हो। आज कोई भी मिल का मालिक मजदूरों के २४० दिन कागजों में नहीं होने देता, उसमें ब्रेक कर देता है और यदि मजदूर यूनियन बनाना चाहते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, वे अपनी मांगें रख नहीं सकते, वहां पर मजदूरों का कोई राइट्स नहीं हैं और वहां जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितना समय लगेगा वह अपनी पार्टी का समय उसमें से लेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं समाप्त कर चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उस भाषण को सुनने से बहुत बड़ी भारी निराशा ही पैदा हुई है। हम यह सोचते थे कि कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद जिस कांग्रेस ने जनतंत्रात्मक समाजवाद के लक्ष्य की घोषणा की, राजस्थान सरकार अपनी उस घोषणा के अनुसार कोई नीति की घोषणा करती ताकि सही माने में लोगों को मालूम पड़ता कि यह सरकार कुछ तथ्यों में समाजवाद की ओर जाना चाहती है। कांग्रेस अधिवेशन में जो भी बातें कही गई उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, परन्तु खास करके मैं इस मामले में जरूर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बहुत पढ़े-लिखे लोग इस बात की फिराक में हैं और सोच रहे हैं कि जब हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस ने लोकतन्त्रित समाजवाद को मान्य कर लिया तो फिर दूसरी पार्टियां जो अपने आपको समाजवादी कहती हैं, वे भी लोकतान्त्रिक समाजवाद की बात करती हैं तो इन सबको एक साथ क्यों नहीं मिल जाना चाहिये ? एक ओर तो साधारण आदमी के दिमाग में यह बात चल रही है दूसरी ओर जब हम भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद में हर प्रान्त के राज्यपाल के भाषणों को पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां भुवनेश्वर में समाजवाद की बात कही गई उसमें से कोई अंश भी ऐसा नहीं आ रहा है जिस पर कहा जा सके कि कांग्रेस समाजवाद की ओर बढ़ रही है। मैं यह सोचता था कि हमारे राज्य में भी ऐसी घोषणा इस मौके पर होती जिसमें समाजवाद के किसी मूल-मुद्दे पर यह कह सकते कि इन्होंने भी कोई ऐसा कदम उठाया। बड़े छोटे-छोटे कदम इस घोषणा के अन्दर आ सकते थे।

(३.०० म० प०)

राज्यपाल महोदय का भाषण केवल भाषण के लिये नहीं होता है, वह एक नीति-दर्पण होता है। जिस प्रकार दर्पण के अन्दर चेहरा दीखता है उसी प्रकार अगर समाजवाद आपका लक्ष्य है तो वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दीखना चाहिये था, परन्तु हमें उसके दर्शन नहीं हुए। हमने ऐसे तथ्य जो नीति-निर्देशन के रूप में सुने हैं कि हम जनतान्त्रिक समाजवाद के लिए कटिबद्ध हैं; हम लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं, पर उसके साथ-साथ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना चाहते हैं ? हम क्या क्या और कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं, करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीयकरण की बात है तो बसों का तो पहले ही हो चुका है। दूसरी बातों का जहां तक सम्बन्ध है, एक बात इसके अन्दर कही गई कि बिचौलियों को हटायेंगे, तो वह किस प्रकार से हटायेंगे ? उसके अन्दर कोई घोषणा नहीं है। माईनिंग के अन्दर से बिचौलियों को हटायेंगे, परन्तु फाइनल डिसीजन क्या लिया है कि इस इस प्रकार से हटा देंगे, ऐसी कोई बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सही मायने में जो गवर्नर साहब का भाषण है, मैं निराशा की बात कहना चाहता हूं, उसके पीछे एक ही लक्ष्य कांग्रेस के भुवनेश्वर के समाजवाद का कतई दर्शन नहीं करते।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब जहां तक दूसरी बातों का सवाल है, मैं उनके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। इसके अन्दर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है सुरक्षा के सम्बन्ध में कि सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। आर० ए० सी० की चार बटालियनें जिनमें से दो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत और दो राज्य सरकार के अन्तर्गत चल रही हैं। मैं सीमा के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति है और उसके साथ-साथ जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए हम यह बात महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान की सीमा पर किसी भी समय खतरे की घंटी बज सकती है। आज काश्मीर के ममले को लेकर जो वातावरण दुनियां के अन्दर चल रहा है, जिस प्रकार की पाकिस्तान में तैयारियां चल रही हैं, उन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये परिस्थितियां कभी भी राज्य की सीमा के लिए खतरे की घंटी बजा सकती हैं। इसलिये हमारे राज्य सरकार को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिये। मैंने सुना है और सीमा की स्थिति को जाकर देखा है, जिसका मैंने उल्लेख किया है। मैं कहता रहा हूं कि सीमा पर किस किस प्रकार की कार्यवाही होती चली जा रही है। आज मुझे खबर मिली है कि पाकिस्तान के इस प्रकार के सी० आई० डी० हमारी सीमा के अन्दर है जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि इस क्षेत्र के अन्दर या तो हमारे साथ हो जाओ, या कम से कम अपने धर्म को बदल दो; अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा यहां रहना दूभर कर देंगे। इस प्रकार से उनको आतंकित करते हैं। हमारी राजस्थान की सीमा पर जितने गांव हैं; बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के हैं। हम तो धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन अय्यूब की जो नीति है वह नीति स्पष्ट है। वह निरपेक्षता में विश्वास नहीं करते हैं। पाकिस्तान का राज्य धार्मिक राज्य है। वे धार्मिक दृष्टिकोण से अपने राज्य का काम चलाते हैं. उनका प्रचार इस प्रकार से सीमा पर हो और इस प्रकार से वहां के लोगों को आतंकित किया जाय और उस मामले के अन्दर सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करे और इस मामले में सतर्क नहीं रहे तो मैं समझता हूं कि सीमा पर किसी भी समय खतरा हो सकता है। अभी आज की खबर है, जैसा कि अखबारों में देखने को मिला है वहां पर कुछ इलाके को आतंकित किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि बाड़मेर में जो अपने सच्चे के बेरे के पास में गांव हैं वहां पीर-पगार मुसलमानों के बनकर वहां पर बराबर जिस प्रकार का उपदेश देते हैं, वहां किस प्रकार के लोग जमते हैं, वहां पर क्या क्या बातें होती हैं; इस प्रकार की परिस्थितियां सीमा के आस-पास के गांवों में हर जगह पर की जा रही हैं, तो इस मामले में सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अब ऐसा मौका भी नहीं है कि राज्य सीमा की सुरक्षा अपने खर्चे से करती रहे। राज्य सरकार को खुले तौर से इस प्रकार की मांग करनी चाहिये कि सीमा पर पूरे खर्चे का उत्तरदायित्व अपने पर केन्द्रीय सरकार ले, अपनी फौज रखे। बटालियन हों तो उनके सारे खर्चे का उत्तरदायित्व उनके ऊपर हो और जिम्मेदारी

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनके ऊपर होनी चाहिये। इस प्रकार की जिम्मेदारी ऐसे मौके पर नहीं लेंगे तो आज की जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो सीमा की स्थिति है और जैसा वातावरण वहां पर है, उससे खतरा हो सकता है। तो इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

जहां तक व्यवस्था और नीति का सवाल है, व्यवस्था किस प्रकार की रहे और क्या रहे। डाकुओं के लिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में तारीफ की है। मैं भी मानता हूं कि जहां तक डाकुओं के सफाया करने का मामला है, तस्कर मामलों के अन्दर, डाकुओं को शरण देने के मामले के अन्दर जो कुछ हुआ है वह वाकई अच्छा हुआ है। मगर मुझे इस बात का खेद है कि मैं यह देख रहा हूं कि यह जो आपका आन्तरिक परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बीकानेर के इलाके के अन्दर जो बातें हुईं, आपके यहां पदों के मामले में परिवर्तन हुए, गृह मन्त्री का स्थान मुख्य मन्त्रीजी ने लिया और गृह मन्त्रीजी को दूसरा स्थान दिया गया है उसके सम्बन्ध में बीकानेर के आस-पास के लोगों के अन्दर जो यह भावना पैदा हुई थी, तस्कर और डाकुओं को बिखेरने के सम्बन्ध में और दूसरे मामलों के अन्दर कि नहीं अच्छे कदम उठाये गये हैं, वहां दुःख इस बात का है कि जो डाकुओं का साथ देने वाले थे, तस्कर करने वाले थे, वे खुले आम कह रहे है कि जिन लोगों ने हमको गिरफ्तार करवाया था उनको उठाकर, निकालकर बाहर कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा अनैतिक असर हो रहा है। इसका बुरा असर भी होता है। आपकी मन्शा शायद कुछ भी हो। गवर्नर महोदय के भाषण में इस काम की तारीफ की जाती है, लेकिन आपके इस परिवर्तन का यह असर हुआ है कि वे लोग प्रचार करते हैं कि यह सब कुछ हमने किया है। इस मामले में जहां तक जन-हित का सवाल है, जन-भावना का सवाल है मैं खुले आम कहना चाहता हूं कि जो परिवर्तन हुए हैं वे जन-भावना के विपरीत हुए है। उसका फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं। इसलिये मैं इन लफ्जों से आपके सामने कहना चाहता हूं। उसके बाद में मुख्य मन्त्री ने बागडोर सम्हाली तब से काम बिगड़ा हो, यह बात नहीं हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वे अच्छे नहीं हुए हैं। इसका हमारे इलाके पर बहुत बड़ा असर हुआ है। इससे तस्कर और बुरा काम करने वालों को राहत मिली है। वे सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हम अपना काम इसी प्रकार से जारी करते रहेंगे। यह आपकी नीति के सम्बन्ध में मेरे दिल व दिमाग में बात थी वह कही।

दूसरी ओर जहां कि व्यवस्था का सवाल है, मैं राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहता हूं। बाबूलाल गर्ग प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी के साधारण सदस्य थे। वे भरतपुर के इलाके के अन्दर, गांव के अन्दर रहने वाले एक मामूली कार्यकर्ता थे। उस कार्यकर्ता की जिस प्रकार के साथ में मौत की गई है, क्योंकि वह आदमी खुले आम जब राजनैतिक काम करने लगा था और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने लगा और भंडाफोड़ करने के बाद में वे लोग कहने लगे कि यह नया राजनैतिक नेता पैदा हो गया है। उससे पुलिस नाराज थी और दूसरे राजनैतिक लोग नाराज थे। उसका नतीजा

Page No.68

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह हुआ कि उनके दिल व दिमाग में यह भावना पैदा हुई कि इसको ठीक करना चाहिये। उसको बार-बार वार्निंग दी गई कि हमारे खिलाफ बगावत करते हो मज़ा चखायेंगे। उसके बाद में उसको धमकी दी गई। कुछ समय के बाद में कुछ और भंडाफोड़ किया गया तो कहा गया कि तेरे को कल तक साफ कर दिया जायगा। ऐसी परिस्थितियों में वह आदमी उसी गांव के अन्दर थानेदार के पास जाता है और कहता है कि आपने देखा होगा कि आज ऐसी घोषणा की गई है, एक बृजेन्द्र नाम के व्यक्ति के जरिये कि आज मुझको साफ कर दिया जायगा। मुझे भय है जान का, इसलिये आप मुझे आज की रात शरण दे दो, रात भर थाने में रहने दो, उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा। तब उससे थानेदार कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुमको घर पहुंचा देता हूं। बाबूलाल थानेदार के साथ अपने घर जाता है। थानेदार उसको घर से २५ फीट की दूरी तक पहुंचा कर उससे कहता है कि देखो तुम्हारा घर सामने है चले जाओ। थानेदार थाने की तरफ जाता है और बाबूलाल गर्ग अपने घर की ओर बढ़ता है और घर में घुसते ही उसको गोली दाग दी जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। आज बाहर का कोई व्यक्ति मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर तो नहीं कह सकता कि मुझे शरण दो, लेकिन जो मौके पर थानेदार है उसको जाकर कहता है कि शरण दो; लेकिन थानेदार शरण नहीं देता और घर तक पहुंचाने जाता है। उसको जिस समय गोली मारी गई उससे २५ फीट के फासले पर थानेदार था। पुलिस अधिकारी था उसने आकर देखा तक नहीं कि गोली किसने दाग दी। आज आपकी डैमोक्रेसी में कोई खिलाफ बोलता है तो उसको गोली दाग दी जाती है। यह आपके यहां किस प्रकार की परिस्थिति है? मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा कीजिये कि जो केस हुआ है उसकी जांच किसी निष्पक्ष ऑफिसर से कराई जायगी जिसको आप अच्छा समझते हैं·······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री : आपके भाषण से पहले ही मैं सुबह ही कह चुका हूं कि सारा मैटर डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को रैफर किया है। वे इसकी इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वारी करेंगे। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि संबंधित व्यक्ति को सतोष है।

श्री मुरलीधर व्यास : संतोष है, उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं; लेकिन मैं यह भी कहना हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति छोटी मोटी नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। डाकुओं और दूसरों के बारे मे कहा गया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह छोटी मोटी परिस्थितियां नहीं है, इस पर गभीरता से विचार होना चाहये।

अब मैं भ्रष्टाचार के मामले में अर्ज करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का सवाल बहुत बड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बिना ऊपर से हुए नीचे हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार मत्री लोग करते हैं और जब मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं तो नीचे के अधिकारी भी भ्रष्टाचार करते हैं। आप कहेंगे कि मंत्री किस प्रकार भ्रष्टाचार करते

(श्री मुरलीधर व्यास)
हैं, आप यह किस प्रकार कह सकते हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मन्त्रियों के नजर में आता है तो उनको भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कदम उठाना चाहिये, लेकिन पार्टी की दृष्टि से किये गये भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते नहीं हैं, चाहे ठीक है या नहीं है, आप उसे मान्य करते हैं तो नीचे के लोग सोचते हैं कि पार्टी इन पोवर अपने माफिक करती है तो हम क्यों नहीं करें ? मैं एक उदाहरण देता हूं। जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सरकार खुद कहती है, बृजसुन्दरजी ने अपने भाषण में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में आना नहीं चाहिये और यदि वे राजनीति में आते हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिये या कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अधिवेशन के समय जुलूस निकला उसके लिये हर जगह से-चाहे बिजली घर के मजदूर हों, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर हों, चाहे वाटर वर्क्स के हों, उनको मोटरों में भर भर कर राजधानी में बुलाया गया और कांग्रेस जुलूस में उनसे नारे लगवाये गये। क्या यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं था ? आपको कौनसा अधिकार था कि आप उनको बुलाते और अपने हित में नारे लगवाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खुला भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। चाहे बिजली घर के मंत्री हों, चाहे दूसरे विभाग के हों। आपने आंखों से देखा, आपने स्वयं ने बुलाया। क्या आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की ? नहीं, बल्कि आपने उनको शाबाशी दी। इस प्रकार जब सत्ता पर बैठनेवाले अपने हित में काम करते हैं तो दूसरे क्यों नहीं करेंगे ? मैं कहता हूं कि यह मंत्रियों का भ्रष्टाचार है, यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार है जिन्होंने पंडित नेहरूजी को बैठा कर बताया कि हमारे साथ कितने आदमी हैं; आपने प्रधान मंत्री को भी धोखा दिया। वह जनता का जुलूस नहीं था। आपने तो अपने कर्मचारियों का जुलूस निकाल कर बताया कि कांग्रेस के साथ कितने लोग हैं.......

एक माननीय सदस्य : वह तो मजदूरों की मार्च थी।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई भी मार्च हो, लेकिन मैं उसको भ्रष्टाचार समझता हूं। आप कहते हैं कि यह आपका भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जयपुर के पांच लाख नागरिकों के सामने आपका भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसको छिपा नहीं सकते। बृजसुन्दरजी ने कहा था कि वे धन्यवाद देते है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे मजदूरों में काम करते हैं; क्या उन्होंने इसको भ्रष्टाचार नहीं समझा ?

मंत्रियों की सम्पत्ति का जब सवाल आता है तो उनको महीने के महीने हिसाब देना चाहिये कि उनके पास कितनी सम्पत्ति है लेकिन वे हिसाब नहीं देते है, मांगते हैं तो भी नहीं देते है; लेकिन आखिर क्यों ? क्यों नहीं खुला आयोग बना कर इन लोगों की सम्पत्ति का हिसाब-किताब लिया जाय। आप यदि इस चीज को अपना लेते हैं तो दूसरों का भी आचरण बना सकते है, नहीं तो बना नहीं सकते। इसलिये मैंने इसका उल्लेख किया है।

जहां तक दूसरी बातों का सवाल है, पोलिसी मेटर का सवाल है, आपकी कामयाबी

(श्री मुरलीधर व्यास)

का सवाल है उसमें गवर्नर महोदय को एक बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी वे पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं:

> "हम सब जानते हैं कि इस संबध में अब तक किये गये तथा निकट भविष्य में किये जाने वाले समस्त प्रयत्नों के बावजूद हम केवल ऊपरी सतह ही छू पाये हैं।"

आप अंदाज लगाइये कि आप लोग अपना ढोल पीटते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया; लेकिन गवर्नर महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं समझता हूं राजस्थान के १५ साल के शासन पर यह एक बड़ा भारी कलंक व धब्बा है और साथ ही साथ आपको निर्देश है। उन्होंने राजस्थान के चित्र को जिन शब्दों में कहा है मैं उसको महत्वपूर्ण समझता हूं? "आप ऊपरी ढांचा छू पाये हैं", १५ साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ ऊपरी ढांचा छू पाये हैं। आपको सही बात का मनन करना चाहिये। १५ सालों में जनता को जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं कर पाये। आपने जो काम किया वह ऊपरी दिखावे की दृष्टि से ठीक हो, योजना की दृष्टि से आपको ठीक मालूम होता हो, कागज के दृष्टिकोण से आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में राजस्थान की जनता को भीतरी तरीके से जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिला। उसका कारण है। उसका कारण यह है कि १५ साल के ढांचे में यदि सरकार द्वारा छोटी सी घोषणा करने का सवाल होता है तो वह घोषणा भी नहीं की जाती।

राज्य कर्मचारियों की हालत सुधारने के लिए कम से कम इतना वेतन देना चाहिये, यह घोषणा करनी थी, लेकिन आप यह छोटी सी घोषणा नहीं कर पाये। इसमें कौनसे कानून की बाधा की बात थी। लोकतंत्र में समाजवादी ढंग पर चलने का नया निर्देश मिलता है कि हमारे राज्य में तनख्वाहों का अनुपात १ और १० का होना चाहिये; कम से कम एक आदमी को सौ रुपये मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे आदमी को एक हजार रुपये मिलेंगे। आखिर इन्सान रोटी खाता है कोई पैसा नहीं खाता, रुपया नहीं खाता, सोना नहीं खाता, वह अनाज खाता है। आप मानवीय दृष्टिकोण से समाजवाद के बारे में सोचते हैं तो एक हजार रुपये एक आदमी के निर्वाह के लिए काफी हैं। इससे अधिक मिलने वाले व्यक्तियों को आप कहते कि इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा और फिर आप नीचे वालों की हालत में तरक्की करते। लेकिन इस प्रकार की घोषणा आपकी तरफ से कभी नहीं होगी। तो आप इस छोटे स्वरूप को, इस छोटे मुद्दे को इस आधार पर नहीं सोच सकते तो हम कैसे मान लें कि आप समाजवाद के लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं? अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में बताया था कि जिन लोगों को सातसौ, एक हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार, पच्चीस सौ रुपये मिलते हैं उनको आप ढाई सौ रुपये स्पेशल पे देते हैं। आप इस स्पेशल पे को समाप्त कर दें तो आपको पच्चीस लाख की बचत हो सकती है। तो आप इस स्पेशल पे को कम से कम समाप्त करके उन गरीब

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोगों, जिनकी आमदनी साठ रुपये है, पैंतालीस रुपये है, को यह रुपया देते और उनकी हालत को सुधारते तो मैं समझता कि आपने कोई कदम उठाया है। परन्तु आप इस स्पेशल पे, इस समाजवाद के नाम पर और इस कड़ी से कड़ी महंगाई के समय के अन्दर भी समाप्त करके उन गरीबों को नहीं देना चाहते। फिर किस तरह आप समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं? समाजवाद आपका ढोल की आवाज की तरह है, दूर के ढोल की आवाज सुहावनी लगती है, वैसा ही है; लेकिन पास से देखने में ठीक नहीं लगती है। तो राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सोचना चाहिए।

अब योजना के लक्ष्य का सवाल है। आपने कहा कि हमने यह उत्पादन बढ़ाया, यह काम किया, वह किया। मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन के मामले में एक साफ रीति-नीति होनी चाहिए। उत्पादन १९५१-५२ के अन्दर जो था, उस समय हमारे राज्य के अन्दर दो करोड़ एकड़ जमीन जोती जाती थी, १ करोड़ ८० लाख एकड़ जोतते थे, उसके बाद आज तीन करोड़, साढ़े तीन करोड़ जोतते हैं। तो इस तरह जमीन एक, डेढ़ करोड़ हो गई ज्यादा। इसी तरह से बाइस लाख एकड़ जमीन सिचाई की जाने वाली जमीन थी। वह उसके बाद चालीस लाख एकड़ जमीन हो गई। तो जब सिचाई के साधन बढ़ जायं, जमीन ज्यादा बढ़ जाय उसके बाद आप कहें कि उत्पादन बढ़ाया है तो उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ना चाहिए आपकी सामुदायिक विकास योजनाओं के आधार पर। आप सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्दर अच्छा बीज देते हैं, अच्छे अच्छे आदमी लगाते हैं, अच्छे साधन देते हैं; लेकिन इसके बावजूद भी प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ता है। फिर आप कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। यह जो प्रोडक्शन बढ़ा है यह कोई सरकार की मदद से नहीं बढ़ा है। यह तो इसलिए बढ़ा है कि ज्यादा जमीन हो गई, फसल ज्यादा बोई गई। जैसे जैसे जमीन बढ़ती गई यह प्रोडक्सन भी बढ़ता गया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सिचाई के साधन बढ़ाने के बाद में आप यह कहते हैं कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ गया है; आपने इसमें कह दिया कि कपास और दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ गया है। मैं इस संबंध में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं वे आपके सामने रखना चाहता हूं और जो यह मानते हैं कि राज्य सरकार की देख-रेख में कोई प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसका इन आंकड़ों से अन्दाज लगा सकते है। इसके अन्दर हवाला दिया है गेहूं का। १९५५-५६ में प्रति एकड़ जो गेहूं का (पौंड के अन्दर) उत्पादन है वह है ८४८ पौंड। उसके बाद में १९५६-५७ में ८८० पौंड हो गया। जब ८८० पौंड प्रति एकड़ उत्पादन १९५६-५७ में है तो उसके बाद प्रति एकड़ उत्पादन ७७० पौंड हो गया, फिर ८९० पौंड हो गया, फिर ८७४ पौंड हो गया। जब १९५५-५६ में ८४५ पौंड था तो उसके बाद प्रति एकड़ उत्पादन घटता क्यों है? आपकी मेहनत से, जो आप मेहनत कर रहे हैं उनसे तो प्रति एकड़ उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ना चाहिये, परन्तु यह बढ़ नहीं रहा है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके बाद आपने आलू का दिया है। इसी प्रकार ग्राम (Gram) के व दूसरी चीजों के आंकड़े देखते हैं। उनके अन्दर क्या है, वह मैं आपको बताऊं। आपने वार्ले का दिया है, आलू का दिया है। ग्राउण्ड नट का दिया है। वह क्या है ? प्रति एकड़ उत्पादन १९५५-५६ के अन्दर दिया है वह है ७६० पौंड। यह दिया है १९५५-५६ में और फिर १९६१-६२ में है ४०६ पौंड। तो प्र त एकड़ उत्पादन के लिए आप जो कहते हैं कि आपकी सामुदायिक योजना के जरिये बढ़ रहा है वह गलत है। उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। यदि नही बढ़ रहा है तो आपको मान्य करना चाहिये कि कुछ न कुछ खामी है। मुझे खुशी है कि इसे राज्य सरकार ने माना भी है और मान कर यह घोषणा की है कि जो ऑफिसर जिस क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले हैं इनके क्षेत्र में यदि प्रोडक्शन नही बढ़ा तो उनके रेकार्ड के अन्दर यह दर्ज किया जायगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। यह जो कदम उठाया गया है इससे कितना लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हू कि प्रोडक्शन के सम्बन्ध में सरकार नाकामयाब रही है। मैं यह बात कहूं तो कोई बात नहीं है क्योंकि जो नेशनल कौंसल ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : मेडीकल कौंसिल है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : नेशनल कौंसिल, लोकनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर इस बात को कहा है। उसने कहा है दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए कि दूसरे राज्यों के अन्दर से जो प्रोडक्शन के अन्दर सहयोग मिलना चाहिये उसमें दूसरे प्रान्त कामयाब रहे हैं, लेकिन उसके अन्दर राजस्थान पीछे रहा है, नाकामयाब रहा है ! तो मैं यह बात कह दूं तो कोई बात नहीं है जब कि रिकॉर्ड में इस प्रकार की बात कही है। तो इसे सही तरीके से देखना चाहिये और अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ब्लॉक्स का सवाल है, इन ब्लॉक्स की नीति में परिवर्तन करना चाहिये। जो डैज-र्टेड एरिया हैं, उन एरियाज में जो रुपया खर्च करते हैं वह सब मिला कर राजस्थान के अन्दर जो पीने के पानी को देने की समस्या है, उनको हल करने के लिए; जैसे बीकानेर, नोखा, लूणकरणसर, मगरा और नागोर तक की सीमा के आस-पास भाखरा से चैनल निकाल कर पानी पहुँचा दें तो जो करोड़ों रुपया आपका है वह काम दे जायगा। लेकिन जो आप कॉम्युनिटी ब्लॉक्स पर रुपया लगाते हैं, मेरी मान्यता है कि वह कृषि के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन वह काम में नहीं आता है। उस रुपये को आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं और उसका लाभ जनता को मिल सकता है। तो नीति में वर्षों के अनुभव के आधार पर परिवर्तन होना चाहिये। अगर नहीं होता है तो हम समझते हैं कि रुपया वेस्ट होता है।

अब अकाल की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हुं। हिन्दुस्तान व्यापी जो परिस्थितियां है उनको लेकर मैं अकाल की बात कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान व्यापी परिस्थितियां हैं उनका असर जरूर है। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि क्या इस प्रकार के असर को रोकने के लिए, जब कि साल भर पहले हमारे सामने यह परिस्थिति थी, राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया ? साल भर पहले मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस पर मैंने कहा था कि महंगाई बढ़ रही है; तो कृषि मन्त्री ने कहा था कि कोई मंहगाई नहीं बढ़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात कह रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां थीं इसलिए उस समय कहा था कि भयंकर मंहगाई आने वाली है। राजस्थान के अन्दर त्रिकाल की स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार को सतर्क रहना चाहिये.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी भविष्य वाणी खराबी कर रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह भविष्यवाणी का सवाल नहीं है, साफ दीखता है। एक त्रिकाल है, दूसरा अकाल हो सकता है और मन्त्री महोदय कह दें........

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब मत बोलना कुछ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति बहुत भयानक है। वह भयानक स्थिति खास करके इसलिये है कि जैसा कहा गया है—हमारे यहां त्रिकाल है, त्रिकाल यानी मृत्यु। पहले अकाल में आदमी थोड़ा बहुत बच जाता है, दूसरी बार अकाल आ जाता है तो कुछ खराबी हो जाती है। लेकिन त्रिकाल हुआ तो त्रिकाल माने मृत्यु। जैसे लकवे के लिये कहा जाता है कि लकवे का पहला अटेक होता है तो आदमी बच जाता है लड़खड़ाता हुआ, दूसरे में थोड़ा बचता है, लेकिन तीसरे के बाद बच नहीं सकता। आज सही मानने में पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा यानी त्रिकाल है। इसलिए हमें बहुत गम्भीरता से देखना चाहिये। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हमने इतना रुपया लगाया, यह किया। ये सारी प्रकार की बातें हैं। पैसा तो लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि उन इलाकों में जिस प्रकार की भयंकर स्थिति है उसको देखते हुए हमारी राज्य सरकार को अपनी नीति और दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। उसको सोचना चाहिये कि जिस इलाके के अन्दर त्रिकाल हो उसके अन्दर हमको कौनसा परिवर्तन नीति में करना चाहिये। बीकानेर राज्य के समय १९४१ में अकाल पड़ा था। उस समय एक रुपया प्रति व्यक्ति मिलता था और बच्चों को दस आना मिलता था। हर आदमी को काम मिलता था, पर आज वहां पर काल पड़ा हुआ है और आप मजदूरों को वही एक रुपया देते हैं जो आप पहले सन् १९४१ में देते थे। आप फेमिन कोड में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। आप आज भी मजदूरों को एक रुपया देते हैं। इतना ही नहीं, एक बात और है और वह यह कि जितने मजदूर पहले पहले जाते थे उनको काम तो मिल जाता था, वह काम भी जितने मजदूर जाते हैं उनको नहीं मिलता। उनके बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको आप काम देते नहीं। आप फेमिन कोड में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। अगर आप परिवर्तन करना चाहें तो आप ऑर्डिनेन्स लाकर फेमिन कोड में परिवर्तन कर सकते हैं। जब कहीं पर सड़कों पर थोड़ा बहुत काम खुलता है और लोगों को मालूम होता है तो हजारों

(श्री मुरलीधर व्यास)

की संख्या में मजदूर वहां पर चले जाते हैं, मगर उन हजारों मजदूरों को काम नहीं मिलता। काम मिलता है केवल दो सौ, तीन सौ आदमियों को और बाकी के मजदूरों को काम नहीं मिलता। १५ या १६ वर्ष के लड़कों को काम नहीं मिलता है और बड़े हैं उनको आधे एक रुपया देते हैं। उनके पास जानवर भी होते हैं, उनके बच्चे और जानवरों को भी खिलाना और पालना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिये आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये। जो कोई भी काम पर आ जावे उसको काम नहीं मिले, यह नहीं होना चाहिये। सबको काम मिलना चाहिये।

आज मैंने इण्डियन एक्सप्रेस में देखे कुछ चित्र खिंचे हुए। एक बुड्ढा आदमी है, उसको पानी पिलाने के १०) रु० दिये जाते हैं। भैरोंसिंह उसका नाम है। उसके चार बच्चे हैं जो सेना में काम कर रहे हैं। देश-रक्षा में काम कर रहे हैं, मौत के मुंह में हैं। उनका बाप जिसकी उम्र ८२ साल की है आप उसको १०) रु० देते है। आप कहते है कि आप बुड्ढों और अपंगों को सहायता देते हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा आप ड्रम देखिये, वह तारकोल (डामर) का ड्रम है। क्या इतनी भी इन्सानियत बाकी नहीं कि तारकोल के ड्रम जिसमें बदबू आती है पानी लोगों को पिलाया जाए। पर वह भी आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि किसी दूसरे बर्तन में पानी रखा जाए। दूसरी ओर आप कहते है कि आपने बहुत प्रबन्ध कर दिया है अकाल पीड़ितों के लिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फेमिन रिलीफ कमीशन की मीटिंग में देखा कि हमारे यहां भी घास का प्रबन्ध किया गया है मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर घास ठीक ढग से दिया जावे तो वह बहुत कम समय के लिये है। आज की परिस्थितियों को निकाल लें। परन्तु महीने, दो महीने बाद में परिस्थितियां खराब होती चली जावेंगी और अगर आपने परिस्थितियों पर काबू नहीं किया तो आपको मेरी अर्ज है कि वहां पर वही स्थिति पैदा हो जावेगी जो सन् १९४३ में बंगाल की हुई थी और लोग भूखों मरने लग गये। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जावेंगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को स्पष्ट कहना चाहिये कि परिस्थितियां यहां की बहुत खराब हैं और इसके लिये राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं। इस बात को कह दें कि राज्य सरकार की सीमा के बाहर है और केन्द्रीय सरकार इसको संभाले। अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के किसानों की जो हालत होगी उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी और किसी दूसरे की नहीं होगी।

जहां तक अनाज का प्रश्न है, मंहगाई के बारे में प्रश्न है मैं कहूंगा कि मंहगाई के बारे में राज्य सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया। वहां पर मंहगाई इस हद तक बढ़ गई है कि जहां पर ग्वार पैदा होती है और वह जानवरों का एक मात्र खाद्य है, उसका भाव भी आज २०) रु० मन है। गेहूं का भाव भी यहां पर २०) रु० मन का नहीं था। आज ग्वार २०) रु० मन बिक रहा है। अगर सरकार पहले से घोषणा करती और ग्वार

(श्री मुरलीधर व्यास)

की निकासी बन्द कर देती तो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं होती। इस संबन्ध में प्रश्न भी आया था। मगर आपने उस पर ख्याल नहीं किया। अगर उस समय ग्वार की निकासी बन्द हो जाती तो जानवरों को बहुत सहायता मिलती। हमारे यहां अकाल की स्थिति थी। गंगानगर के इलाके में बहुत अच्छा गेहूं होता था उसको बाहर जाने से रोकना चाहिये था, मगर आपने नहीं रोका और अब गंगानगर का अनाज खत्म हो गया और बीकानेर में ३२) रु० मन का भाव है। गंगानगर के इलाके में बहुत अच्छा गेहूं होता था, परन्तु आपने उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की और वह बाहर चला गया। अगर आप इतनी व्यवस्था कर देते कि राजस्थान में भयंकर अकाल है तो राजस्थान में गेहूं रह जाता। आज क्या है, हमारे पास जो गेहूं था वह तो बाहर निकाल दिया और आज दूसरा ह्वीट दिया जा रहा है। उस ह्वीट के लिये हर जगह से शिकायत है कि यह ह्वीट बहुत पुराना है, गंदा है और बदबू देता है। मैं इसके संबन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जावे। मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। इसकी जांच करानी चाहिये कि हमारे गेहूं के मुकाबले में यह गेहूं पौष्टिक तत्व रखता है या नहीं। हमारे इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के लिये यह ठीक है या नहीं? सुनते हैं कि इसके खाने से पेट में दर्द होने लग जाता है।

एक माननीय सदस्य : आपने इस्तेमाल किया है या नही?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं प्रकृति के अनुसार काम करता हूं। मैंने प्रयोग में नहीं लिया है, लेकिन इतना कहता हूं कि कम से कम राजस्थान सरकार को इसकी जांच करा लेनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो एक साधारण सी बात है। लाखों रुपयों का गेहूं केन्द्रीय सरकार खरीदती है; तो कमजोर करने वाला और बीमार करने वाला देश में मंगायेगी क्या?

श्री मुरलीधर व्यास : केन्द्रीय सरकार ने कोई इसकी जांच करा ली है?

एक माननीय सदस्य : दो तरह के गेहूं देते हैं, एक तो लाल और एक सफेद। सफेद तो अब बन्द हो गये हैं, लाल गेहूं खराब हैं।

श्री हीराभाई : यह तो बाहर से कम्पनी से आते हैं। हर कम्पनी जांच करके लेती हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस सिलसिले में एक्सपर्ट नहीं हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी को इसकी जांच करा लेनी चाहिये, इसमें मैं कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा हूं जब कि लोगों की शिकायत है। मैं तो जनता की बात सुनता हूं, उसको सदन में रखता हूं और उसको सदन में रखने का मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। जांच आप करा लीजिये।

अब आपने कहा कि ५३ हजार टन गेहूं दो करोड़ जनता को बेचे गये, ५ महीनों में। जैसा मैंने रिपोर्ट में पढ़ा यह ५३ हजार टन कुछ हिस्सों के लोगों को ही मिला। आज गेहूं का भाव २५) रु० मन हो गया है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आपने १५ लाख मन ५ महीनों में बांटे हैं। मैं यह कहूंगा कि केवल बीकानेर को एक महीने के ५ लाख मन चाहिये। इसलिये मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की जो हालत है उसको देखते हुए यह जो गेहूं वितरित किया गया है वह बहुत थोड़ा है। मंहगाई बहुत बढ़ गई है। दूसरा अनाज खाने को नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): बीकानेर में कितना चाहिये। १५ लाख मन एक महीने में·······

श्री मुरलीधर व्यास: एक महीने में ५ लाख मन हमारे इलाके में चाहिये। आपने कहा कि १५ लाख मन ५ महीनों में दिये। तो मैं यह कहूंगा कि यह जो स्थिति है अनाज वितरण की, वह बहुत थोड़ी है। ५ महीनों में ५३ हजार मन क्या है? आपके गवर्नमेंट गोदामों वाले कहते हैं कि १ हजार बोरी रोज तोलते है। दूसरे इलाके कई ऐसे हैं जहां गोदाम नहीं हैं। आप चीप ग्रेन शोप की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे तो स्थिति खराब हो जावेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये।

यह ग्रेन का प्रश्न हुआ, मंहगाई का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि ५) रु० बढ़ा दिये। यह ५) रु० आपने बढ़ाये हैं वे अब तक कुछ कर्मचारियों के ही हैं। लेकिन ये जो आपने बढ़ाये हैं वे भी मैं कहता हूं कि मंहगाई को देखते हुए बहुत कम हैं। राज्यपाल महोदय ने जो आंकड़े बताये वे नवम्बर ६३ तक के बताये हैं। नवम्बर के बाद में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी—इन चार महीनों में जो मंहगाई बढ़ी है वह तो न० १४४ बता रहे हैं वह अब १६० हो जावेगा। आप देखेंगे कि नवम्बर में गेहूं और बाजरे के भाव क्या थे और अब क्या हैं?

इतनी तेजी के साथ भाव बढ़ गये हैं कि १०० के स्थान पर १३६ नहीं बल्कि १५० से १६० के बीच में समझिये। इतनी जबरदस्त मंहगाई जहां हो गई वहां मजदूरों को आप ५ रुपया देते हैं! इन ५ रुपयों में मजदूर इस बढ़ी हुई मंहगाई में जी नहीं सकेंगे। आज आपको मजदूरों के लिये यह फैसला करना चाहिये कि उनका मंहगाई भत्ता कम से कम २० रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तभी वे जी सकते हैं, नहीं तो ५ रुपयों में आप उसे जीता नहीं रख सकते। आप कहेंगे कि यह तो बहुत ज्यादा है, इतना हम नहीं दे सकेंगे; तो इसके लिये आपको केन्द्रीय सरकार से बात करनी होगी, आप केन्द्रीय सरकार से कहिये कि यहां की बड़ी विषम स्थिति है, यह नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा; ५) रुपयों से काम नहीं चलेगा। २०) रुपये तक इनका मंहगाई भत्ता आपको बढ़ाना पड़ेगा।

जहां तक कि कुछ नीतियों का सवाल है, मैं बहुत थोड़े में दो-चार बातें कहना चाहता हूं। एक तो सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा। जहां तक बसेज के राष्ट्रीयकरण की बात है वह ठीक है। उसमें खामियां हैं, दुरुपयोग होता है, बीच में लोग खा जाते है, वह तो व्यवस्था का सवाल है, सरकार को इन सबको रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध करना चाहिये। मेरी मान्यता है कि बसेज के साथ ही साथ गुड्स ट्रान्सपोर्ट का भी राष्ट्रीयकरण

(श्री मुरलीधर व्यास)

होना चाहिये। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को माल पहुंचाने के काम में आती हैं और हमारी आर्थिक व्यवस्था में बड़ी बाधा पैदा कर देती हैं। यू. पी. से राजस्थान में गुड़ आता था। जब गुड़ की समस्या हमारे यहां पैदा हुई तो भरत-पुर के आस-पास के इलाकों में ट्रकों वाले गुड़ ले जाने लगे, दो रुपया प्रति बोरी के हिसाब से थानेदार ट्रकवालों से ले लेता और ट्रक को राजस्थान में आने देता। आप अपने सी. आई. डी. से पता लगा लीजिये कि इस प्रकार प्रति बोरी दो-दो रुपया लेकर ट्रकों को पास करने वाले थानेदार लोग लखपति नहीं बने तो कम से कम ५०-५० हजार रुपया एक एक थानेदार ने कमाया है। इतना रुपया इन लोगों ने कमाया है, क्योंकि उन लोगों को मौका मिला, ट्रकों को निकाल दिया, दो रुपया फी बोरी के हिसाब से लिया और ट्रक को पास कर दिया, इस तरह थानेदार लोग मालामाल हो गये। इस प्रकार की परिस्थितियों में जब कि हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब से तथा यू. पी. से लगा हुआ है, इस प्रकार की कार्यवाहियों से हमारी आर्थिक हालत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है; सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। रेल्वे के बजट को देखेंगे तो पता चलेगा कि रेलवे को पैसेन्जर्स से डेढ़ सौ करोड़ की आमदनी होती है वहां गुड्स ट्रान्सपोर्ट से साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की आमदनी होती है। पैसेन्जर्स की बनिस्बत गुड्स से रेलवे को चौगुनी आमदनी होती है। यदि सरकार गुड्स ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करेगी तो इससे समाजवादी व्यवस्था में असंतुलन हो उसको भी ठीक कर सकती है। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिये। कॉर्पोरेशन के तरीके से चलाने की बात कही। मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोआॅपरेटिव बेसिस पर ट्रान्सपोर्ट को चलावें तो हम समाजवाद की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। सरकारी कॉर्पोरेशन के द्वारा भी सरकार चलाये तो उसमें आधा हिस्सा कोआॅपरेटिव बेसिस पर दूसरे लोगों का हो ताकि परस्पर सहयोग से काम हो।

इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वाटर बोर्ड वगैरह हैं। इनको भी कोऑपरेटिव बेसिस पर ले जाया जाय। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश ने भी बिजली और पानी को गांवों में पहुंचाने के लिये कोऑपरेटिव के सिस्टम को अख्त्यार किया और कोआॅपरेटिव सिस्टम के द्वारा गांवों को बिजली और पानी दिया। गांवों के लोगों ने देखा कि हमारे यहां बिजली और पानी आयेगा तो वे लोग भी हिस्सेदार बनने लगे, गांवों के लोगों की रकम को भी पानी और बिजली गांवों में पहुंचाने के लिये उपयोग में लाया गया। तो उसी प्रकार से हमारे यहां पर भी किया जाय तो गांवों की पूंजी का उपयोग किया जा सकता है, कार्य भी तेजी के साथ किया जा सकता है। इससे देश को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। यदि सरकार को गांवों में रहने वाले लोगों को प्रेरणा देनी है तो इस तरीके से उनको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। अमेरिका जो कि पूंजीवादी देश है, उसने भी बिजली और पानी गांवों में पहुंचाने के लिये इस तरीके को अख्त्यार किया है।

(समय-समाप्ति—सूचक घंटी)

अब मैं दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आमदनी और बेकारी की समस्या है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सरकार ने मानी है कि गत तीन सालों में हमारे यहां

(श्री मुरलीधर व्यास)

बेकारी बढ़ी है, हमारी सरकार बेकारों को काम नहीं दे पाई है और बेकारी हमारे राज्य में बढ़ी है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं सरकार से कि बेकारी का मसला और भी बड़े भयंकर रूप से राजस्थान सरकार के सामने आयेगा। आजादी के बाद जो बच्चे पैदा हुए वे बच्चे तो सरकार से अब काम मांगेंगे, आजादी के बाद १७-१८ साल बाद वे बच्चे आपसे काम मांगेंगे। आजादी से पहले जो बच्चे पैदा हो गये थे अब तक तो आप उनकी समस्या को भी हल नहीं कर पाये हैं। आपने शिक्षा का बजट बढ़ाया है पर शिक्षित बेकार अब आपके सामने आयेंगे, बहुत बड़ी फौज बेकारों की आपके सामने आयेगी। आजादी के पहले के बेकार थे उनको भी काम नहीं दे पाये है। आपकी आजादी के बाद में पैदा हुए लोग तो अब आपके पास काम मांगने आऐंगे और जो परिस्थितियां आपके राज्य में है उनको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप बेकारी को समस्या का हल नहीं कर पायेंगे। उसके लिये राज्य सरकार को राज्य का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक ही रास्ता आपके पास बेकारी को दूर करने का है और वह है केवल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का।

गांवों में अकाल पड़ता है, लोग काम के लिये शहरों में आते हैं, आपने उनको काम देने की क्या व्यवस्था की है? मैं मुख्य मंत्रीजो से अर्ज करना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणा हो गई कि कहां कहां क्या बना होगा। एक बात यह कही गई कि ४५०० स्पिन्डल का मिल खोलना चाहते हैं। हमारे इलाके में अकाल पड़ते रहते हैं, ऊन के मामले में हमारा इलाका सबसे आगे है, ऊन का प्रोडक्शन हमारे इलाके में सबसे ज्यादा और अच्छा होता है; इसलिये राजस्थान सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि वह कारखाना बीकानेर इलाके में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। तो समझूंगा कि पन्द्रह साल में बीकानेर की जनता को कम से कम कारखाने के रूप में एक चीज़ तो दी। आज बेकारी की समस्या है, उसको देखते हुए वहां के लोगों के लिये और कोई चारा नहीं है। इसलिये आपकी ओर से स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में यदि आप उद्योगों का विकास करेंगे तो हमारे राज्य में विकास हो सकेगा, अन्यथा स्थिति खराब होगी। बेकारों के लिये इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होना काफी आवश्यक है और इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं है। मेरी उनसे अपील है कि उस पर भी वे ध्यान देंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, कल जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनने के लिये यहां आया, भाषा ठीक थी, उच्चारण ठीक था और व्यक्तित्व भी ठीक था, मगर मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका सम्बन्ध झुग्गी और झोंपड़ी के रहने वाले लोगों से है, मजदूरों से है, खिलाड़ियों से है, उससे कोई प्रेरणा नहीं मिली। मैं यह सोचता था कि भुवनेश्वर अधिवेशन और महुआ में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी नीति में कोई नया मोड़ और दिशा लायेगी, मगर यह चीज इस अभिभाषण को पढ़ने और सुनने के बाद मालूम नहीं पड़ी। मैं सोचता था कि अगर यह गाइडेन्स है किसी चीज़ की, इसके अन्दर झलक जो नजर आती है वह झलक है रिप्रचुअली क्राइसिस की,

(श्री केदारनाथ)

झलक नजर आती है पोलिटिकल कन्फ्यूज़न को, झलक नजर आती है इकोनोमिक बैंक्रप्ट्सी की, झलक नजर आती है सोशियल बैकवर्डनेस की। उसमें कुछ सिल्वर लाइनिग्ज़ हैं। कहीं यह कह दिया कि पांच रुपया मजदूरों को रिलीफ दिया और कहीं यह बात कही कि आयन्दा के लिये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये विजिलेन्स कमेटी बनायेंगे और यह भी कहा कि जितने कन्स्ट्रक्शन्स के काम हैं, चाहे वे राजस्थान केनाल के हों, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के हों या किसी और महकमे के हों उनमें बिचौलियों को खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद वह नारा इतना ठोस और कीमतदार नहीं जितना कि होना चाहिये। कांग्रेस ने आज से पहले कई बार नीति और सोशियल आॅब्जेक्ट्स के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सन् ५३ में कहा था कि हम कोआॅपरेटिव फार्मिंग कायम करना चाहते हैं। आवड़ी अधिवेशन में समाजवाद का नारा दिया और समाजवाद के नारे के साथ १९५८ के चुनाव लड़े और यही सन् १९६२ के चुनाव में मैनीफैस्टो रहा। भुवनेश्वर में स्टेट ट्रेडिंग और कोआॅपरेटिव की बात सुनी। जयपुर और भुवनेश्वर के अधिवेशनों में भी इस प्रकार का विश्लेषण होने के बाद, यह एक खुशी की बात थी कि कांग्रेस के लोगों ने उन अधिवेशनों में बैठ कर अपनी नीति का मंथन किया कि किस रूप में नीति का निर्धारण होना चाहिये; लेकिन उसका यह रिज़ल्ट है कि सोशियल आॅब्जेक्टिव हमारे सामने कायम करने के बाद जो कमियां थीं उनको आपको छोड़ना चाहिये था, उसके बजाय आप उठी हुई ताकतों को दबाना चाहते हैं; तो उसका निष्कर्ष यही निकालना पड़ेगा कि आपको इस प्रकार की हार का सामना करना पड़ेगा, जिस प्रकार की हार महुआ में आपकी हुई। महुआ में मैं कांग्रेस की व्यक्तिशः हार नहीं मानता। लेकिन मैं समझता हूं कि १३ साल की सरकार की लाइफ में कांग्रेस ने गलतियां की हैं और उसी का परिणाम है कि उनको हार का सामना करना पड़ा है।

एक व्यक्ति अफसर हो, ऊंची क्लास से बिलोंग करता हो जिसने कोई सोशियल काम किया न हो, उस इलाके का रहने वाला न हो, सारी स्टेट की ताकत, कांग्रेस की ताकत इकट्ठी होकर खर्च करे, मैं समझता हूं कि आपको यह सोचना चाहिये कि १२-१३ साल से शासन में होते हुए भी प्रिविलेज्ड क्लास से क्यों हारे ? पिछड़े हुए वर्ग में, भूमिहीनों में उन्होंने क्या किया ? एक सेन्टेन्स में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं; एक ऐसा सेक्शन जो प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग करता है, जो किसी न किसी रूप में कांग्रेस में भी उसकी नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिये घुस गया है, उस कारण से कांग्रेस की नीति उस रूप में इम्प्लीमेंट न हो और उससे लोगों में गुस्सा पैदा हो और जो छुटने के लिये आमादा हों, उसके लिए मैं आपको एक सेन्टेन्स कह देता हूं। "There is a conspiracy of the privileged class" 'रूलिंग क्लास' से मेरा मतलब जो 'प्रिन्सली क्लास' थी पहले, उससे नहीं। Socialist planning is as dangerous to the State as dangerous is the crisis of confidence of common man.

आपने १३ साल में, आम जनता में जो आत्म-विश्वास पैदा होना चाहिये था, जो

(श्री केदारनाथ)

आत्म-विश्वास की भावना जागृत होनी चाहिये थी, इकोनोमिक दृष्टिकोण बदलना चाहिये था, लोगों का स्टेण्डर्ड ऑफ लीविंग बढ़ना चाहिये उसकी तरफ आंख बन्द कर दी। दूसरी तरफ कॉबेनेन्ट के नाम से, पर्सनल प्रोपर्टी के नाम से, कहीं कहीं इम्पोजिशन ऑफ लैंड ओनर्स में रियायतें दीं, सीलिंग में रियायतें दीं, प्रिविलेज्ड हैं इस तरह की इजाजत दीं, ट्रेड इण्डस्ट्री मे अथवा किसान के रूप में जो घुस गये हों कांग्रेस में, जो कांग्रेस में इस प्रकार का रूप बना कर घुस गये हों, राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में जो इस प्रकार से इकट्ठा होकर कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, उसी पृष्ठभूमि में महुआ के चुनाव को देखना चाहिये। कांग्रेस अपनी पोलिसी नियत करती है। भुवनेश्वर में यह प्रस्ताव क्यों रखना पड़ा? इण्डस्ट्रियल इकोनोमी का नारा दिया। यह ब्रिटेन के समान ही है। मैं आपको थोड़ा इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगा। भुवनेश्वर का जो प्रस्ताव है वह कोई अटकल पच्चु बात नहीं है। १३ साल के शासन में कांग्रेस ने जो सबक सीखा था वह उसने इसी प्रस्ताव के रूप में यहां रखा था। ब्रिटेन में भी जब मंहगाई बढ़ रही थी, फिजूल खर्ची बढ़ रही थी तो कैपिटलिस्ट्स ऑर्डर के बाद इम्पीरियलिज्म आ गया। हमारे सामने सोशियस्टिक ऑब्जेक्ट रखा गया है। उसका मतलब यही है कि हमारे सेक्टर करें। कोऑपरेटिव सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर आपस में डिफरेंशियेट कर दे, यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिये। कुछ इण्डस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लें तो यहीं तक यह कारगर नहीं होगा। जितने बैंक्स है, जितने चैकर्स नियुक्त कर देते हैं तो आप समझते हैं कि ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इकोनोमी को गिरा रहे हो और लोगों के कॉन्फिडेन्स को दूर फेंक रहे हो। जब समाजवाद पर विचार करने बैठें तो ये विचार सामने जरूर रखें। जब तक पिछड़े हुए वर्ग को, हरिजनों को, भूमिहीनों को भूमि में हिस्सा नहीं मिलता है तब तक आपका समाजवाद का नारा वैसा का वैसा साबित होगा जैसा महुआ में साबित हुआ है। यह तथ्य हैं और यह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं! भुवनेश्वर में चुप्पी और उसके बाद महुआ में हुई करारी हार गलत नीतियों का कारण है। जब तक आप इकोनोमी में नया मोड़ नहीं लाते है, नयी रोशनी पैदा नहीं करते हैं, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होगा। हो सकता है, कुछ व्यक्ति अपनी कुर्सी में वापिस न आवें लेकिन आप अपनी गलत नीति के कारण हमारी स्टेट को नुकसान पहुंचायेंगे। आने वाली हिस्ट्री बर्दाश्त नहीं करेगी, भूलेगी नहीं, यदि आप अपने आपको नहीं सुधारेंगे। हम देखते हैं कि हमारा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना बढ़ा? २ परसेन्ट। पब्लिक सेक्टर्स की बात मेरे से पूछिये। तीन-चार अन्डरटेकिंग्ज हैं हमारे। गंगानगर शुगर फैक्टरी है। दो-तीन साल पहले वहां २७ लाख मन गन्ना क्रश हुआ था, पिछली साल १७ लाख और इस वक्त तक ११ लाख क्रश हुआ।

(४.०० म० प०)

अगर आप इस बात को कहें कि हमारा प्लानिंग पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहा है, हम सारी चीजें स्टेट सेक्टर में ले आये हैं; तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिन जिनको स्टेट सेक्टर में लिया है उसमें हो रहे

(श्री केदारनाथ)

मिसमैनेजमेन्ट की वजह से इस पब्लिक सेक्टर को बदनाम कर दिया है। दूसरी ओर आप यह कहें कि हमें धन्यवाद इसलिये देना चाहिये कि हमने खेती-बाड़ी के मामले में, अन्न की पैदावार के मामले में अपने प्रान्त को आत्म-निर्भर कर दिया है, राजस्थान को सेल्फ सफिशियेन्सी पर ले आये हैं, वह भी मैं समझता हूं आपका कहना ठीक नहीं है। आपका फर्स्ट फाइव ईयर प्लान मे जो टार्गेट था वह ३८ लाख टन का था। आपने उसको दूसरी योजना में ६० लाख टन कर दिया है, लेकिन पिछले वर्षों मे हम देख रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार सेशन में घोषणा की थी कि हमारे प्रान्त में अनाज की पैदावार में १७ परसेन्ट की वृद्धि हुई है। वे ही चीफ मिनिस्टर महोदय नेशनल डिफेन्स कौन्सिल के सामने जब भाषण देते हैं तो कहते है और अपनी राय जाहिर करते हैं; प्लानिंग कमीशन के सामने कहते है कि खेती-बाड़ी की पैदावार मे साठ परसेन्ट की कमी हुई है। यह है हमारे प्रान्त के आंकड़ों का हाल। कहीं कुछ आंकड़े पेश कर दिये जाते हैं, कहीं कुछ। वह भी चीफ मिनिस्टर साहब को उन गलत आंकड़ों के आधार पर कहना पड़ता है। इस प्रकार के आंकड़ों से हम इसके सही विश्लेषण पर नहीं पहुंच पाते हैं, यह बड़े दुःख की बात है एवं लज्जा की बात है। यह तो खेती-बाड़ी की बात रही।

अब आप प्लान के बारे में लीजिये, जहां हमारा तीसरा प्लान २३६ करोड़ रुपये का था उसको दो वर्ष के बाद, चुनाव हो जाने के बाद इसमें स्केल डाउन किया गया, उसको घटा कर २०६ करोड़ का कर दिया गया कोर ऑफ दी प्लान का। पिछली साल जब इस विषय में इस सदन में चर्चा हुई उस समय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि कोर ऑफ दी प्लान में २०६ करोड़ रुपया रखा गया है। लेकिन आप इस पर भी देखेंगे, पांच साल के खत्म होने के बाद भी हम इसमें से जो खर्च कर पायेंगे वह १६४ करोड़ से अधिक नहीं होगा। इस प्लान के टार्गेट तक भी हम नहीं पहुंच सकेंगे, न इसको फुलफिल ही कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक टार्गेट रखा था कि बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट देने का उसको भी हम पूरा नहीं कर सके। हमारे द्वितीय पंच वर्षीय योजना का बैक-लोग था १८; उसमें हम आठ लाख लोगों को नौकरी देंगे, यह प्रावधान था। लेकिन जब हम १९६१ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अनुसार जो अनुपात आता है आबादी वृद्धि का वह २.६ का आता है; उस लिहाज से मैं नहीं सोचता, आप दस लाख लोगों को रोजगार दे सकेंगे। आपकी खुद की रिपोर्ट है उसके अनुसार आप केवल ६.५ लाख लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इसलिये एम्पलोयमेंट की दृष्टि से भी हम इसे देखें तो इसमें भी आप अपना टार्गेट अचीव नहीं कर सकेंगे। खेती बाड़ी की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की दृष्टि से भी प्लान में किसी तरह की सफलता नही मिली; तो वैसी हालत में मैं नहीं समझता कि हम अपने तीसरी पंच-वर्षीय योजना के टार्गेट को पूरी तरह से प्राप्त कर सकेंगे, इसमें भी मुझे शक है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं।

(श्री केदारनाथ)

पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में सफलता प्राप्त की थी, उसके द्वारा कुछ डाकुओं को मारा गया, कुछ डाकुओं ने अपने आप सरेन्डर भी कर दिया, कुछ स्मग्लर्स को पकड़ा भी गया, लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन का जहां तक ताल्लुक है डाकुओं के सफाया करने में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर बोर्डर के आस पास जिस तरह से स्मग्लर्स की लिस्ट आज से तीन चार-महीने पहिले बन यी गई थी, किस तरह से उन लोगों ने पुलिस के यहां के लोगों से मिल कर, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरे पास वह रिपोर्ट है जिसमें उन लोगों का नाम है उनमें से कितनों ने यहां आकर अपने नाम उस लिस्ट में से कटवाये, पांच पांच हजार रुपये देकर, यह एक हार्ड ट्रुथ है, अगर ऐसी बात हमारी सरकार की तरफ से होती है उस लिस्ट में जहां २५० व्यक्तियों के नाम होते हैं, एक एक का नाम कटवाने का पांच पांच हजार रुपया लिया जाता है तो कितना रुपया बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर महोदय अपना जवाब देते वक्त इस बात का आश्वासन देंगे और इस बारे में एक जांच कमीशन बिठायेंगे ताकि इस मामले की खुली जांच हो ... ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसमें रहम करने की क्या बात है ? इस बारे में किसी पर महरबानी करने की जरूरत नहीं। साफ चीज है तो उसे साफ तौर से आप सदन के सामने रखिये, नाम बताइये, कौन कौन हैं ताकि हमको भी मालूम पड़े और हम भी कमीशन को अपोइन्ट करने के बारे में सुझाव दे सकें।

श्री केदारनाथ : मेरे पास उनकी दरख्वास्तें हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप उनको सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री केदारनाथ : मैं वह रख दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आगे रेफर करने से पहले रख दीजिये।

श्री केदारनाथ : इस तरीके से डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स का इस्तेमाल करना और उसके तहत लोगों को गिरफ्तार करना छः महीने के बाद गिरफतारी के छोड़ देते हैं यह डी० आई० आर० के साथ एक प्रकार से मखौल करना है। जो सूची थी उसमें से एक के खिलाफ भी केस साबित नहीं कर सके। पहले कमिटी थी, यहां से उसके लिये वारंट्स इश्यू करते थे, अब एस० पी० और कलेक्टर को दे दिया है। वे एक प्रकार से पशु हैं, वे एस० एच० ओ० पर छोड़ देते हैं, वे मेज से उस लिस्ट को लिये हुए गांव में, गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों से पैसा बटोरते फिरते हैं। मैं आपके सामने वह फहरिश्त पेश करूंगा, उन सब दरख्वास्तों के पेश करने के बाद आपसे कमीशन की मांग करूंगा।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, पांच-सात रोज पहले हमारे खाद्य मंत्री ने घोषणा की थी कि अनाज का वितरण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, चीनी का वितरण अपने हाथ में लिया है। यह स्टेट ट्रेडिंग का पहला स्टेप है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें इस ओर खास निगरानी

(श्री केदारनाथ)

रखने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने प्रान्त को अनाज के मामले में स्वावलम्बी मानते हैं, लेकिन आज हम देखते है कि यहां का अनाज गुजरात और बम्बई में बिकता है। खैर यह सेन्टर का मामला है, मैं इस बारे में ज्यादा रोशनी डालना नहीं चाहता। शुरू से यदि हम इस बारे में प्रिकॉशन लेते तो आज यह नौबत हमारे सामने नहीं आती, हमें यह पता था कि हमारे यहां अकाल पड़ने वाला है उस समय हमें अनाज की बड़ी कमी महसूस होगी तो उसके मुताबिक हमें अनाज को अपने प्रान्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रखना था, लेकिन वह नहीं रख सके।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हार्ड ट्रुथ आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमने यहां गांवों में वितरण करने के लिये गुड़ की व्यवस्था की। हमारे यहां राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ नाम की एक संस्था है उसने इन तीन-चार सालों के बीच में कितना कोटा उसको मिला, कौन कौन सी चीजों का कोटा मिला, वे किस रेट्स पर खरीद की गई, और उसे किन रेट्स पर बेचा गया, आज इसकी हालत क्या है, इस बारे में मैं हार्ड ट्रुथ आपके सामने पेश कर रहा हूं; इस क्रय विक्रय संघ में बहुत घोटाला है, इसके बारे में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायत है, इन्हीं लोगों के हाथ में गुड़ का वितरण दिया गया, इन्होंने मार्केटिंग सोसाइटीज के मार्फत, जिनके खिलाफ गबन के केसेज हैं जिसके दो चार आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं, और भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उनको कहा जाता है कि अगर आप एम्बेजलमेन्ट के पैसे वापिस कर देंगे तो आप पर केस नहीं चलाया जायगा। मैं इस बारे में हार्ड ट्रुथ पेश करूंगा। यह क्रय-विक्रय संघ हमारी कांग्रेस सरकार के एक बहुत बड़े आला आदमी जिनकी इस कांग्रेस में कुछ सेवायें हैं, प्रेस्टिज है उनके जिम्मे यह संघ है जिन्होने इस कोआॅपरेटिव मूवमेंट को धोखा दिया है, इस कोआॅपरेटिव मूवमेंट के प्रति विश्वास खत्म करने के लिये जो प्रयत्नशील हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस विक्रय संघ में जो घोटाले हैं उसके लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाय ताकि जनता के सामने इसका सही रूप आ सके। इसके अन्तर्गत जो भी कोआॅपरेटिव और मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनमें किस किस प्रकार का गबन और घोटाला है वह साबित हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिये मैं आपके सामने एक नमूना पेश करना चाहता हूं। कुजी भादरा तहसील में सेवा सहकारी समिति के नाम से एक सोसाइटी है जिसको ६४ टन गुड़ दिया गया वितरण करने के लिये। वह गुड़ किसानों के पास नहीं गया और वह सारा का सारा ब्लैक में चला गया। इसी प्रकार की शिकायत सीकर, झुंझुनू इन सब इलाकों की है। यहां के लिये जो २६ लाख टन का कोटा मिला उसको खरीदने के लिये यहां से जाते हैं जो तीन रुपया ज्यादा के भाव से खरीदा जाता है। ऐसी हालत में जिस क्रय विक्रय संघ का यह हाल है उसके हाथ में हमारे गुड़ के वितरण का कोटा मिलता है तो आप यह कैसे आशा कर सकते है कि उसका वितरण सही रूप से होगा? हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय उनको ओबलाइज करना चाहते हैं, वे इस तरह से सत्ता और धन दोनों का मिलाप चाहते है। वे समझते हैं कि इस तरह मैं उनको सत्ता प्राप्ति में दूर रख सकता हूं, लेकिन इससे कोआॅपरेटिव

Page No.84

(श्री केदारनाथ)

मूवमेंट को जो धक्का लग रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये, उनको निडरता के साथ इस बात की घोषणा करनी चाहिये। इसके बारे में कमीशन की स्थापना करें। उस कमीशन में यहां के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज न होकर देहली या पंजाब का कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, उसके द्वारा इसकी जांच करवाई जाय। हम भी चाहते हैं कि हमारा कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट ग्रौर स्टेट ट्रेडिंग मजबूत हो। उसी बिना पर हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है ग्रौर लोगों का विश्वास पब्लिक सेक्टर में बढ़ेगा। मैं समझता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री कमीशन की घोषणा लाजमी तौर पर करेंगे।

इसके साथ साथ मैं एक बात ग्रौर हमारे मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। वे इस बारे में भी घोषणा करेंगे। हमारे इलाके में गंग केनाल एक छोटीसी केनाल है ग्रौर राजस्थान में सबसे पहले आयी है। उससे काफा अन्न का उत्पादन होता है। सन् ३५ में पहले पहले एन्डरसन कमीशन के साथ इस बारे में एग्रीमेन्ट किया गया। उसके बाद इन्डो पाक वाटर ट्रीटी हुई। उसका असर पंजाब ग्रौर हमारे राजस्थान पर समान रूप से होना चाहिए था। मगर उसके बारे में जैसा मालूम हुआ, पार्लियामेन्ट में भी सवाल पूछा गया, मालूम हुग्रा कि दोनों पर बराबर है। पर ग्राज देखते हैं कि पंजाब में इरिगेशन ज्यादा है, फसलें अच्छी हैं, जबकि हमारे यहां इरिगेशन कम है, और फसलें खराब हैं। अधिक नहीं कहता हुग्रा इतना इस बारे में कहना चाहता हूं कि इसके लिये चीफ मिनिस्टर साहब को लड़ना चाहिये; वर्ना तो हम लोगों ने यह संकल्प कर लिया है कि हम इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। १६ तारीख को प्रदर्शन हुग्रा भी नहरी पानी की कमी को लेकर। इसमें सभी पार्टियों के लोगों ने भाग लिया। सन्त फतहसिंहजी भी इसमें थे। उसमें हमने फैसला किया कि ग्रागे ग्रौर कुछ करने से पहले एक डेपूटेशन लेकर सरकार के पास चलो, अगर सरकार मान जावे तो ठीक, नहीं तो सेन्टर के पास जायेंगे, वहां भी अगर वे नहीं मानते हैं, तो इस पानी के मामले पर लड़ाई लड़ी जाय। हम ग्रपने इस तथ्य को साबित करने के लिये रोज सुबूत देते हैं। एम. एल. एज्. की टीम हमारे इलाके का दौरा करे और पंजाब के इलाके का भी दौरा करे और वहां का और हमारा फर्क फसलों का ओर पानी का देख लें। उनका कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट वह पेश करे। ग्रगर पानी एकसा देते हैं तो फिर दोनों जगह फसलों में फर्क क्यों? यह कहें कि कोल्ड वेव ग्रा गई तो क्या यह हमारे यहां ही आई, पंजाब वालों के नहीं ग्राई। सब जगह आई है। यह बराबर रही है सब जगह। साफ है कि आबपाशी का फर्क है; फ्लड का जहां सवाल होता है, वाटर लॉगिंग का सवाल आता है, वे पानी हमारी तरफ दे देते हैं। नुकसान की कोई भी बात हो तो राजस्थान और गंगानगर है ग्रौर जहां फायदे की बात हो वहां पंजाब है। आज तो यह हालत है। मुझे उम्मीद है मुख्य मन्त्रीजी इस मुद्दे पर लड़ेंगे। प्रस्ताव भी रखा है। आशा है यूनेनिमसली पास करेंगे ग्राप। हम चाहते हैं हमें अपने हिस्से का पूरा पानी मिल जावे।

ग्राखिर में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई के कारण,

(श्री केदारनाथ)

भूख के कारण, बेकारी के कारण और मुझे एक बात याद है जब प्रस्तावक और समर्थक कह रहे थे कि राजाओं के वक्त में मेघवाल को हांडी में एक सेर बाजरा भी नहीं मिलता था। पर मैं कहता हूं अब आज के वक्त में मेघवाल की हांडी में एक सेर बाजरे की बात छोड़िये, उसकी वह हांडी भी गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दिन में पैसा कमा लेता है और दो पैसा ले आता है तब तो रोटी भी बन जाती है, नही तो वह भी गई, हांडी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज तो हालत इतनी बिगड़ गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर) : हांडी गई, हांडा मौजूद है।

श्री केदारनाथ : अगर आप यह समझते हैं कि राजस्थान में किसी मजदूर ने हड़ताल नहीं की, किसी बेरोजगार ने धरना नहीं दिया, बड़े बड़े स्टॉकों पर और गल्ले के ढेरों पर हल्ला नहीं बोला, कलकत्ते वालों की तरह और बम्बई वालों की तरह और इसके लिये आप यह समझते हैं कि आपने कोई लॉ और आॅर्डर की अच्छी व्यवस्था कर ली, तो यह गलतफहमी ही है आपकी। इस भ्रम में आप मत रहना। आज यहां का मजदूर वर्ग बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है और उन स्थानों के मुकाबले में इतना है भी नहीं। तो आप तो ऐसा वातावरण पैदा करो कि मजदूर संगठित बने।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सगठित है।

श्री केदारनाथ : अगर ऐसा कुछ आपने किया होता तो हार नहीं खानी पड़ती आपको महुआ में। बाहर से आया हुआ आदमी, सर्विस क्लस का आदमी, प्रिविलेज्ड क्लास का रहा हुआ आदमी, जिसका साधारण वर्ग से कोई सम्बन्ध न हो, महारानी के नाम से नारा लगादे और उसे वोट मिल जावें, और आपका वहीं का आदमी, अच्छा कार्यकर्ता उसके मुकाबले में हार जावे तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। आप इस पर रिथिंकिंग करिये कि इसकी जड़ में क्या है ? क्या कारण है ? आप अपनी प्लानिंग को ठीक करिये, अपनी पॉलिसी को बदलिये। उसे जनहित में मजबूत बनाइये। आज तो आपको इन चीजों ने खतम कर दिया :

Conspiracy of the privileged class and the princely class against the socialistic plans is as dangerous to the welfare of the State, as dangerous is the crisis of confidence of common man which we have lost.

आखिरी शब्द इसका है। हमारी कांग्रेसी सरकार आज "In the climate of defeatism, in the desparitism and in the climate of 'Jhunthi Pratishtha'..."

हर एक चीज को प्रतिष्ठा मान लेना, इस दृष्टिकोण को बदलिये।

मैं आज देखता हूं कि सरकार की शिक्षा की नीति और खेल की नीति का स्तर काफी गिर गया है। इस विगत दस-पन्द्रह सालों में खेले जाते खेलों के मैदान में जब जाता हूं तो पाता हूं हमारा स्टेन्डर्ड काफी गिर गया है। मैं सीनेट का मेम्बर हूं, यूनिवर्सिटी में वहां की बात देखता हूं तो जो वातावरण वहां

(श्री केदारनाथ)

होना चाहिये, जो कन्जीनियेलिटी और कोऑर्डिनेशन होना चाहिये वह कतई गायब है। एक वाइस चान्सलर को, न जाने क्यों, सीट पर बिठाये रखने के लिये तरह २ के ऑर्डिनेन्स और कानून बनाते रहते हैं। नीचे के दो दो कोर्टों के फैसले के बाद भी आप उनको चिपकाये रखना चाहते हैं। आप कैसे शिक्षा के प्रति बफादार हैं, यह समझ में नहीं आता।

आज आपकी डेमोक्रेसी की हालत यह है कि पंच, सरपंच, एम. एल. ए. की कीमत आज आपकी निगाहों में एक आपके अदने से पटवारी से कम है, सिपाही से कम है और नाज करते हैं आप कि आपने विकेन्द्रीकरण कर दिया। यह चीफ मिनिस्टर साहब का केवल एक नारा है जो मन्त्री के रूप में शासन संचालन में फेल हो रहे हैं। आज ग्राम समाजों और जिला परिषदों के हाथ में कोई चीज नहीं है। वहां बी. डी. ओ. और कलेक्टर फैले हुए हैं।

मैं समझता हूं, आयन्दा फोर्थ प्लान के बारे में जब आप कुछ तय करने जा रहे है तो दो-तीन प्रश्न आपके सामने रखता हूं जिससे यह सम्भव हो सके कि आज की यह डिसपेरिटी कैसे कम हो। हम नेशनल इन्कम के टार्गेट को ८१ तक कैसे अचीव कर सकेंगे? २.६ परसेन्ट हमारी नेशनल इन्कम की रेट है, इस लिहाज से और आज की रफ्तार से यह संभव नहीं लगता। वहां तक पहुंच जाने की बात सोचना गलत बात है। पर-केपिटा इन्कम चार परसेन्ट पड़ती है तो आज की इस रफ्तार से हम नहीं जीत सकते अपना गोल।

आखीर बात यह कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं कि अगर यही हाल विकेन्द्रीकरण का रहा, स्टेट ट्रेडिंग का रहा, और लॉ और आर्डर की पोजीशन का रहा और जो डेमोक्रेसी का ख्याल आज आप रख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता काम करता है, चाहे मजदूरों में हो, किसानों में हो या शासन में हो, अफसर उससे अगर नाराज है तो ११० का पर्चा उसे मिल जावेगा, १०८ के नोटिस उसे सर्व होते हैं; अगर यही हालत रही तो मैं निवेदन करता हूं कि democracy has not only been tampered but has been butchered.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रस्तुत है। धन्यवाद के बारे में बातचीत कही गई। मैं निवेदन करूं कि हम भी चाहते हैं कि धन्यवाद दिया जावे। इतना कष्ट किया यहां पधारे, सवाल पधारने पर धन्यवाद देने का हो तो जरूर देंगे; लेकिन कुछ लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि इस धन्यवाद देने का मतलब यह हैं कि सरकार की पोलीसियों का गलत तौर तरीकों का आंख मींच कर समर्थन करें और उनकी हां में हां मिलावें, तो हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। हमारी यह निश्चित धारणा है कि हमारी सरकार को अपने आज के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। आज चाहे उधर बैठने वाले भाई हों, चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे बीच में बैठने वाले हों, सब असन्तुष्ट हैं। जो यह १८ आदमी एक जगह बैठकर काम करते हैं इनकी रीति-नीतियों से उधर बैठने वाले भी असहमत हैं। यह सही बात है कि पार्टी की बातों के लिए चाहे लोग दबे हुए हों लेकिन उनकी भी आत्मा आज दुखी है इनके कारनामों से ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह आप प्रिज्यूम कैसे करते हैं ?

श्री मानसिंह महार : घबराइये मत। मिनिस्ट्री मिलने की नहीं है, कितनी ही खुशामद कीजिये।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सब लोग दुखी हैं। हम तो आपकी तारीफ करते हैं। इससे बढ़कर योग्य सरकार क्या हो सकती है कि जो अकाल पड़ने पर चारे की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर सके। अगर सरकार अच्छी सरकार होती तो अकालग्रस्त क्षेत्रों में ४ सेर का बाजरा देती, ३ सेर के गेहूं देती, ४ सेर के जौ देती; तो हम मान लेते कि सरकार योग्य आदमियों के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन आज सेर, सवा सेर का गेहूं बिकता है, ४ रुपये सेर शक्कर बिकती है, १।। रु० और २ रुपये सेर का गुड़ बिकता है। हमारे राजस्थान में भरतपुर के नजदीक मथुरा में २० रुपये मन का गुड़ बिकता है जब कि हमारे यहां यह हालत है कि २ रुपये सेर गुड़ बिकता है; तो क्यों नहीं हम सरकार को इन रीति-नीतियों के लिए धन्यवाद दें ? अगर हम धन्यवाद भी दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस गरीब श्रमिक से जाकर बात कीजिए, उसकी आत्मा आपको कोसती है।

आज कहा जाता है कि हम तो प्रगतिशील युग में बह रहे हैं। हम भी मानते हैं कि यह युग बहुत ही प्रगतिशील है। हम इन चीजों से मना थोड़े ही करते हैं। प्रगति का युग तो है ही। चाहे प्रगति किधर ही हो, चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी हो। लोग कहते थे कि अनाज सस्ता होगा, गुड़-शक्कर सस्ता होगा, घी-दूध की नदियां बहेंगी। दूसरी प्रगति जो आपने की वह सरकार ने बहुत योग्यता के अनुसार की कि, इनकी योग्यताओं को दाद देते हैं कि प्रगति यह हुई है कि अनाज महंगा हो गया, गुड़-शक्कर मंहगा हो गया, दूध-दही की जगह मल-मूत्र की नदियां बहीं। यह प्रगति है। इस प्रगतिशील सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर यहीं यह बात रह जाती तो हम चुप हो जाते, लेकिन अकाल पड़ा तो अकाल में भी आप देखिये कि पक्षपात! जयपुर जिले में जहां कि बाजरे की और दूसरी फसल नष्ट हो गयी वहां पर किसी प्रकार की इमदाद नहीं दी। खैर, उधर तो दे दी, लेकिन जयपुर जिला तो सौत का बेटा है, उसमें राहत कार्य नहीं हैं। जयपुर से फोडर भीलवाड़ा चला जाये, वह ठीक है; लेकिन जयपुर जिले में जहां अकाल है वहां कोई चारे की राहत नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि पाले से नुकसान कब होता है कि जब मंत्री लोग महुवे में जाकर बैठते हैं। वहां पर कहते हैं कि पिछले वर्ष भी फसल खराब हो गयी थी इसलिए लगान रोक दिया जायेगा। उप-मंत्री जी ने ऐसा कहा है और वहां पर लम्बे चार्ट बने कि जाड़े ने यहां की जौ, सरसों और गेहूं की फसल नष्ट कर दी, इसलिए लगान केंसिल हो जायेगा। मैं निवेदन करूं कि हमारी जो आपसे प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये ट्रेजरी बेन्चेज से, वह यह है कि आप न्याय कीजिए, आप न्याय-मूर्त्ति हैं। जो मंत्री की कुर्सी पर बैठता है मैं उसको न्याय-मूर्ति मानता हूं।

(श्री मानसिंह महार)

मैं यह समझता हूं कि वह इन छोटी छोटी बातों से ऊंचे उठकर रहते हैं। अगर हमारे उप-मंत्री लड्ढा साहब महुवा में जाते हैं और पाला देखते हैं तो दौसा की तरफ भी देखें। वहां भी उनके छोटे भाई हैं। आमेर, गोविन्दगढ़ जाकर देखें। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। वह भी हमारा दुर्भाग्य कि मई के लिए इस सदन में बहुत जोर-जबर से ऐलान किया गया था कि मई में करा देंगे·······

एक माननीय सदस्य : अप्रेल के लिए कहा था।

श्री मानसिंह महार : चलिये अप्रेल सही। कहा गया था कि अप्रेल में पंचायतों के चुनाव करा देंगे। लेकिन वह अप्रेल भी गया। जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री हवा में उड़ गई वैसे ही हमारे चुनाव भी उड़ गये और नवम्बर दिसम्बर में जा पड़े।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर) : मिनिस्ट्री नहीं हुई, यह तो दुपट्टा हुआ जो हवा में उड़ गया।

श्री मानसिंह महार : एक साहब ने कह दिया कि कांग्रेस मे एकता होगी। हम आप में फूट मानते ही कब थे, आप यह तो बताइये ? मुझे दुःख होता है, लेकिन कहते हैं कि इसमे एकता होगी। पार्टी में रह कर फिरकापरस्ती तो नहीं होनी चाहिये। फिर कुछ मुख्य मन्त्रीजी यह कहें कि हम एक हो गये, यह तो और भी दुःखपूर्ण बात है। उसका तो जवाब उपाध्यक्ष महोदय, हमने महुवा में व्याज समेत दे दिया कि हमारे लिए दुःखपूर्ण है एकता या आप लोगों के लिये। तो इसलिए मैं आपने निवेदन कर रहा था कि जिन बातों पर जनता आपसे असित है वह मैं बता रहा हूं। आप लाख एक हो जाइये, आप चाहे जितने ढोंग रचिये एकता के, लेकिन आप जनता को सुविधायें नही देंगे तब तक आप उनको नजदीक नहीं लायेंगे। आप बातें लम्बी-चौड़ी करते हैं, आप समाजवादी समाज लाने की बात करते हैं। हमको तो कहा जाता है उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोग तो क्या कहें, कौन से युग के आदमी बताये जाते हैं। हम आपके समाजवाद के साथ नहीं चल सकते। २ महीने तक आप मन्त्री रहें या दो वर्ष तक रहें, लेकिन आपका वजन दुगुना हो जाये और बड़ी २ कोठियां जयपुर में झुक जावें तो इस समाजवाद के हम पक्षपाती नहीं हैं। यह समाजवाद जो आपका है कि, "फिर फिर अन्धा बांटे रेवड़ी फिर २ घरको को दे।" इस समाजवाद का मैं समर्थन नही कर कर सकता; हम समर्थन कर सकते हैं सही तरीके के समाजवाद का। यह नहीं हो सकता कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के यहां से जीपें आ जायें और करौली की ट्रक यूनियन आपको ६० ट्रक्स दे दें। तो उनका उत्थान करने के लिए तो आप तैयार हैं।····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद : On a point of order, Sir, discussion in the House should be relevant. How this discussion is relevant here ... ..

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन — सु०) : समझ में नहीं आया। हिन्दी में बोलें तो अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर) : तमाम समझ में आ रहा है।

Page No.89

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में जब विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा तब भी मैंने कहा था और अब सम्माननीय सदस्य भी उसके लिए कह रहे हैं, यह वहां की स्थिति अलग है और यहां इस समय डिस्कशन के लिए मामला दूसरा, जो यह कहां तक उससे रिलेवेन्ट है...... ...

श्री मानसिंह महार : यह भाषण है या पोइन्ट आॅफ आॅर्डर ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आपके बोलते ही वे (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) चल दिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं कि यह डिस्कशन जो आप कर रहे हैं और जो कि इस सदन के अन्दर डिस्कशन हो रहा है उससे कोई रिलेवेन्सी नहीं रखता है। उस डिस्कशन के सिलसिले में अगर किसी पार्टी को प्लेटफार्म बना कर पब्लिक को प्ले करने के लिए कुछ भी किया जाता है तो वह अमान्य है और उसके ऊपर उपाध्यक्ष महोदय, आपको रूलिंग देनी चाहिए और आपको कन्ट्रोल करना चाहिये यह मेरा आग्रह है।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने आपसे रूलिंग मांगी है। आपका जो हुक्म होगा, वह हो जायगा। आप (श्री मानसिंह महार) बैठिये। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपका रूलिंग चाहता हूं, I want your ruling.

श्री उपाध्यक्ष : The hon. Member will please confine to his own subject.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बोल रहा हूं। यहां पर ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बिल्कुल इर्रिलेवेन्ट बोल रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : लेकिन माननीय सदस्य का दिमाग शायद उल्टा हो रहा है इस लिए समझ नहीं सकते कि मैं क्या बोल रहा हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहां पर चर्चा हुई थी कि एक हाई पॉवर कमेटी करप्शन के लिए बिठाई जायगी। कल-परसों नन्दाजी ने ऐलान किया है, इस प्रकार से मंत्रियों के लिए कि अगर मंत्रियों की शिकायत आये और अगर कमेटी को यह मालूम हो जाय कि थोड़ा बहुत भी कुछ किया है तो उन मंत्रियों को हटा दिया जायगा। मैं तो इस सरकार के लिए और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे माननीय भूतपूर्व गृहमंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी जो अभी २ आये हैं और पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर को एक चुनौती देता हूं कि आपके जो तौर तरीके महुआ में रहे हैं, जिस प्रकार की करप्ट प्रेक्टिसेज आपने महुआ में

Page No.90

(श्री मानसिंह महार)

की है, जिस प्रकार से ३ लाख रुपये महुआ में खर्च किया, यह आपके लिए एक चुनौती है। आप एक कमीशन बिठाइये, एक इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन बिठाइये और आपके जो तौर-तरीके....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके स्टेटमेंट कि ३ लाख रुपये महुआ में खर्च किये हैं उसको चेलेन्ज करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चार्ज लगाया गया है, आपको बोलने की आजादी है, सदन के बाहर अगर आप बोलें तो आपको जवाब मिल जायगा, कानून हमारे साथ में हैं, लेकिन यहां पर जो आपने ३ लाख का चार्ज लगाया है मैं उसको चैलेन्ज करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई प्रूफ हो तो सदन के समक्ष रखें, वर्ना आप बोलने से पहले दो दफा सोच कर बोलें।

श्री मानसिंह महार : मैं रिपीट करता हूं कि तीन करोड़ का आप लोगों ने नुकसान किया है। १५ दिन तक, उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग महुआ में पड़े रहे और राजस्थान के सेक्रेटेरियेट का काम सफर किया है। ये इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं.......

श्री मथुरादास माथुर : इसको भी मैं चैलेन्ज करता हूं।

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं और सदन के बाहर भी कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावों के अन्दर मिनिस्टरों को जाने का पूरा हक है। वे जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। हम सरकारी गाड़ियों में नहीं गये थे। आप कौन सी घर की गाड़ियों में गये थे। आप राजा और रानी को ला सकते हैं तो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पेन्शन और प्रिवी पर्स लेकर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां जा सकते हैं और गैराज की गाड़ियां में जा सकते हैं।

(विराम)

तो इस तरह की चर्चा की जा रही है या तो उसका कन्ट्रोल किया जाय। बराबर सुबूत लाकर रखें वर्ना हमको हरएक बात का जवाब देना पड़ेगा और प्रेसीडेन्ट (राज्यपाल) का भाषण अलग रह जायगा।

श्री मानसिंह महार : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी अपनी बात पर स्टिक करता हूं। मैं समझता हूं कि जो बात होगी वह बोली जायगी, सत्य को निभाया नहीं जायगा।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

यह भड़वों का काम है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir, आपका यह शब्द, "भड़वों का काम है" यह गलत है। आप आदी हैं ऐसे शब्दों के बोलने के। आपने यह शब्द कहे हैं, "भड़वों का काम है" उसके लिए he must tender an unconditional apology, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं वे वाकई अनपार्लियामेन्ट्री हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उनको विथ्ड्रॉ करें।

Page No.91

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपकी जो आज्ञा है वह शिरोधार्य है, और अगर मैंने भावावेश में 'भड़वा' शब्द कह दिया हो तो मैं उसको वापिस लेता हूं, और शब्दों को नहीं लेता हूं। मैं आपसे कहदूं कि फिर दोहराऊंगा कि राजस्थान सरकार ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'भड़वा' शब्द आपके पास पहुंच गया कि नहीं? You have received it.

श्री मानसिंह महार : आप देख लें कि शुरुआत किस तरफ से हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के मंत्रियों ने तीन करोड़ का नुकसान किया, मैं 'तीन लाख' गलती से कह गया। इन लोगों ने वहां जाकर, बड़े-बड़े सेठ साहूकारों की गाड़ियां मंगाकर तीन लाख रुपया खर्च किया; यह मैं फिर कहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने ६ करोड़ किया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कौन सा चार्ज लगाया है कि बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों की गाड़ियों में गये थे तो आप कौन सी अपने घर में पैदा की हुई गाड़ियों में बैठ कर गये थे। जनता की जो गाड़िया हैं, गैराज की हैं, उनमें क्या आप राजा और रानी को बिठला कर नहीं घूम रहे थे?

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करूं

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir. मैं सम्मानीय सदस्य से कहूंगा कि मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ हूं। दो आदमी कैसे एक साथ खड़े रहें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा से) आप बोलिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके रूलिंग के बाद चाहे उधर से आप हों; लेकिन इस सिलसिले का आपकी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यह कहना है कि आपका रूलिंग हो गया है कि इर्रिलेवेन्ट बात यहां पर नहीं कहनी चाहिए। सवाल यह है कि आप इस सवाल को खत्म करें। दो-चार आपके कहने से जोड़ दिया और फिर सम्माननीय सदस्य आ गये उसी बात पर। तो आपकी रूलिंग की रेस्पेक्ट रखें, सम्माननीय सदस्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले पर। डिस्कशन चले तो मैदान साफ है। डिस्कशन करने में हमको एतराज नहीं है, लेकिन फ्लोर ऑफ दी हाउस पर उनको यदि कहने का हक है तो हमारे कानों को भी सुनने का हक है। सुनना भी पड़ता है और सुनने के बाद में रिलेवेन्सी के बारे में आप की रूलिंग हो गई, उस रूलिंग के बाद आपकी तरफ से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर कन्ट्रोल करें; मैं कुछ शब्द आम तौर पर लाना चाहता हूं कि हमारे कानों को टैक्स किया जा रहा है तो आपकी वजह से। आपके पास इल्तजा कर रहे हैं कि हमारे कानों को टैक्स नहीं करायें जबकि आपका रूलिंग हो गया है तो।

श्री मानसिंह महार : It is reflection on the Chair, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please,

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I request you that इस हाउस की, इस सदन की प्रतिष्ठा कायम करना है तो रूलिंग का आपको बराबर रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप घूम फिर कर फिर वहीं आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री मानसिंह महार : मैं उपाध्यक्ष महोदय की इतनी कद्र करता हूं। मैंने बहुत साफ बात कही उसका तूल बनाया गया। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। यह कहा जाय कि महुआ के बारे में क्यों बोलूं तो महुआ में हमारी सरकार ने करपशन किया, इन्तिहा दर्जे का करप्शन किया। मैं उसको खोल कर रहूंगा और बताऊंगा। आप उसको रोक नहीं सकते। जांच कमीशन अगर बिठाया जाता है तो वह महुआ से शुरू किया जाय। महुआ के अन्दर टोडा भीम में मुसलमानों को मस्जिदों के अन्दर ले जाकर सौगन्ध दिलाई। यह मैं फिर कहता हूं

श्री निरञ्जननाथ,आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir.

(व्यवधान)

I am in possession of the floor of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां करप्शन हुआ है तो कमीशन का सवाल नहीं है। उसके अन्दर करप्ट प्रेक्टिसेज़ हुई हैं तो उसकी जांच करायें। यहां फ्लोर ऑफ दी हाउस ...... on the floor of the House our time should not be wasted, I request you to control him.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण जो चल रहा है उसके अन्दर फिजूल के लिए उत्तेजना न लाई जाय, और जहां कहीं भी वे डेवियेशन करेंगे तो यह मेरी ड्यूटी है और मैं उनको कन्ट्रोल करूंगा। प्रत्येक सदस्य उसको कंट्रोल करने के लिए खड़े न हों।

श्री मानसिंह महार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि महुआ के अन्दर सौगन्ध दिलाई। महुआ से क्यों डरते हैं ? महुआ के चुनावों को लेकर मैं अपना सारा भाषण पेश करूंगा।

आप कहते हैं कि करप्शन को रोका जाय तो करप्शन की जड़ महुआ में है। वह एक ऐसा मौका है कि करप्शन पकड़ा जा जा सकता है। महुआ के लिए कोई इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल बिठाया जाय तो करप्शन पकड़ा जा सकता है, और इस सरकार ने क्या क्या करप्ट प्रेक्टिसेज़ की हैं वे सामने आयेंगी। उनको बताना पड़ेगा। महुआ जैसे पंचायत सेन्टर में, उपाध्यक्ष महोदय चुनाव के सबंध में २-२ किलो फी आदमी चीनी बांटी गई। यह क्यों बांटते है, जब कि जयपुर जैसे शहर में जो कि केपिटल है वहां एक किलो ही चीनी दी जाती है, लेकिन चुनाव के समय में दो-दो किलो चीनी दी गई। स्पेशल परमिट इलेक्शन अरजेन्ट लिख कर लिये गये।

मैं कहता हूं कि उनकी जांच कराई जाय, मैं तो कहता यही हूं। मैं किसी भाई का नाम नहीं लेता। मैं यह नहीं कहता कि मंत्रियों ने यह काम किया। मगर मंत्रियों की खुशामद करने के लिये महुआ के तहसीलदार ने और

(श्री मानसिंह महार)

वहां के सरकारी ऑफिसरों ने ऐसा किया। मैं निवेदन करता हूं, ट्रेजरी बैन्चेज से प्रार्थना करता हूं, ट्रेजरी बैन्चेज के सभी सदस्यों से कहता हूं कि आप वहां पर मौजूद रहें और इस पर भी इस प्रकार की कार्यवाही हो और उसको नजरन्दाज कर दें तो मानना पड़ता है कि आप भी उसमें पार्टी हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उसमें पार्टी हैं; आप नहीं है, आप ऐसा काम कर सकते हैं, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि राजस्थान का मन्त्रि-मंडल ऐसा नीचा काम करने को तैयार हो जाय; मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन लोग इन्फरेन्सेज निकालते हैं कि मन्त्रि-मंडल वहां पर बैठ गया और उनकी मौजूदगी में ये बातें हुईं। आप जब दूध के धुले हुए हैं तो इम्पार्शियल जुडिशियल इन्क्वायरी से क्यों डरते हैं? हमारे प्लानिंग मिनिस्टर तो यह कहते हैं कि हमारा अधिकार है उसको कैसे चुनौती दें। मैं तो कहता हूं कि एक-दो बूढ़े ठाढ़े रह गये थे, उनका भी नाम न रहे। उपाध्यक्ष महोदय, इससे डरें नहीं, मगर करप्शन को रोकने की लंबी-चौड़ी बातें इसमें कही गईं, उसको देखकर मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। कुछ लोगों को बुरा लगा। शायद उधर बैठने वाले एक मित्र उत्तेजित हुए। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की बात रिपीट न हो·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने माफ किया।

श्री मानसिंह महार : आपके नजदीक ब्यावर में उप-चुनाव होने वाला है। वहां ऐसा नहीं हो जाय। कहते हैं एस. डी. ओ. हिन्डौन को नोमिनेशन पेपर रद्द करने को बाध्य किया। मंत्रीजी यदि इस कथन को चैलेन्ज करें तो मैं मंजूर करने को तैयार हूं। नोमिनेशन पेपर इसलिये रिजेक्ट किया गया कि चमार खड़ा हो गया, तो वह कांग्रेस के वोट काट देगा·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, यहां यह प्रेक्टिस रही है इस सदन में कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स के डिसीजन्स हों उनकी चर्चा न हो। अपील आदि के दूसरे तरीके इसके लिये हैं·······

श्री मानसिंह महार : वही बताता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह की बात कहना इस सदन की प्रथा नहीं है और न होनी चाहिये, यह आपका रूलिंग है, मैं आपके रूलिंग से कोट कर सकता हूं जो पुस्तिका सर्क्यूलेट की गई है उससे। मेरा यह मतलब नहीं है कि सम्माननीय सदस्य कुछ न कहें, लेकिन उनको लिमिट में रहना चाहिये, नहीं तो जुडिशियरी कामयाब नहीं होगी। रिजेक्शन पर डिस्कशन शुरू हो गया तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं चेयर से निवेदन करूंगा कि यह आपका खुद का रूलिंग है जुडिशियल एक्शन्स के बारे में। इस प्रकार डिस्कशन करने की प्रथा यहां नहीं है। मैं सम्माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस बारे में लॉ में इलेक्शन पिटीशन का रास्ता खुला हुआ है, उसका उपयोग किया जाय। सदन में डिस्कशन करना इसकी रिलेवेन्सी नहीं आती। एक रिटर्निंग ऑफिसर के जुडिशियल एक्शन्स के खिलाफ इस तरह की बात कही जाय जबकि वह ट्रेजरी बैन्चेज में बैठ कर उसका जवाब नहीं दे सकता। ऐसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

स्थिति में इस प्रकार की बात कहना शोभा नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिस तरफ संकेत किया है वह रेस जुडिकेटा नहीं है इसलिये कोई आपत्ति नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : On a point of order, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस प्रश्न पर कोई स्ट्रेन्जर, कोई बाहर का व्यक्ति यहां हाउस के फ्लोर पर ड्रेग नहीं किया जाय, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाय और यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसको डिफेन्ड करने का मौका जरूर मिलना चाहिये। अनडिफेंडेड स्थिति हाउस के सामने नहीं आनी चाहिये यह ऑब्जर्वेशन पार्लियामेन्ट का है और यहां का भी है, इसलिये मेरा निवेदन है। He should not discuss the man who is not defended on the floor of the House.

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर, ये किसी विषय का रेफरेन्स करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से करें।

श्री मानसिंह महार : यदि मेरी बात पूरी सुन ली जाती तो यह बात नहीं आती।

(बिल्ली की आवाज, 'म्याऊ')

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक बिल्ली का इस चुनाव से गहरा सबन्ध नजर आता है।

श्री मानसिंह महार : हमारा उससे कोई मतलब नहीं है।.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुबह चुनाव का जिक्र हुआ तब भी बिल्ली ने रास्ता काटा था।

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble Member bercan bring a Privilege motion.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Against the 'billi' or the Members ?

श्री उपाध्यक्ष : Against the 'billi', of course.

श्री मानसिंह महार : रिजेक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। रिजेक्शन तो रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम ऑथोरिटी होने के कारण कर सकते हैं। लेकिन अगला जो एक्शन था उसका रेफरेन्स करना है, लेकिन उसको तो सुनें नहीं और पहले ही नाखुश हो जायं, यह दुर्भाग्य है। मेरा निवेदन करना यह था कि वहां नोमीनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था उसके फैसले की नकल के लिये डबल फीस से बालूराम चमार ने दरख्वास्त दी कि जो रिजेक्ट करने का ऑर्डर है उसकी नकल दी जाय........

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को डिटेल में इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज पर वे प्रकाश डालना चाहते हैं वह बिना लाये ही पढ़ सकता है।

श्री मानसिंह महार : उसको सुनने को तैयार नहीं हैं। रिजेक्शन के ऑर्डर की कॉपी मांगी थी वह २० दिन तक नहीं दी गई। मैं

(श्री मानसिंह महार)

तो न्याय की बात कहता हूं और न्याय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि जांच करावें कि यह सत्य है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर (न्याय मंत्री) : आप लिख कर दीजिये, उसकी जांच होगी।

रिटर्निंग ऑफिसर न्याय मंत्री के अंडर में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अण्डर में है। आपने तार दिया उसकी जांच हो चुकी है और जबाब भी जा चुका है बालूराम को जबाब दिया जा चुका है। उसके खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिये कानून का रास्ता खुला है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में जितना संकेत किया है वह पर्याप्त है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र व्यवस्था है। उसको यहां लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार : अब मैं नेक्स्ट पोइन्ट पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इन चीजों की शिकायत करने की जरूरत नहीं है, हम तो जीत गये। जीते हुए आदमी थोड़े ही इन चीजों को करते हैं। लेकिन बात चल गई, धन्यवाद के प्रस्ताव के मेकन्डर ने चर्चा छेड़ दी, इसलिये मैंने निवेदन किया। जो रोना था वह हो गया। हम ता ढाई हजार को मेजोरिटी से जीत गये। आपने जो चैलेन्ज दिया था उसको स्वतंत्र पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए इस सरकार को हराया। यदि इंग्लैंड जैसी सरकार आती मैदान में और भुवनेश्वर के सोशलिस्टिक पैटर्न के तुरन्त बाद यह बात आती तो सरकार तुरन्त इस्तीफा दे देती। लेकिन यह भारतवर्ष है। यहां इस्तीफे का सवाल नहीं आता। यहां तो चिपक महादेव होते हैं। इनको तो हाथ पकड़ कर निकाला जाता है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं देना।

श्री मानसिंह महार : इस बात को यहीं छोड़ता हुआ अपनी अगली बात पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि आज राजस्थान के अन्दर करप्शन हद दर्जे तक पहुंच गया है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वापिस महुआ पर ?

श्री मानसिंह महार : महुआ नहीं। करप्शन पर तो आने दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समझा महुआ मीन्स करप्शन।

श्री मानसिंह महार : राजस्थान में करप्शन हद दर्जे पर पहुंच गया है। आज किसी की जिन्दगी सिक्योर्ड नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, एक सोशियलिस्ट कार्यकर्ता थाने में गये। कहा, 'मेरी जान खतरे में है'। तो भी गोली से उड़वा दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पंजाब के बाद राजस्थान पड़ता है।

श्री मानसिंह महार : पड़ोसी है, कुछ प्रभाव आ रहा है। तो मैं आपसे यही नहीं

(श्री मानसिंह महार)

कहता हूं । यह कह कर मैं इन मंत्री महोदयों से कहता हूं इनसे प्रार्थना करता हूं और कुछ उप-मंत्रियों में जो ऑल पॉवरफुल बने बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और कुछ कीजिये या न कीजिये लेकिन इस करप्शन को रोकने की कोशिश कीजिये । आज करप्शन बहुत बढ़ गया है । पुलिस का महकमा इस करप्शन में बहुत आगे बढ़ गया है । हमने पिछले सेशन में कुछ सोचा था कि करप्शन को रोकने के लिए बीकानेर के बोर्डर पर कुछ काम किये थे वे बहुत अच्छे काम किये थे । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ये स्तब्ध रह गये जब कि हमने यह सुना कि वहां पर जो डी. आई. जी. अच्छा काम कर रहे थे उनको वापिस जयपुर में बुला लिया । यह क्यों हुआ ? इसके अन्दर क्या चीज़ थी क्या कोई रहस्य छिपे हुए थे ? रहस्य यह हो सकते हैं कि उन्होंने शायद कुछ उदयपुर के नेताओं के खिलाफ चार्ज शीटें तैयार की थीं, उनको खतरे में डालने के लिए यह कार्यवाही हुई । यह दुःख की बात है । उदयपुर के मित्र कुछ मेरी बात से व्यथित से लगते हैं । उनको व्यथित नहीं होना चाहिए····· ···

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : (बदली हुई आवाज में) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है कि हम लोगों के लिए तो ऐसी बात का सवाल ही नहीं है ।

("क्या हो गया, क्या हो गया ?" की आवाजें)

श्री मानसिंह महार : अब तो उनको पुलिस मिल गई है । अब तो पुलिस का महकमा मिल गया है । अब उनका बोलबाला हो गया है । उदयपुर के सैंयां हैं, उदयपुर के पुलिस मिनिस्टर । उनके साथ में जो हैं वे हैं डिप्टीमिनिस्टर । अब क्या चाहिए ? अब तो उदयपुर को पूर्ण छूट हो गई है, जो वे चाहें करें । लेकिन यह समझ लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह दो-चार महीने का है। यह समझ लीजिये, आपने इस प्रकार के कारनामे किये तो आपके जो अत्याचार हैं वे ही आपको खा जायेंगे, मैं आपको सच कहता हूं । इधर जब कामराज योजना लागू की गई·····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पापी के कोसने से गाय नहीं मरेगी ! आपकी मर्जी सफल नहीं होगी ।

श्री मानसिंह महार : आप थोड़ा सब्र रखें । आप बैठे रहेंगे ।

आप यातायात को ले लीजिये । वह वह क्यों लिया गया । इसलिए लिया गया कि उदयपुर के रूट्स को नेशनलाइज़ करने की बात थी । वह नहीं किया । वह नहीं कर सके । आज राजस्थान के सब रूट्स नेशनलाइज़ कर सकते हैं लेकिन उदयपुर के नहीं हो सकते । कोटा, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर के कोई आ जायं लेकिन उदयपुर के रूट्स नेशनलाइज़ नहीं कर सकते । आपने देखा नहीं, एक जादू की लकड़ी चली और विभाग छीन लिया गया । उपाध्यक्ष महोदय····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अब तो आदमी जैसे बात कर रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो ओझ आ रहा है । वाणी में ओझ आ रहा है ।

श्री मानसिंह महार : जब पुलिस उप-मंत्री को देखते हैं तो आवाज बदलनी पड़ती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मर्दों के साथ रह कर मर्द बनोगे।

श्री मानसिंह महार : क्या करें ?

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ट्रान्सपोर्ट का महकमा ले लिया गया, लेकिन उदयपुर के रूट्स नेशनलाइज नहीं हो सके क्योंकि वह एक आमदनी का जरिया है। मैं मानता हूं कि आमदनी का जरिया है, वह यदि काट दिया जाय तो चुनाव के लिए लाखों रुपया कहां से आये, रोजमर्रा के लिए रुपया कहां से आया ? तो इस तरह की बात हुई है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता और फिर उस बलिदान के लिए बकरी किसको बनाया गया ? तो उसके लिए तो हमारे दा साहब हैं। सीधे हैं, साधु हैं, उनको यह ट्रान्सपोर्ट का महकमा दे दिया गया। वे तो बहुत देवता आदमी हैं, साधु पुरुष हैं। मैं मानता हूं, उनको जो कह दिया जाय वह करने के लिए तैयार हैं। एक नमूना उनका मैं जानता हूं। एक संस्कृत पाठशाला थी, जीतवाड़ी में। वह एडेड इन्स्टीट्यूशन थी उसके अन्दर पांच-सात हजार रुपये का गबन कर लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, तो जो प्रार्थना-पत्र वहां से हमारे आये उनको दा साहब को पेश कर दिया और वह रुपया वापिस वसूल कर लिया गया। हमने कहा कि उनको सजा क्यों नहीं दी गई, जब रुपये का वहां पर गबन हो गया। वे बोले, वह रुपया वापिस ले लिया गया, यह कम है क्या। मैं कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने का तरीका है। पांच सात हजार रुपये का गबन हुआ तो वह रुपया वापिस ले लिया गया और उसको बिल्कुल माफ कर दिया। इससे बढ़ कर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं हो सकता। इस तरह देश में भ्रष्टाचार कायम रखने के लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। यह निवेदन मैंने भ्रष्टाचार के बारे में किया।

अब राजस्थान में जो अकाल पड़ते हैं, उसके बारे में अकाल पीड़ित एरिया से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा। मैं कहता हूं कि 'अकाल-अकाल' चिल्लाते हैं लेकिन चिल्लाने के सिवाय राजस्थान के लोग और कुछ नहीं जानते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करें और वहां रात-दिन एक कर दें जैसा कि उन्होंने पन्द्रह दिन का अभियान महुआ में किया था-वैसा यदि कयाम शुरू कर दें........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : जाकर आये हैं।

श्री मानसिंह महार : दो-दो दिन अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में चले गये। एक साथ सारे मंत्री नहीं थे जैसे सारे महुआ में एक साथ थे।

श्री मथुरादास माथुर : सारे नहीं बैठे थे महुआ में।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो रहा है।

श्री मानसिंह महार : इतना टाइम तो इन्होंने ले लिया। मैं अभी शुरू कर रहा हूं। अभी तीन मिनट हुए होंगे।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रिश्वतखोरी, अकाल पीड़ित क्षेत्रों

(श्री मानसिंह महार)

की बातें मैंने कहीं। अब में कन्सट्रक्टिव साइड में आऊं। हमारी सरकार जो है वह कहती तो यह है कि हम उत्थान कर रहे हैं, नये स्कूल खोल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि शिक्षा के लिए यह कहा जाता है कि हम पहले से दस गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बाकई में लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज कमी यह है कि आंख मीच कर हमारे यहां मास्टरों की भर्ती की जाती है। उसके चरित्र के बारे में कोई चिन्ता नहीं। उनका चरित्र कैसा है, यह नहीं देखा जाता। ऐसी हालत में किस तरह के लोग मास्टरी लाइन में आते हैं, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर की लाइन में आते हैं। उन्होंने मैट्रिक पास किया और शिक्षक हो गये, दो-तीन वर्ष में उन्होंने इन्टर किया, फिर बी. ए. किया और नौकरी छोड़ दी। वे लड़कों को पढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देंगे। मैं निवेदन करूं कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है.......

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक सोमवार के प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तक सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे सोमवार, दिनांक २४ मार्च, १९६४ म० पू० के ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, २२ फरवरी, १९६४)

स्कम्भ

१. अनुपस्थित के लिये अनुमति १

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

(१) श्री प्रतापसिंह (१३६) को दिनांक २१-२-१९६४ से १५-३-१९६४ तक।

(२) श्री हरिप्रसाद शर्मा (६२) को दिनांक २१-२-१९६४ से सत्र के अन्त तक।

२. स्थगन-प्रस्ताव २

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई:—

(१) मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर संयुक्त मजदूर संघर्ष समिति द्वारा सांकेतिक हड़ताल से संबंधित श्री मुरलीधर व्यास का स्थगन-प्रस्ताव

(२) राज्य में अकाल स्थिति एवं मंहगाई से संबंधित श्री मुरलीधर व्यास का स्थगन प्रस्ताव

(३) बीकानेर शहर व जिले में सस्ते विदेशी गेहूं की उपलब्धि से संबंधित श्री मानिक चन्द सुराणा का स्थगन प्रस्ताव

(४) मंहगाई और सरकार की आर्थिक नीति के संबंध में श्री मानिकचन्द सुराणा का स्थगन-प्रस्ताव

स्कम्भ

(५) १८ फरवरी, १९६४ को भरतपुर जिले में थाना बयाना के अन्तर्गत एक मोटर दुर्घटना से संबंधित श्री रामकिशन का स्थगन-प्रस्ताव

यातायात मंत्री स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु उपरोक्त विषय पर वक्तव्य देंगे।

(६) कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से संबंधित श्री कृष्णकुमार गोयल का स्थगन प्रस्ताव

(७) धौलपुर सब-डिविजन के अन्तर्गत बसेड़ी तहसील के सोश्यलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या से संबंधित श्री मुकुट-बिहारीलाल गोयल का स्थगन-प्रस्ताव

३. औचित्य प्रश्न ६

भारत के संविधान के अनुच्छेद १७६ के अन्तर्गत श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (१५५) ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाया जिसे अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई।

४. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद १८

२१ फरवरी, १९६४ को राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गए अभिभाषण पर श्री बृजसुन्दर शर्मा (२२) ने निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

Page No.100

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री अमृतलाल यादव (६) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

सोमवार, दिनांक २४ फरवरी, १९६४
की कार्य-सूची

(१) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

(२) कार्य सलाहकार समिति के १३ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार-विमर्श।

(३) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

———

❀ शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २२ फरवरी, १९६४)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१७	शीर्षक	—	अभिभाषण विषयक औचित्य प्रश्न–२२ फरवरी, ६४-अभिभाषण पर वाद-विवाद
१९ से ६६	„	—	राज्यपाल महोदय के-२२ फरवरी, ६४-अभिभाषण पर वाद-विवाद
५१			
६०	१७	एक माननीय सदस्य	एक माननीय सदस्य
७१	१०	(बैर)	(वैर)
	शीर्ष	(श्री अमृतलाल यादव)	(श्री अमृतलाल यादव)
७७	२१	(बैर)	(वैर)
६७-१६०	शीर्षक	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण–२२ फरवरी, ६४–विषयक औचित्य प्रश्न	राज्यपाल महोदय के-२२ फरवरी ६४–अभिभाषण पर वाद-विवाद
११५	शीर्ष	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
१२१	„	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
१५६	१६	(गगानगर)	(गंगानगर)
१८३	२१	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१६३-१९६	शीर्षक	—	राज्यपाल महोदय के-२२ फरवरी ६४-अभिभाषण पर वाद-विवाद

❀ नोट—विस्तृत शुद्धि पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।